खण्ड-272, अंक-6
मंगलवार, 6 आषाढ़, शक संवत् 1889
(27 जून, 1967 ई0)

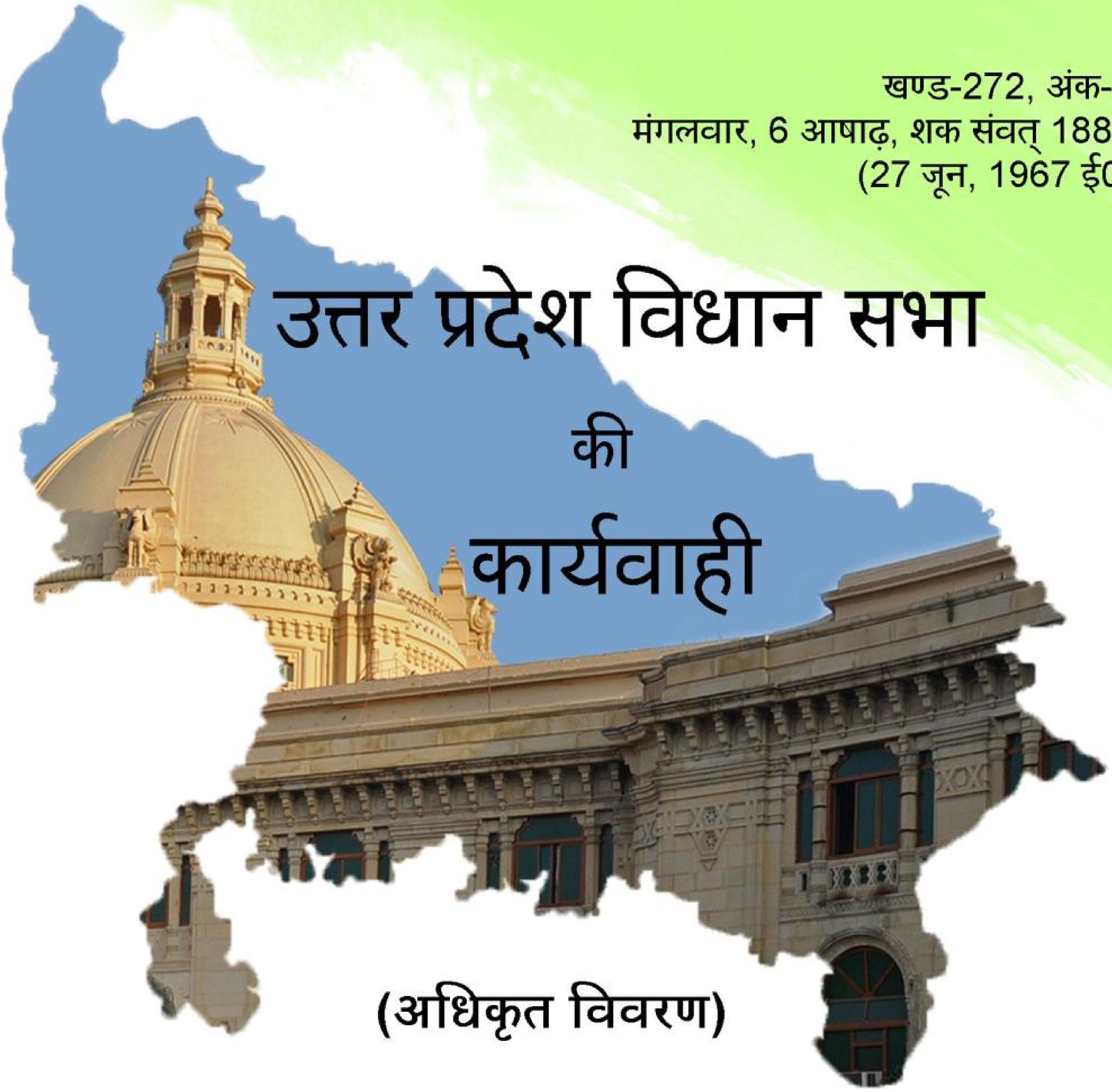

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 272 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३५
सर्वश्री लोटनराम, रामेश्वर सहाय, जगदीशसिंह तथा माधोनारायण मुद्गल के निधन पर शोकोद्गार	३५–३७
सदन के अवशिष्ट कार्य-क्रम को कार्य सूची में सम्मिलित न करने तथा सरकार के कथित वैधानिक रूप से गठित न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३७–४३
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् परिषद् तथा न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों के लिये अवधि) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३–४४
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पांचवां संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४–४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४५
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (वेतन या मजदूरियों से कटौती करके किराये की वसूली के लिये अनुबन्ध) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५-४६
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संविधाओं और हस्तान्तरण–पत्रों का निष्पादन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४६
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	४६
सदन के परिसर में कांग्रेस के अवंटित कमरे को यू० पी० सेक्रेटेरियट मिनिस्टीरियल) आफिसर्स एसोसियेशन की बैठक के लिये दिये जाने के संबंध में श्री चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४६-४८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २७ जून, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८०

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खाँ, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खाँ, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झाँसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', श्री
अहमदउल्ला खाँ, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम् प्रकाश, श्री
ओम् प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झाँसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल विलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)

उत्तर प्रदेश सभा

गंगा प्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपालराम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहरलाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह श्री
तिरमल सिंह श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दलसिंह श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

नेपाल सिंह, श्री
पञ्जर राम, श्री
पालीराम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फूल सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, सरदार
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधि राम, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री

मंगलदेव, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मुन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्साबीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान सिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खाँ, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झाँसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खाँ, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री

रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राज बहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
रामअंजोर, श्री
राम अधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
राम करन, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर, श्री
राम कुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दहरे, श्री
राम जी लाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
रामरतन, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसरन सिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
रूप नरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पाण्डेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम श्रीमन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री

अब्दीर हुसन, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
श्री तला दीन, श्री
श्रीतला प्रसाद सिंह, श्री
श्रुगन चन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सात्विक राम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--मंत्री श्री मान सिंह वर्मा तथा मंत्री श्री प्रभु नारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २७ जून, १९६७

तारांकित प्रश्न

वाराणसी से जाने वाली बसों की इन्कम में गड़बड़ी

*१--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी से अहरौरा आने-जाने वाली गाड़ियों की इन्कम फरवरी-मार्च, १९६७ में क्या है और इसमें बस नं० ८०५४ की औसतन रोजाना की इन्कम क्या है और वाराणसी से जमानियां-ताड़ीघाट तथा जमानियां से ताड़ीघाट की सभी गाड़ियों की अलग-अलग फरवरी-मार्च, १९६७ में क्या इन्कम हुई है?

परिवहन मंत्री (श्री मानसिंह वर्मा)--

वाराणसी से अहरौरा आने-जाने वाली गाड़ियों की इन्कम फरवरी तथा मार्च, ६७ में क्रमशः १३,३६१.६७ तथा ९,६६९.४३ रुपये थी। बस नं० ८०५४ की औसतन रोजाना की इन्कम फरवरी तथा मार्च में क्रमशः १०२ रुपये तथा ५६ रुपये थी।

वाराणसी से जमानिया ताड़ीघाट तथा जमानियां ताड़ीघाट को सभी गाड़ियों की अलग-अलग फरवरी एवं मार्च, १९६७ में हुई आय का विवरण निम्नलिखित है:—

गाड़ी नं०			आय	
			फरवरी, ६७	मार्च, ६७
			वाराणसी-जमानिया	ताड़ीघाट
५२४१	..	..	२४४.०१	३९५.५२
६४७७	..	..	२०९.८०	१७८.५०
६१०४	..	..	३८५.५६	..
७४८५	..	..	४८२.५८	९०७.१७
६२६५	..	..	१२४.६९	२९७.३७
५९९३	..	..	२२१.८८	७८२.७५
६३४०	..	..	६७.८५	..
६१०६	..	..	७३.७८	..
६३४१	..	..	४०.१३	..
		योग ..	१,८५०.२८	२,५६१.३१
			जमानिया-ताड़ीघाट	
५९९३	..	..	२३६.९२	१,१३७.७०
७४८५	..	..	५६९.३५	९१५.७८
६२६५	..	..	२२८.३४	१२८.९३
६४७७	..	..	१६७.७८	१४२.५८
६१०४	..	..	१७५.५०	..
६३४०	..	..	६६.६५	..
५३४७	..	..	७८.९१	..
५२४१	..	..	२६३.५६	५२२.१८
६००६	..	..	२२.५५	..
५९५५	..	..	५४.५२	..
५९८७	..	..	४.६५	..
६१०६	..	..	८५.४८	..
५६२९	..	..	३१.२८	..
		योग ..	१,९८५.४९	२,८९७.१७

वाराणसी-जमानिया

गाड़ी नं०	आय फरवरी, ६७	आय मार्च, ६७
६४७७	..	६७.५०	४१.८०
६२६५	..	२१७.०७	११६.४६
५३४७	..	६९.६०	६.४१
५२४१	..	१२४.९०	२१३.८६
६००६	..	२७.४४	..
५९५५	..	६६.७२	..
५९८७	..	१७.५४	..
६१०४	..	१०७.२२	..
७४८५	..	१००.९२	३११.१०
५९९३	..	७८.३१	३२५.०६
७६६८	..	१२.१५	..
६३४०	..	१४.११	..
	योग ..	८९६.४८	१,०१४.६९

*२—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी रोडवेज में कितने कंडक्टर ऐसे हैं जो दो वर्ष तथा एक वर्ष से किसी गाड़ी पर ड्यूटी नहीं दिये हैं और इनका कार्य क्या रहा ?

श्री मानसिंह वर्मा—

कोई नहीं।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करेंगे कि ६३४०, ६१०६ तथा ६२४१ से फरवरी, १९६७ में ६७.८५, ७३.८८ और ४०.१३ रुपये और मार्च में बिलकुल निल जमा है। इसी तरह से दूसरी में फरवरी में ६१.७४ रुपये और मार्च में निल है। तो क्या माननीय मंत्री जी जांच करवाने की कृपा करेंगे कि गाड़ी तो चली लेकिन इन्कम कहां चली गयी ?

श्री मानसिंह वर्मा—

वह तो स्पष्ट ही है कि इन्कम नहीं हुई तो गाड़ी नहीं चली।

श्री ऊदल—

इसी तरह से जमानिया-ताड़ीघाट और वाराणसी-जमानिया की गाड़ियों पर भी जो इन्कम लिखी गयी है वह निल है....

श्री अध्यक्ष—

माननीय ऊदल जी, मंत्री जी ने कहा है कि जहां इन्कम निल है वहां गाड़ी नहीं चली।

श्री ऊदल—

मेरी जानकारी यह है कि गाड़ी चली और टिकट का पैसा लिया गया पर टिकट काटा नहीं गया इसलिये उसकी आमदनी दिखाई नहीं गई तो मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री मानसिंह वर्मा—

विभाग में इस प्रकार की जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य को जानकारी हो तो वह देने की कृपा करें, जांच करा ली जायगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

जमानिया से ताड़ीघाट जो रोडवेज चलती है उससे प्रति मास हजार बारह सौ रुपये की आमदनी होती है जब कि वह केवल ६ मील की दूरी का रास्ता है। यह जो आप रूरल रोडवेज योजना चलाते हैं जिसमें टूटी-फूटी बसेज हैं तो इतनी आमदनी को देखते हुये इसको सिटी बस के रूप में परिवर्तित करने की मंत्री जी कृपा करेंगे?

श्री मानसिंह वर्मा—

इसकी जांच करा ली जायगी और यदि आवश्यकता हुयी तो परिवर्तित कर दिया जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बतायेंगे कि अभी कुछ दिन पहले जब वह बनारस गये थे तो बड़ी मेहनत करके उन्होंने बिना परमिट की एक गाड़ी को पकड़ा तो उस लाइन पर कितनी आमदनी कम है और किस वजह से है इसकी जांच कराई या नहीं?

श्री मानसिंह वर्मा—

यह सही है कि जब मैं बनारस गया था तो उस समय मैंने एक गाड़ी को चेक किया था जो १, २ वर्ष से चल रही थी। इसके पहले भी उसको पकड़ा गया था। हुआ यह कि उसको बन्द कर देते थे लेकिन फिर छोड़ देते थे। वह किस रूट पर चल रही थी और उसके कारण आमदनी कम हुई या नहीं इसकी जांच रिपोर्ट आने पर मैं बतला सकूंगा।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

यह ताड़ीघाट-जमानिया रूट ऐसा है जिस पर बसों की कमी के कारण बहुत-सी सवारियां छूट जाती हैं जिनको दूसरे तरीकों से जाना पड़ता है तो फिर भी इन बसों से कम आमदनी क्यों हो रही है?

श्री मानसिंह वर्मा—

इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन गाड़ियों की आमदनी तो बतलाई, लेकिन इन पर एक्सपेंडीचर क्या हुआ?

श्री मानसिंह वर्मा—

जो बात प्रश्न में उठाई गई है उसका उत्तर मैंने दे दिया। आमदनी बतला दी गई। यदि आप एक्सपेंडीचर भी जानना चाहते हैं तो लिख कर दीजिये वह भी बतला दिया जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जो रूरल रोडवेज चलती हैं उनमें औसतन जमानिया-ताड़ीघाट रूट की बसों से सब से अधिक रोडवेज से प्राप्ति होती है, लेकिन वे बसेज बहुत पुरानी हैं लिहाजा उस रूट पर नई बसेज देकर सिटी बस की तरह से उसको चलाने की कोशिश करेंगे?

श्री मानसिंह वर्मा—

इसके लिये निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। मैं यह समझता हूं कि केवल एक रोडवेज की बस नहीं, बल्कि सारे प्रदेश में कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण पिछले ५ वर्षों में बहुत

सी बसेज डिपो में खड़ी रहीं । इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि डिपो से बसेज निकल कर आयें । जल्द से जल्द इस प्रकार के आदेश दिये जायेंगे कि जो शिकायतें हैं उनको दूर कर दिया जाय ।

श्री ऊदल—

अभी १५ दिन हुये जमानियां से ताड़ीघाट एक बस जा रही थी जिस पर ३० पैसेंजर बिना टिकट चल रहे थे और टैक्स सुपरिंटेंडेन्ट ने उसको पकड़ा । क्या इस की सूचना मंत्री जी को है ?

श्री अध्यक्ष—

क्या आप का मतलब यह है कि इस तरह की घटनाओं के कारण ही आमदनी कम होती है ?

श्री ऊदल—

जी हां ।

श्री मानसिंह वर्मा—

इस विशेष घटना की सूचना मुझे नहीं है, लेकिन यदि माननीय सदस्य इस की सूचना मुझे भेज दें तो मैं इस की जांच करा लूंगा और अगर इस तरह की घटनाओं के कारण घाटा हो रहा है तो इसकी उचित व्यवस्था की जायगी ।

अपर डिवीजन पूर्वी नहर जमना से सिंचाई

*३—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वी नहर जमना के अपर व लोअर दोनों डिवीजन के रजबहे सन् १९६६ के खरीफ एवं रबी की फसलों में औसतन कितने समय बाद आते थे और कितने समय तक (एक या दो सप्ताह) प्रायः चलते थे ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)—

अपर खंड पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर में १९६६ की खरीफ में रजबहे ८ व ९ सप्ताह तथा रबी में ५ व ६ सप्ताह बन्द रह कर एक सप्ताह चले । लोअर खंड पूर्वी यमुना नहर मुजफ्फरनगर में १९६६ की खरीफ में औसतन ७ सप्ताह बाद तथा रबी में ३ सप्ताह बाद चले । ये रजबहे अधिकतर ७ दिन लगातार चले ।

*४—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या यह सही है कि उक्त नहर पर पानी की भारी न्यूनता के कारण मेरठ जिले में बहुत से रजबहे गत खरीफ में चार-छः मास में केवल एक-दो सप्ताह ही चले ? ऐसी स्थिति में नहर में पानी बढ़ाने एवं उसके विकास के लिये सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

उक्त नहर पर पानी की कमी है परन्तु ऐसी बात नहीं है कि मेरठ जिले में बहुत से रजबहे गत खरीफ में केवल एक-दो सप्ताह ही चले ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री जी को ज्ञात है कि अपर डिवीजन पूर्वी नहर जमन में खरीफ की फसल में धान की बुवाई के लिये अतिरिक्त पानी दिया जाता है ?

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वरप्रसाद)—

पानी को समान रूप से बांटने की व्यवस्था इस वर्ष की गयी थी, यह जानकारी मुझे है । लेकिन जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उस के संबंध में मैं जानकारी करा लूंगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर के अपर डिवीजन में जब ८, ९ सप्ताह तक लगातार नहर बंद रही तो वही नहर लोअर डिवीजन में किस प्रकार ७ सप्ताह तक चल सकेगी ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

इस में ७ सप्ताह निरन्तर चलने की बात नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जब उस नहर के अपर डिवीजन के रजबहे ८ और ९ सप्ताह तक बन्द रहे हैं तो उस नहर के लोअर डिवीजन में किस प्रकार रजबहे ७ सप्ताह ही बन्द रहे ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

माननीय सदस्य को मैंने संभवतः डिटेल्ड चार्ट भेजा है उनकी जानकारी के लिये, लेकिन जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है उस के अनुसार यह रजबहे ७ सप्ताह बंद रहे और अगर माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं तो मैं इस की जानकारी करा लूंगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी को ज्ञात है कि रजबहे के कुलाबे के कमांड पर बोई हुई फसल की सिंचाई के लिये कम से कम १५ दिन रजबहे चलने चाहिये जब कि उन के उत्तर के अनुसार ७ दिन ही रजबहे चले ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

यह सही है । जल की कमी के कारण ऐसा किया गया ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री जी को ज्ञात है कि इस पूर्वी नहर जमन का हेड वर्क्स बहुत ही पुराना, आउट मोडेड और बेकार है जो १८७७ में बना था ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जी हां, यह सही है ।

मेरठ अथवा मुरादाबाद में हाई कोर्ट बेंच स्थापित करने का सुझाव

*५—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या न्याय मंत्री उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की जनता की दीर्घकालीन मांग व कठिनाइयों को देखते हुये इस बात पर विचार करेंगे कि हाई कोर्ट इलाहाबाद की बेंच मेरठ अथवा मुरादाबाद में स्थापित की जाये ? यदि हां, तो कब तक ?

न्याय मंत्री (श्री श्यामलाल यादव)—

जी नहीं । हाई कोर्ट ने मेरठ, मुरादाबाद इत्यादि में अपनी बेंच स्थापित करने के प्रस्तावों का सख्त विरोध किया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इलाहाबाद के बार असोसियेशन ने विरोध किया है तो क्या वह बार एसोसियेशन के मफाद में है या जनहित में है ?

श्री श्यामलाल यादव—

मैंने कहा कि हाई कोर्ट ने इसका विरोध किया है, बार के विरोध की बात मैंने नहीं कही ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

हाई कोर्ट ने जो इसका सख्त विरोध किया है वह कारण क्या हैं ?

श्री श्यामलाल यादव---

उन्होंने ला कमीशन की चौदहवीं रिपोर्ट के पेज १०४ और १०५ पर जो उनकी राय है उससे सहमति प्रकट की है कि न्याय की व्यवस्था को समुचित रूप से चलाने के लिये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट की बेंचेज जगह-जगह पर कायम न की जायं और ऐसे आधार हैं जो इस मत के विपरीत हैं और उसके कोर्ट्स की जो व्यवस्था होती हैं उसका कम्पोजीशन और स्ट्रक्चर जो है वह भी ऐसा नहीं है कि उस पर किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार करें या निर्णय किया जाय । और हाई कोर्ट की अगर इस प्रकार से बेंचेज कायम होंगी तो हाई कोर्ट की कार्य-क्षमता पर असर पड़ सकता है जिससे कि उसका स्टैन्डर्ड नीचे गिर सकता है । इन बातों को माननीय हाई कोर्ट के जजेज ने अपनी एक कोर्ट की बैठक करके २६ मार्च, १९६६ को इस राय को कायम किया और उस आधार पर यह चीज हमारे सामने आयी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी ८ करोड़ है जो कि दुनियां का नवां स्थान रखता है, तो क्या जनहित में इस प्रश्न पर दोबारा विचार करेंगे ?

श्री श्यामलाल यादव---

मान्यवर, जो आधार वर्मा जी कह रहे हैं, हमारा देश इतना बड़ा है और संघीय व्यवस्था है उसमें इस प्रकार की बेंचेज कायम करना उचित नहीं प्रतीत होता, लेकिन इस प्रश्न पर फिर विचार किया जा सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)---

क्या सरकार, अगर हाई कोर्ट की यह राय है कि अलग-अलग बेंच बनाने से कार्य-क्षमता में कमी आती है, दो बेंचों के बजाय जो एक बेंच है उसी को एक ही जगह रखने का प्रयत्न करेगी ?

श्री श्यामलाल यादव---

दो बेंच तो चीफ कोर्ट के एक अधिनियम के मातहत कायम हुईं और परम्परा भी इसलिये अलग किया गया; इसलिये तोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह पूछा गया है कि जब हाई कोर्ट ने यह सिद्धान्त रखा है कि एक से ज्यादा बेन्च बनाने से कार्य क्षमता घटती है, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जो दूसरी बेन्च है वह खत्म कर दी जाय ?

श्री श्यामलाल यादव---

उसको समाप्त करने का विचार नहीं है ।

श्री धनुधारी पांडेय (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुये मेरठ आदि की जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुये इस प्रश्न पर फिर से विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो वे पहले कह चुके हैं कि फिर विचार कर लेंगे ।

श्री मोहनलाल मौसम—

जब एक जगह हाई कोर्ट को रखने से कार्य क्षमता बढ़ती है तो दूसरी जगह उसकी ब्रांच रखने के क्या कारण हैं, उसको समाप्त क्यों नहीं किया जाता ?

श्री श्यामलाल यादव—

हाई कोर्ट के जो बेंच इस समय हैं इससे जनता को बहुत दिनों से सुविधा प्राप्त है और जो व्यवस्था इस समय चल रही है उससे न्यायालय की कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिये यह जारी रहेगी ।

बिन्दुखेड़ा निवासियों का वोटर लिस्ट में नाम न होना

*६—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला नैनीताल, तहसील हल्द्वानी के बिन्दुखेड़ा नामक स्थान पर विगत १२वर्ष से निवास कर रहे दुग्ध संघ के लगभग ८०० सदस्यों को आज तक वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्यामलाल यादव—

जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल से जांच कराने पर पता चला है कि तहसील हल्द्वानी में बिन्दुखड़ा नाम का कोई ग्राम नहीं है । इस नाम का एक ग्राम तहसील किछा में अवश्य है पर वहां पर ऐसे कोई दुग्ध संघ के सदस्य नहीं हैं । जितने व्यक्ति वहां पर स्थायी तौर पर निवास करते हैं सभी का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है ।

ऐसा विदित होता है कि यह व्यक्ति कहीं खत्तों में जाड़ों में पहाड़ी क्षेत्रों से आकर कुछ दिनों अस्थायी तौर पर दुग्ध का रोजगार करते होंगे तथा कुछ दिन रह कर वापस अपने स्थायी निवास स्थान पर चले जाते होंगे । इन व्यक्तियों का नाम उनके स्थायी निवास स्थानों पर चढ़ाये गये होंगे ।

श्री इन्द्रलाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं, और नियम ३८ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसमें यह है कि प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और यदि अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो वे सभा के पटल पर विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे । मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर स्पष्ट नहीं है । मैंने तहसील हल्द्वानी के एक निश्चित स्थान के बारे में प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर आमक दिया गया है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि इस नाम का वहां पर कोई गांव ही नहीं है, दूसरी जगह किछा में हो सकता है या यह हो सकता है कि वहां लोग अस्थायी तौर पर आते हों और चले जाते हों, तो उत्तर तो पूर्ण है, आप कोई अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री इन्द्रलाल—

मैंने तहसील हल्द्वानी में जिस गांव का नाम लिया है अगर वह साबित हो जाये तो फिर माननीय न्याय मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्यामलाल यादव

मैं माननीय सदस्य का अनुग्रहीत हूंगा यदि वे इस जांच में सहायता करें, वरना हमारे पास जो जिले से सूचना आयी है वह यही है कि वहां इस नाम का कोई गांव नहीं है ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

जिस सूत्र से माननीय मंत्री जी को यह गलत सूचना मिली है उस सूत्र का पता लगा कर जिसकी गलती है उस पर इसका दायित्व ठहराने की कृपा करेंगे और उसे सजा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य अगर उसके विपरीत सूचना देंगे तो जानकारी करायेंगे, अगर जानकारी के बाद गलत हो तो आप ये प्रश्न उठा सकते हैं, विशेषाधिकार या जो भी चाहें ।

श्री इन्द्रलाल—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम संख्या ४९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यह प्रश्न प्रजातंत्र में नागरिकों से सम्बन्धित है । इसकी चर्चा करने के लिये आप समय दे सकते हैं, वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें यदि आप कोई प्रश्न करना चाहें तो कर लें ।

श्री अयोध्याप्रसाद—

क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उसको सत्य मानकर वे उसको पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे और तदनुरूप उसको दुरुस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि वे करेंगे ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, जैसी शिकायत प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है इस तरह की शिकायतें प्रायः प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में हैं । क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि सभी जगह वोटर लिस्ट सही-सही तैयार हो जाय ?

श्री श्यामलाल यादव—

इलेक्शन कमीशन के आदेशानुसार प्रतिवर्ष विशद रूप से नामावली की जांच की जाती है । अगर माननीय सदस्य कोई विशेष शिकायत बतलायें तो जांच की जायेगी ।

*७—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा), श्री रामदेव (जिला गोंडा) तथा सरदार बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया ।]

कानपुर में रोडवेज कर्मचारी की सेवा समाप्ति

*८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर सिटी रोडवेज के कितने कर्मचारी फरवरी, १९६७ में नौकरी से निकाले गये ?

श्री मानसिंह वर्मा—

फरवरी, १९६७ में राजकीय रोडवेज क्षेत्र के सिटी सर्विस में केवल एक कर्मचारी नौकरी से निकाला गया ।

*९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित जो कर्मचारी निकाले गये हैं उन्होंने कोई अपील शासन को किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मानसिंह वर्मा—

उस कर्मचारी ने नियमानुसार उप परिवहन आयुक्त से अपील की जो विचाराधीन है ।

श्री विपिनबिहारी तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कर्मचारी की अपील को तय करने में कितना समय लगेगा ?

श्री मानसिंह वर्मा—

१३ जून, १९६७ को यह अपील आई है और उस पर शीघ्र ही विचार किया जा रहा है ।

हंडिया तहसील में नलकूपों की नालियों पर व्यय

*१०—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद की तहसील हंडिया के ग्राम भोटी, भगौतीपुर, खुरमाशाहपुर, जगदीशपुर, भेलसी, लमाही, जमशेदपुर बुजुर्ग, हिरामन पट्टी को दक्षिण उपरदहा, खानापुर, पहाड़पुर, सांडी, उसमानपुर-बड़ौली, रमनाथी, लोकापुर-बयालापुर, भवंरगढ़ बखवाबोन्द, टुमटुमा-महाराजपुर, पूरेसतभावां, अर्जनबही, घाटमपुर में पिछले वित्तीय वर्ष १९६५–६६ में सिंचाई हेतु कितने नलकूप लगवाये गये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार शीघ्र उपर्युक्त गांवों में नलकूप की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जी नहीं, वित्तीय वर्ष १९६५–६६ में न तो प्रश्न गत ग्रामों में कोई नलकूप सिंचाई हेतु लगाया गया और न ही इस समय विचाराधीन है ।

बखवाबोन्द टुमटुमा नाम का कोई ग्राम नहीं है ।

*११—श्री अठईराम—

क्या इलाहाबाद जिले की हंडिया तहसील में सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६५-६६ में पुराने नलकूपों की नालियों की मरम्मत में कितना रुपया खर्च किया गया तथा उक्त नालियों में से अब भी कुछ नालियां मरम्मत एवं पक्की होने से शेष रह गईं ? क्या उन्हें शीघ्र बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

८५,९२७ रु० ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—जी हां । शेष नालियों की मरम्मत का कार्य हो रहा है ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इलाहाबाद जिले में अन्य किन-किन तहसीलों में नलकूप लगाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री अठईराम—

यह दुमदुमा और बरूआरोज होना चाहिये । क्या यह ऐसी भूमि है जहां नलकूप नहीं लगाये जा सकते हैं ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

नलकूप वहां लगाये जा सकते हैं लेकिन पिछले वर्ष नहीं लगाया गया ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रत्येक सरकारी नलकूप पर इस समय कितनी नालियां पक्की हैं और कितनी लम्बी नाली के पक्का करने का उनका इरादा है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री धर्मवीर—

क्या इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में जो कि सूखे से प्रभावित है वहां नलकूप लगाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक लग जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

मैंने पिछली बार बतलाया था कि पूरे प्रान्त का प्रश्न विचाराधीन है । जगहों को निश्चित करने के लिये कमेटी जिला स्तर पर विचार करेगी। पिछली बार इलाहाबाद का ब्यौरा मैंने दे दिया था । सम्भवतः माननीय सदस्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया ।

राप्ती नदी का कटाव

*१२—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार के विचाराधीन गोरखपुर जिले में राप्ती नदी की बाढ़ रोकने का कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाने जा रही है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

इस समय ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है और न इस दिशा में कोई कदम उठाना ही लाभ-प्रद होगा ।

*१३—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के किनारे के कई गांवों में कटाव हो रहा है जिससे आबादी को खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से गांव हैं और उन्हें बचाने की दिशा में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय भाग—ग्रामों के नाम निम्नलिखित हैं—

ग्राम बेहरी, मरया कोल, असवन्तपार, सेमरा बुजुर्ग, सेमरा खुर्द, नवलपुर, मजगवां बहरोलिया, बरखनपुर, गाजपुर, सेमरोना, बरही, बौधा, अमरी, नटवरपट्टी, पटना तथा कोल खास ।

उपर्युक्त ग्राम राप्ती नदी के बाढ़ क्षेत्र तथा मीआन्डर जोन (Meander Zone) के अन्तर्गत पड़ते हैं अतः इन गांवों को कटाव से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है ।

श्री कल्पनाथसिंह---

सरकार के पास कौन से तथ्य हैं जिनके आधार पर सरकार कहती है कि लाभप्रद नहीं होगा ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

राप्ती नदी के भीतर कटाव और मोड़ बहुत बड़े-बड़े हैं। यदि एक ओर बांध बनाया जाय तो उसमें की समस्त भूमि राप्ती नदी के पेटे में चली जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

भूतपूर्व सरकार ने राप्ती के लिये जलकुन्डी योजना का सर्वेक्षण किया और ७ लाख रुपया उस पर व्यय हुआ ताकि बांध बनकर बाढ़ और कटाव खत्म हो जाय। इसमें नैपाल में काफी कार्य हो चुका है। क्या मंत्री जी उस जल कुन्डी योजना की फिर से जांच करावेंगे और संभव हुआ तो उसे लागू करावेंगे ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

मैं उसकी पुनः जांच करा लूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह---

सरकार राप्ती नदी की बाढ़ रोकने के लिये भविष्य में कौन-कौन से कदम उठाने जा रही है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

इस समय कोई योजना विचाराधीन नहीं है। मैं पहली योजना की जांच करा लूंगा।

श्री गेंदासिंह---

कुछ दिन पहले अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि श्री० के० एल० राव, केन्द्रीय सिंचाई मंत्री, और हमारे सिंचाई मंत्री, दोनों ने सर्वेक्षण किया था राप्ती और उस तरफ के इलाके का और यह कि सरजू और राप्ती के बारे में ऐसा सोचा जा रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिये व्यवस्था की जाय और एक बड़े पैमाने पर सिंचाई की व्यवस्था भी की जाय।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

यह निश्चित रूप से सरजू के बारे में है। राप्ती के नहीं। उसमें राप्ती का कोई इलाका डाक्टर राव ने भी नहीं किया था और मैं समझता हूं, न है।

श्री कल्पनाथसिंह---

यह हजारों व्यक्तियों की जिन्दगी का सवाल है, तो क्या सरकार पुनः सर्वेक्षण करायेगी कि इन ग्रामों को कैसे बचाया जाय ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

यह अवश्य सोचा जायगा कि इन ग्रामों को कैसे बचाया जाय।

श्री रामायणराय---

जिन गांवों का उन्होंने उल्लेख किया उनके अन्तर्गत कितनी भूमि कटाव से प्रभावित होने वाली है और कितनी जनसंख्या प्रभावित होने वाली है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

सूचना चाहिये।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

कटाव से पीड़ित गांवों की अधिकतर जनसंख्या जगह-जगह पड़ी हुई है और उनके रहने और खेती का कोई स्थान सरकार द्वारा निश्चित नहीं किया जा रहा है, इसलिये बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानी है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

इस समय बाढ़ नहीं है। सूचना यह है कि लोग अपने-अपने गांवों में हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

बाढ़ न होने के बावजूद भी वहां कुछ करने की आवश्यकता है। मजगावां गांव का जिक्र है। पिछली सरकार ने डाल बनाकर उस गांव में कटाव रोकने की योजना बनाई थी जिससे उस गांव की हिफाजत हो, तो क्या मौजूदा सरकार उन लोगों के बसाने का प्रबन्ध करेगी जो कटाव से पीड़ित हो चुके हैं और उस पंडाल योजना को कार्यान्वित करने की कृपा करेगी ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

किस प्रकार इन गांवों की रक्षा हो, इस पर विचार किया जायगा। कुछ बंधे बने थे लेकिन वे भी नदी के पेटे में आ गये। नतीजा यह है कि उनके कटाव को किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता।

जेवर रजबहा से पानी न मिलना

*१४—श्री हरीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मांट खंड, नहर मंडल-मथुरा की शाखा रजबहा जेवर को रबी १३७४ की सिंचाई के समय में सात-सात सप्ताह क्यों पानी नहीं दिया गया है और इस प्रकार पानी न देने से कितने एकड़ खेतों की सिंचाई से वंचित रक्खा गया है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

पानी की कमी के कारण रजबहा जेवर को रबी १३७४ फसली में सात सप्ताह, १० फरवरी १९६७ से ३१ मार्च, १९६७ तक, बन्द रखना पड़ा था। परन्तु इस बन्दी के कारण कोई भी खेत सिंचाई से वंचित नहीं रहे। कम से कम एक बार सभी खेतों को पूरा पानी दिया गया।

श्री हरीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि रजबहा जेवर ७ सप्ताह तक नहीं चला जब कि दूसरे रजबहा बांझनपुर और बड़ौदा बराबर चलते रहे, इसका क्या कारण है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

मनवर नदी पर बांध बनाने की प्रार्थना

*१५—श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम खम्हरिया, परगना नगर पूर्व, जिला बस्ती के कई ग्रामवासियों तथा ग्राम प्रधानों ने इस आशय का प्रार्थना पत्र अक्तूबर, १९६६ में सरकार को दिया कि मनवर नदी से जमीन से कटकर एक बड़ा तालाब बेताछ बन गया है। जिसमें उक्त नदी का तथा बरसाती पानी जमा होकर इस ताल से संबंधित लगभग ३२ गांव जलमग्न हो जाते हैं और हजारों एकड़ जमीन बिना फसल बोये ही रह जाती है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

बावजूद काफी तलाश के ऐसा प्रार्थना-पत्र कार्यालय या मुख्य अभियन्ता के यहां नहीं मिल सका।

*१६—श्री रामलखनसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार उक्त ग्रामवासियों की परेशानी तथा फसल की क्षति को देखते हुये मनवर नदी पर, जहां ताल बना है, एक बांध बनाने तथा बेलाछ ताल के पानी की निकासी का शीघ्र प्रबन्ध करेगी ताकि हजारों एकड़ बेकार हो गई भूमि खेती के योग्य हो सके? यदि हां, तो कब तक?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

सर्वेक्षण के उपरान्त कुछ कहा जा सकेगा।

ज्ञानपुर ब्लाक में सिंचाई

*१७—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला अन्तर्गत ज्ञानपुर ब्लाक के गजवरा, चक कलूटी, चक किसुनदास व कांवल का पश्चिमी व चक गनेशा के दक्षिणी हिस्से में सिंचाई का कोई साधन नहीं है? यदि हां, तो क्या शीघ्र ही एक नलकूप सरकार लगवाने की कृपा करेगी?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

ग्राम गजवरा का समस्त कृषि योग्य क्षेत्र नलकूप पूरे गड़ेरिया के कमान्ड में है। ग्राम कांवल के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लिये उसी ग्राम में एक नलकूप गड़ चुका है तथा ग्राम चकगनेशा के ५५ एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र में से ५० एकड़ नलकूप पूरे गडेरिया तथा शेष ५ एकड़ नवनिर्मित नलकूप कांवल के कमांड में है। ग्राम चक कलूटी तथा चक किसुनदास में नलकूप लगाने के लिये अभी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

श्री हरिगैनराम—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गजवरा ब्लाक जो गड़रिया नलकूप से सींचा जाता है उसके अन्तर्गत कितना कमांड एरिया है और उससे कितनी सिंचाई हुई?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

संभवतः इस नलकूप से उस गांव में १७५ एकड़ भूमि की सिंचाई होती है।

*१८-१९—श्री मुक्तिनाथ राय—

[स्थगित किये गये]

निपनिया ग्राम में बरसाती पानी से क्षति

*२०—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित) तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जिला खीरी-लखीमपुर के बांकेगंज ब्लाक के ग्राम निपनिया ग्रांट नं० ११ के तालाब में बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाने से लगभग ५०० एकड़ जोतकर जमीन की फसल हर वर्ष बरबाद हो जाती है? यदि हां, तो इस बाढ़ का पानी निकालने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मन्नालाल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायेगी और क्या उसके एकत्रित हो जाने पर सदन की मेज पर मंत्री जी रखने की कृपा करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

इस नाम का स्थान अभी मिल नहीं पाया है। अगर माननीय सदस्य इस में मेरी सहायता कर दें तो इस की सूचना दो हफ्ते में मंगा दी जायगी।

पैला कुकरा, भूड़ परगना में सिंचाई

*२१— श्री दुर्गाप्रसाद (अनुपस्थित), श्री मन्नालाल तथा श्री चेतराम वर्मा (जिला खीरी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी-लखीमपुर के परगना पैला भूड़ और कुकरा में अभी तक कोई सिंचाई के हेतु पानी का प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो सरकार क्या प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

परगना पैला कुकरा और भूड़ जिला लखीमपुर खीरी में शारदा नहर की खेरी व सीतापुर बांध की शाखाओं से सिंचाई हो रही है।

नहरों के अतिरिक्त परगना पैला में १७, परगना भूड़ में ११ तथा परगना कुकरा में ४ राजकीय नलकूपों द्वारा भी सिंचाई हो रही है।

श्री मन्नालाल—

क्या मंत्री जी को पता है कि यह जो शारदा नहर निकली है वह परगना पैला, कुकरा और भूड़ के अधिकांश जंगली भाग से हो कर निकली है जो भूड़ का इलाका है और वहां सिंचाई की व्यवस्था न होने से सिंचाई ठीक से नहीं हो पाती है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

शारदा नहर में इस समय जल सीमित मात्रा में हो कुछ क्षेत्र के लिये पर्याप्त है, इसलिये पूरे क्षेत्र में जल देना संभव न होगा।

श्री मन्नालाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुकरा में केवल ४, पैला में १७ और भूड़ में ११ नलकूप जो बेकार पड़े हैं उनको मंत्री जी ठीक करायेंगे ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जी हां, उनकी जांच करा ली जायगी और उनमें से जो अनुपयोगी होंगे उनको बदलवाने और ठीक कराने की कोशिश की जायगी।

श्री राजराजेश्वर (जिला खीरी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पैला, भूड़ और कुकरा का कुल कितना क्षेत्र नहर से सींचा जा रहा है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

पैला में १४ मील नहर है और ९५०२ एकड़ क्षेत्र कृषि का है, कुकरा में ४९ मील नहर है और २४,१५२ एकड़ कृषि क्षेत्र है और भूड़ में कृषि क्षेत्र नहर क्षेत्र के ऊपर है और इस में राजकीय नलकूप हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूड़, कुकरा और बेजा में जो नलकूप हैं उनके द्वारा वास्तविक सिंचाई कितने एकड़ की होती है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

किच्छा तहसील में गोला नदी का कटाव

*२२—श्री इन्द्रलाल—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला नैनीताल, तहसील किच्छा में ग्राम शान्तिपुरी कालोनी नं० ३ व ४ की लगभग ३०० एकड़ भूमि गत वर्ष से गोला नदी के कटाव से बरसात में कटकर बह चुकी है ? यदि हां, तो सरकार इस कटाव की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

प्रथम भाग—ग्राम शान्तिपुरी कालोनी नम्बर ३ में १९६६ की वर्षा में गोला नदी (किच्छा नदी) से कोई जमीन नहीं कटी । कालोनी नं० ४ में केवल लगभग २५ एकड़ जमीन १९६६ की वर्षा में तीन स्थानों पर कटी थी ।

द्वितीय भाग—चूंकि हानि बहुत कम है अतः कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

श्री इन्द्रलाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कालोनी नं० ७ में २५ एकड़ भूमि किन किन किसानों की कटी है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इस ब्योरे के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री इन्द्रलाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सूचना जो सदन में दी गई है कि हानि बहुत अधिक नहीं हुई है इसका आधार क्या है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

विभागीय अधिकारी जांच करते हैं, उन्हीं की जांच के आधार पर सदन में सूचना दी जाती है ।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय मंत्री जी, अन्न के उत्पादन को ध्यान में रखते हुये बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार २५ एकड़ भूमि कटने से नुकसान हुआ है, भविष्य में वर्षा के पानी से कटाव न हो, उसके लिये सरकार क्या इन्तजाम करने वाली है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, जिस प्रकार का वहां पर जल प्रवाह होता है, उसके कटाव को रोकने के लिये व्यवस्था करना संभव नहीं है ।

गड़वारा परगना को बिजली देने की मांग

*२३—श्री देवीसेवक (जिला जौनपुर)—

क्या बिजली मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जौनपुर जिले की मछली शहर तहसील के परगना गड़वारा का विद्युतीकरण कराने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जौनपुर जिले की मछली शहर तहसील के परगना गड़वारा के विद्युतीकरण पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये धनराशि उपलब्ध नहीं है।

श्री देवीसेवक—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परगना गड़वारा में कब तक बिजली का प्रबन्ध किया जायगा क्योंकि वह ऐसा क्षेत्र है जिस स्थान की भूमि बहुत उर्वरा है और यदि सिंचाई का समुचित प्रबन्ध हो जाय तो वहां पर गेहूं की बहुत पैदावार की जा सकती है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

हमने सर्वे रिपोर्ट मंगवाई है। अभी उस क्षेत्र में बिल्कुल बिजली नहीं है। इसलिये मैं प्रयास करूंगा कि उस ओर बिजली का विस्तार किया जाय और वहां पर सब स्टेशन बनाया जाय ताकि वहां पर बिजली देने की व्यवस्था हो सके।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

बदलापुर में एक सब स्टेशन के लिये भूमि एक्वायर की गयी थी तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह स्कीम स्थगित कर दी गई है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जैसा मैंने निवेदन किया कि बिजली देने के लिये पहले सब स्टेशन का निर्माण होता है। उसके बिना बिजली की व्यवस्था नहीं हो सकती है। यदि वहां पर जमीन एक्वायर हो गयी होगी तो मैं देख लूंगा।

श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

इस प्रकार के प्रदेश में और भी स्थान हैं जहां पर बिजली की नितान्त आवश्यकता है और बिजली वहां पर नहीं पहुंच पायी है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी ऐसे गांवों को बिजली देने की क्या योजना है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

अभी तक जहां से नलकूपों की मांग आती है वहां पर ही बिजली देने की योजना बनाते हैं। वहां पर भी नलकूपों के लिये बिजली की मांग आयी है।

गंडक नहर के ओवरसियर के विरुद्ध जांच

*२४—श्री उग्रसेन, श्री मधुकर दिघे तथा श्री रामनरेश पांडेय (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने दिनांक २५ अक्तूबर, १९६६ को देवरिया के एक विधायक ने इस आशय का कोई पत्र लिखा है कि चीफ बांध गंडक नहर, सर्किल नं० २, तमकुही रोड, देवरिया के एक ओवरसियर ने लाखों रुपये का गोलमाल किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

जी हां, श्री उग्रसेन, एम० एल०ए० का दिनांक २५-१०-६६ का एक पत्र इस आशय का मिला था। मामले की जांच मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग तथा जिलाधीश देवरिया द्वारा की गई। आरोपों के संबंध में मुख्य अभियन्ता से प्राप्त रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन शिकायतों की जांच मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग ने की और किन किन शिकायतों की जांच जिलाधीश द्वारा की गयी ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

रामदास राय नाम के एक ठेकेदार ने एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें उन्होंने शिकायत की कि उनका चेक चुरा लिया गया और उन्होंने यह भी शिकायत की कि उन्होंने काफी धन लगाकर मकानों का निर्माण किया है जो अनधिकृत रूप से पैसा किये हुये धन से बनाया गया है। इसकी जांच की गयी और जिलाधीश ने बैंकों के खातों की जांच की।

श्री उग्रसेन--

क्या यह बात सही है कि इस चेक को भूतपूर्व ओवरसियर ने चुराया और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर में मिला और वहां से गायब हो गया और जांच में यह साफ हो गया कि यह चेक उन्होंने ही चुराया था ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

यह तथ्य सही है कि उक्त ठेकेदार ने यह सूचना दी और यह भी तथ्य सही है कि वह चेक बैंक द्वारा उसका धन न दे कर विभाग में भेज दिया गया, उसका भुगतान ओवरसियर नहीं प्राप्त कर सका।

श्री भगवतीसिंह विशारद--

जिस ओवरसियर के खिलाफ ये शिकायतें हैं वह क्या इस समय भी अपने कार्यालय में काम कर रहा है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

जी हां।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस कार्यालय के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

सरकार इस पूरे ही प्रश्न पर विचार कर रही है और यह भी देखा जा रहा है कि किन-किन कारणों से इतनी अनियमिततायें करने के बाद भी यह ओवरसियर बचता रहा।

श्री उग्रसेन--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त ओवरसियर ने बलिया में एक ८५ हजार रुपये का "सीता न" मकान बनाया ? क्या इसकी भी जांच की गई कि २२ बार इस ओवरसियर का ट्रांसफर हुआ जो रोक दिया गया ? तो ऐसा क्यों हुआ और अब कार्यवाही में विलम्ब क्या है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जो बात धन संबंधी आपने की संभवतः कई लाख रुपये की संपत्ति इस ओवरसियर के पास है। उसका कहना यह है कि उसमें से बहुत संपत्ति उसे उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जायगी। दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया वह इस बात का किया कि क्या इसका ट्रांसफर कई बार किया गया और ट्रांसफर रोका गया ? यह सही है कि उसका कई बार ट्रांसफर किया गया और वह रोका गया जिस के कारण यह ओवरसियर वहीं पर रुका रहा। इसमें कौन से प्रभाव काम आये हैं इसकी जानकारी की जायगी।

*२५-२६—श्री मुहम्मद रफी खाँ (जिला शाहजहांपुर)—

[३रे शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ३३-३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२७—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

[११ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किये गये।]

चित्रकूट के समीप बांध के लिये सर्वेक्षण

*२८—श्री रामसजीवन (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बांदा जिले में चित्रकूट के समीप पयस्वनी बांध बनाने की योजना का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो राज्य सरकार बांध का निर्माण कब आरंभ करेगी ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जी नहीं, अभी सर्वेक्षण हो रहा है इसलिए बांध के निर्माण के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

अतारांकित प्रश्न

पांडव नदी से सिंचाई करने का सुझाव

१—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र चोपन, तहसील राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में जो पांडव नदी जाती है उसके किनारे के गांवों कुंडपा, किशुनपुरवा, कचनरवा, पीपरखाडा, चेखाडी रोखा, कोन मिश्री, डोमा में नदी के अन्दर १० फुट ऊंची पक्की किल बनाकर हर गांव सभाओं को सिंचाई की सुविधा देने और बिजली के पंपिंग सेट लगवाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब लागू की जायगी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जी नहीं।

नलकूपों के चलने का औसत

२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में १९६६-६७ में सरकारी नलकूप के चलने का औसत घंटों में क्या रहा है और प्रदेश के किस जिले में सब से अधिक और किस में सब से कम औसत नलकूपों के चलने का रहा ?

श्री टम्बरश्वरप्रसाद—

प्रदेश में वर्ष १९६६-६७ में सरकारी नलकूपों के चलने के औसत घण्टे ३,४०१ रहे। सब से अधिक औसत मथुरा जिले में और सब से कम पीलीभीत जिले में रहा।

नोट :—तारांकित प्रश्न २४ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

३—श्री कल्पनाथसिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया ।]

गोरखपुर एवं देवरिया जिले में घाघरा का कटाव

४—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार घाघरा नदी के किनारे बसे हुए गोरखपुर, देवरिया जिले के गांवों को कटाव से रोकने की कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जी नहीं । घाघरा नदी एक बहुत बड़ी नदी है । इसके कटाव को रोकना एक जटिल समस्या है जिसके लिए बहुत अधिक धनराशि व्यय होगी तथा यह योजना आर्थिक दृष्टि से उपयोगी न होगी ।

५—श्री मुक्ति नाथ राय—

[११ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ रोडवेज में दुर्घटनायें

६—श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ रोडवेज में सितम्बर, १९६६ से ३० अप्रैल, १९६७ तक कुल कितनी दुर्घटनायें हुयीं ? कितने व्यक्ति मरे, कितने घायल हुए ? कितनी बसें क्षतिग्रस्त हुयीं और कितने रुपयों की हानि हुयी ?

श्री मानसिंह वर्मा—

आजमगढ़ रोडवेज में सितम्बर ६६ से ३० अप्रैल , ६७ तक २१ (इक्कीस) दुर्घटनायें हुईं, जिसमें ५ व्यक्ति मरे, १९ घायल हुए तथा १३ बसें क्षतिग्रस्त हुईं, जिसकी अनुमानित क्षति रुपये १३,१०६.३० पैसे है ।

७–९—श्री मुक्तिनाथ राय—

[११ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किये गये ।]

१०–११—श्री इन्द्रलाल—

[३रे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या १२–१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

१२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

मुजफ्फरनगर एवं बुलन्दशहर जिलों में नलकूपों का विद्युतीकरण

१३—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९६६–६७ में मुजफ्फरनगर एवं बुलन्दशहर जिलों में कितने-कितने निजी नलकूपों का विद्युती करण हुआ और जिलों में अलग-अलग सरकार का उन पर क्या व्यय हुआ ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

वर्ष १९६६–६७ में जिला मुजफ्फरनगर व जिला बुलन्दशहर में निम्नलिखित प्रगति रही :—

		मुजफ्फर-नगर	बुलन्दशहर
निजी नलकूपों का विद्युतीकरण	..	९०४	८६९
धन का व्यय (लगभग)	..	६९ लाख रु०	८६ लाख रु०

१४—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सन् १९६७-६८ में कितने-कितने निजी नलकूपों का विद्युतीकरण उक्त दोनों जिलों में करने की योजना है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

वर्ष १९६७-६८ में जिला मुजफ्फरनगर म ४०० और जिला बुलन्दशहर में ४५० निजी नल कूपों के विद्युतीकरण करने की योजना है ।

१५—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या यह सही है कि १९६६-६७ में मुजफ्फरनगर जिले में एक भी सरकारी नलकूप नहीं दिया गया है ? चालू वर्ष में कितने नलकूप सरकारी दिए जाने की योजना है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

वर्ष १९६६-६७ में मुजफ्फरनगर जिले में तीन नलकूपों का निर्माण एवं २५ नलकूपों का विद्युतीकरण हुआ । चालू वित्तीय वर्ष में जिलों में नलकूपों का आवंटन अभी शासन के विचाराधीन है ।

तारांकित प्रश्नों को अतारांकित रूप में लिये जाने के संबंध में आपत्ति

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, प्रश्नों के संबंध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मैंने पिछले दिनों भी आपसे निवेदन किया था कि प्रश्न जो हैं हम लोग एक दिन में नियम के अनुसार दो प्रश्न देते हैं । लेकिन अक्सर हम सूची में देखते हैं कि कुछ प्रश्न हमारे हफ्ते में दो तारांकित के रूप में आ जाते हैं और बाकी जो प्रश्न होते हैं वे अतारांकित कर दिए जाते हैं, यद्यपि हम अतारांकित नहीं देते । मैं चाहूंगा कि उन प्रश्नों के लिए कार्यालय द्वारा ऐसी व्यवस्था करा दी जाय कि उसी दिन न रख कर के अगले दिन के लिए तारांकित करा दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझ से बात कर लें, कदाचित् मैं आपको संतुष्ट कर सकूं ।

प्रश्नोत्तर एवं भाषण की प्रति न मिलने पर आपत्ति

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, न तो प्रश्नों के उत्तर माननीय सदस्यों को मिलते हैं और जो ये पिजन होल्स बना दिये गये हैं इनमें कुछ कागज मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं । इतनी अव्यवस्था है कि प्रोसीडिंग्स की कापीज हमको नहीं मिलती है । जितनी अव्यवस्था आजकल है इससे पहले कभी नहीं

[श्री नेकराम शर्मा]

हुई । मैं चाहूंगा कि आप इसकी व्यवस्था करें कि समय पर उत्तर मिल जायें, जो भाषण होते हैं उनकी कापीज समय से मिल जायें, जिससे करेक्शन हो सकें और जो साहित्य यहां रखा जाता है उसको पिजन होल्स में न रख करके प्रत्येक सदस्य के घर लिफाफे में रख कर भिजवा दिया जाया करे, जैसा काउन्सिल में होता है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं अवश्य इसकी व्यवस्था करूंगा । आप लोगों से परामर्श करके जो कठिनाई होगी उसको दूर करने की कोशिश करूंगा ।

श्री विपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

बहुत से प्रश्नों के उत्तर, श्रीमन्, इस प्रकार के आते हैं कि "सूचना एकत्रित की जा रही है" । यह कोई उत्तर नहीं है । ऐसे उत्तर को उत्तर न मान कर के उस प्रश्न को फिर से रखने की कृपा की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह सरकार से अवश्य कहना चाहूंगा कि प्रश्नों का मतलब यह होता है कि जो माननीय सदस्य जनहित की बात जानना चाहें वह उनको जल्दी से जल्दी मिले । मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकार को पूरा प्रयत्नशील होना चाहिए और सूचना जितनी जल्दी दी जा सके दे देनी चाहिए, लेकिन अगर किन्हीं कठिनाइयों से सूचना एकत्रित करने में विलम्ब हो तो नियम के अनुसार, १५ दिन के बाद फिर जब सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है उस समय आ जानी चाहिए ।

एक सदस्य—

२१ तारीख की स्पीच की कापीज नहीं मिली हैं ।

श्री अध्यक्ष—

हो सकता है कि कहीं पर असुविधा हो, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो माननीय सदस्य सूचना देते हैं उनकी अनुपस्थिति में उनके किसी आदमी ने वह सूचना प्राप्त कर ली हो । मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं और मुझे इससे असीम खेद होता है कि आपको कोई असुविधा हो । मैं देखूंगा कि आपक असुविधा न हो । इस प्रकार की माननीय सदस्यों को कोई असुविधा होती हो तो टेलीफोन से, मौखिक बातचीत से मुझे सूचना दे दें ।

तथाकथित रामसहाय गुप्त द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

आपके पास कोई ऐसी सूचना आयी है कि श्री राम सहाय गुप्त कोई माननीय सदस्य हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर अलग हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा हुआ आपने यह प्रश्न कर लिया । आज सुबह से टेलीफोन पर अनेक बार यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गयी । राम सहाय गुप्त नाम का कोई सदस्य नहीं है । यह सूचना जो छापी गयी है इसमें कुछ भ्रम है ।

श्री त्रिवेणी—

अखबार इस तरह से गलत खबर छापते हैं । मैं विशेषाधिकार की सूचना देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आपने सूचना दे दी । अब मैं उसे देख लूंगा ।

श्री नारायण सिंह द्वारा पुनः कांग्रेस दल में सम्मिलित होने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कई माननीय सदस्यों ने प्रार्थना की थी और अखबार के अन्दर भी कल आया था। श्री नारायण सिंह, एम० एल० ए०, सहारनपुर की एक सूचना २६ जून, ६७ को आई थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि 'मैं कांग्रेस विधान मण्डल का सदस्य रहा हूं। मैं प्रार्थना-पत्र द्वारा आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैंने कांग्रेस विधान मण्डल दल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया तथा विधान सभा की जन कांग्रेस में सम्मिलित हो गया हूं"। २६ तारीख को यह सूचना आई। २७ तारीख को उनकी दूसरी सूचना आई, "मान्यवर, किसी भ्रमवश जन कांग्रेस के फार्म पर हस्ताक्षर कर दिए थे पर अब मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि मैं कांग्रेस विधायक दल का सदस्य हूं और मैं कांग्रेस विधायक दल का ही सदस्य माना जाऊं।"

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं तीन बार खड़ा हुआ और मैं २८ नवम्बर पर प्रश्न का प्रश्न-कर्त्ता था। मैंने कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसके लिए कोई बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं हो पाया। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सूचना दे दी।

जन कांग्रेस दल को मान्यता देने के संबंध में जानकारी

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो आपने यह ऐलान किया कि एक सदस्य कांग्रेस से जब कांग्रेस में चले गये और कोई जन कांग्रेस के सदस्य कांग्रेस में आ गये.....

श्री अध्यक्ष—

ऐसा मैंने नहीं कहा।

श्री कृष्णानन्द राय—

जो कुछ भी हो, जन कांग्रेस का आपने नाम लिया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या "जन कांग्रेस" नाम की कोई पार्टी विधान सभा में मान्यता प्राप्त पार्टी है? श्रीमन्, पार्टियों की मान्यता कतिपय सिद्धान्तों के अन्तर्गत हुआ करती है....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिए, वक्तव्य का समय नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

तो मैं प्रश्न कर रहा हूं कि विधान सभा में जो मान्य परम्परायें हैं पार्टियों की मान्यता के विषय में क्या उनके अन्तर्गत जन कांग्रेस को आपने कोई मान्यता दे रखी है?

श्री अध्यक्ष—

जन कांग्रेस द्वारा मेरे पास उनकी पार्टी को मान्यता देने के लिए आवेदन आया हुआ है जो मेरे विचाराधीन है।

नैनीताल जिले में नैना चोटी (चीना पहाड़) के धंसने व नैनीताल की झील का पानी कम हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)—

नैनीताल में नैना चोटी (चीना पहाड़) के धंसने का समाचार सही नहीं है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार नैनीताल के चारों ओर जो चोटियां हैं वे वास्तव में भस्क (Debris Slide) रही है और इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

इसी प्रकार यह बात भी सही नहीं है कि नैनीताल की झील में पीने के प्रयोजनों के लिए पानी कम हो गया। स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियन्ता ने शासन को बताया है कि पिछले वर्ष शरद् वर्षा नगण्य होते हुए भी ताल का जलमान गत वर्ष की अपेक्षा ४ इंच ऊंचा है, जिससे जलोपयोग की निरन्तर बढ़ती हुई मांग की पूर्ति की जा रही है।

श्री हरीदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)—

मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता। इसका कारण यह है कि यह तो केवल वक्तव्य के लिए पिछली सरकार के सामने आया था, वह आज वक्तव्य हो गया।

मिर्जापुर जिले में भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व मन्त्री (श्री उदितनारायण शर्मा)—

सूखे के कारण मिर्जापुर जिला प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक प्रभावित है। मिर्जापुर जिले की हर प्रकार की सहायता के वास्ते शासन ने ठोस कदम उठाए हैं जिससे इस जिले की जनता को राहत मिल सके शासन ने विशेष रूप से इस जिले की जनता को काफी बड़ी मात्रा में रोजगार दिया है और साथ ही साथ खाद्य सामग्री का उचित प्रबन्ध किया। भिन्न-भिन्न विभागों की सहायता से टेस्ट वर्क्स खोल दिए गए हैं तथा बड़ी मात्रा में मुफ्त भोजनालय तथा सस्ती कीमत की कैन्टीन का इंतजाम किया गया है। इस समय मिर्जापुर जिले में थोड़ी सी वर्षा हो गई है और जिससे आशा की जाती है कि उक्त जिले की विषम स्थिति में सुधार हो जायगा। जिलाधिकारी, मिर्जापुर से सम्पर्क स्थापित किया गया और उनसे ज्ञात हुआ कि हाल में भुखमरी से सात मौतें होने की सूचना नहीं है। टेस्ट वर्क्स में नियम के अन्तर्गत अपेक्षित कार्य न करने पर कुछ लोगों पर जुर्माना किया गया था जिससे क्षुब्ध होकर कुछ मजदूरों ने प्रदर्शन किया। मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि शासन मिर्जापुर जिले की स्थिति के बारे में जागरुक है और सहायता के सम्पूर्ण आवश्यक कार्य किये जा रहे हैं। अन्य सहायता के जिन कार्यों की आवश्यकता होगी वे सब शासन द्वारा किए जावेंगे।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर वाद-विवाद की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

चूंकि सात मौतों के खंडन की बात आयी है और यह सत्य है कि आप इजाजत नहीं देंगे, तो केवल स्पष्टीकरण कराने दें।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत अगर किसी प्रश्न की मैंने अनुमति दी तब उस पर प्रश्न होंगे। अगर केवल वक्तव्य के लिए मन्त्री महोदय से कहा गया है तो अगर कोई अत्यावश्यक स्पष्टीकरण है एक आध प्रश्न में तब तो सम्भव है। लेकिन नियम ५१ की परिधि के अनुसार प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दिलवाऊंगा।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मिर्जापुर में भुखमरी से मृत्युएं होने का सवाल है उसके सम्बन्ध में यद्यपि जिलाधीश से सूचना प्राप्त हुई है कि वहां भुखमरी से कोई मृत्यु नहीं हुई। लेकिन मैं इस माननीय सदन को सूचित कर दूं कि मन्त्री जी वहां गए थे, खाद्य मन्त्री जी गए थे और जो भूख से मौतें हुई हैं उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट उन्होंने प्रकाशित की थी। इस समय जो मौतें हुई हैं उनके सिलसिले में मैं नाम पता दे सकता हूं। मौतें अप्रैल से लेकर जून के अन्दर हुई हैं। पहली मौत ३० अप्रैल को, फिर २, १८ तथा २४ मई को मौतें हुई हैं। सारी सूचना हमारे पास है। इसके सिलसिले में स्टार्वेशन की रिपोर्ट देते हुए....

श्री अध्यक्ष—

जो आप बता रहे हैं उसके बजाय प्रश्न पूछें।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश"--

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम इस क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने में सरकार को क्या परेशानी है? दूसरी बात यह है कि यहां पर बहुत सामग्री भेजी गई, लेकिन वितरण की व्यवस्था गलत है। इस लिए मैं यह अनुरोध करूंगा कि वहां पर वितरण की व्यवस्था ठीक कर दी जाय अन्यथा "आसमान से चुआ और खजूर में लटका" वाली बात हो जायगी। तीसरी बात यह है कि टेस्ट वर्क्स जहां चालू किए गए हैं उनके अलावा वहां ५० मील का क्षेत्र ऐसा है जहां पर और टेस्ट वर्क्स चालू किए जाने चाहिए। इसी के साथ-साथ मैं यह चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका पूरा भाषण हो जायगा।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करें। यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिलाधीश कह दें कि भुखमरी से कोई मृत्यु नहीं हुई है, चाहे यह सरकार हो चाहे वह सरकार हो, लेकिन सात आदमियों की मृत्यु हुई है और वह अहमियत रखती है। इस लिए आप मुझे अनुमति दें। यह सही है कि यहां से बहुत प्रयास होते हैं। यहां से मन्त्री जी गए, राज्यपाल महोदय भी गए। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं और आश्वासन भी चाहता हूं कि आखिर अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने में क्या परेशानी है? आखिरी बात यह है कि किसी भी कीमत पर भुखमरी से मौतों को रोकना है। जो भी परिस्थिति रही हों उनका समाधान करते हुए भविष्य के लिए कोई स्थायी योजना बनानी चाहिए जिसके द्वारा काम किया जाय। भूमि का ठीक से वितरण होना चाहिए। इस तरह से काम होना चाहिए जिससे हम लोगों को कहने का मौका न मिले। वितरण व्यवस्था की कमियों को दूर किया जाय। जिलाधीश ने जो रिपोर्ट भेजी है कि भुखमरी से कोई नहीं मरा, यह इंसानियत से परे है।

श्री अध्यक्ष—

यह आप पहले कह चुके हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। भाषण न देकर आप स्पष्टीकरण करना चाहें, तो करें।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

श्रीमन्, सत्य है भाषण न सही, स्पष्टीकरण ही करता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि वितरण व्यवस्था को ठीक किया जाय और नौकरशाही की विडम्बना को दूर करते हुए वहां उचित प्रबन्ध किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब कृपा करके बैठिये। मैं यह कहना चाहूंगा माननीय सदस्यों से और प्रार्थना करूंगा कि जो मैं उनको अनुमति दूं तो उसका वे सदुपयोग करें। मैंने साफ साफ कहा था कि जो वक्तव्य आया है उस पर स्पष्टीकरण करना चाहें तो मैं उसकी अनुमति देता हूं। इस तरह से माननीय सदस्य अधिकार अपने हाथ में लेते हैं और नियम ५१ के अन्तर्गत और उसके बाहर फिर अन्तर क्या रह गया? नियम ५१ में मैंने अनुमति विशेष कारणों से नहीं दी थी। कारण यह था कि जो सामान्य विवाद चल रहा है, यह होने वाला था, उसमें सारी चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन इसके विशेष महत्व को देखते हुए मैंने वक्तव्य की अनुमति दे दी थी। वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण करवाने की बात तक तो ठीक था। बीच में टोकना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब माननीय अश्वनीकुमार जी ने जो बात कही है मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि बहुत संक्षेप में कृपया स्पष्टीकरण करने का यत्न करें।

श्री उदितनारायण शर्मा--

जो नोटिस दी गयी थी उसमें कहीं यह नहीं बताया गया था कि फलां-फलां आदमी फलां-फलां जगह मरे हैं। वरना मैं उसके बारे में सूचना संग्रह करवाता।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने तारीखें बतायीं और यह कहा कि उनके पास नाम हैं।

श्री उदितनारायण शर्मा--

वह मुझे नाम दे दें मैं जानकारी करवा लूंगा। चाहे वह मुझ से पूछ लें या माननीय अध्यक्ष के पास भेज सकता हूं। जैसी आज्ञा होगी वैसा हो जायगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ७ मौतें हुई हैं, वह किस तारीख से किस तारीख तक हुयीं?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री ने नहीं कहा कि सात मौतें हुयीं हैं। उन्होंने इनकार किया है।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

पिछले सदन में आजमगढ़ के सिलसिले में माननीय डाक्टर सीताराम की रिपोर्ट के सिलसिले में एक प्रश्न आया था। उसमें एक हफ्ते के अन्दर सदन की मेज पर रखने का माननीय मन्त्री ने माननीय मुख्य मन्त्री के कहने पर वादा किया था। लेकिन आज तक वह रिपोर्ट नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष--

आपने मुझे याद दिला दिया, मैं देख लूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अश्वनीकुमार "राकेश" ने मार्च अप्रैल के महीनों में यहीं पर आरोप लगाया था कि मिर्जापुर में १४० आदमियों की भूख से मृत्यु हुई थी। माननीय झारखंडे राय जब सदस्य थे तो स्वयं मिर्जापुर गए थे और उन्होंने विवरण दिया कि ३२ लोग भूख से मरे।

है। मैं जानना चाहता हूं कि अब माननीय अश्वनीकुमार "राकेश" जी ने जो खबर दी है कि सात आदमी जून के अन्दर भूख से मरे हैं, माननीय झारखंडे राय अब खाद्य मन्त्री हो गए हैं, तो क्या उन्होंने या राजस्व मन्त्री ने मिर्जापुर के जिलाधीश से यह पता लगाने का प्रयास किया है कि सात आदमियों की वास्तव में मृत्यु हुई है या नहीं?

श्री अध्यक्ष--

जहां तक सात आदमियों की मौत का सवाल है माननीय मन्त्री ने कहा कि उनकी जानकारी के बाद इन्क्वायरी करवाएंगे। यह प्रश्न दूसरा है कि माननीय राकेश ने पहले १४० मौतें बतायीं थीं और अब ७ कह रहे हैं। आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

राकेश जी ने मार्च-अप्रैल में १४० बताया था। माननीय झाखंडेराय ने इन्क्वायरी की थी कि ३२ आदमी मिर्जापुर में मरे थे। अब उन्होंने सात आदमियों के मरने की स्पेसिफिक शिकायत की है। तो क्या खाद्य मन्त्री या माल मन्त्री ने मिर्जापुर जाकर जिलाधीश से इस बात की जांच करवाई है कि सात आदमी मरे हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष--

यह स्पष्टीकरण करने की बात नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं जानकारी करवाऊंगा जो डिटेल्स अश्वनीकुमार जी ने दिए हैं। तो फिर अब प्रश्न रह क्या जाता है?

श्री त्रिवेणी--

आजमगढ़ की भी वही दशा होने वाली है जो मिर्जापुर की है।

श्री अध्यक्ष--

आपने ध्यान दिला दिया है। मैं उनकी जानकारी करके आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न परिस्थिति पर होने वाली चर्चा की तिथि में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

इसके पहले कि आयव्ययक पर विवाद शुरू हो, मैं एक सूचना माननीय सदन को देना चाहूंगा। कल माननीय गेंदासिंह जी ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि जो सूखे पर २९ तारीख को विवाद होने वाला है वह २९ तारीख को न होकर ३० तारीख को हो तो उनके लिए अच्छा और सुविधाजनक होगा। उस सुझाव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और अब सूखे पर विवाद २९ को न होकर ३० को ५ बजे के बाद-वक्तव्य के उपरान्त होगा।

कतिपय विषय

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--

यह जम्हूरियत है और इस में माइनारिटी की आवाज जरूर होनी चाहिए। लेकिन यह यहां होती नहीं है यह मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले ४ दिनों से बराबर खड़ा हो रहा हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाय, किन्तु मुझे कोई भी अवसर नहीं दिया गया। इस पर मुझे तो यही कहना आता है कि न कहने की इजाजत है, न फरियाद की है, घुट-घुट के मर जायें यही मर्जी मेरे सइय्याद की है।"

श्री अध्यक्ष--

अब तो आपने जबरदस्त मौका ले लिया।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

मैं भी ४ दिन से खड़ा हो रहा हूं। मैं भी माइनारिटी को रेप्रेजेन्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं यहां पर किसी को माइनारिटी और मेजारिटी में नहीं मानता हूं। सब का समान अधिकार है। मैं भरसक प्रयास करता हूं कि जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें उन्हें बोलने का अवसर मिले। फिर भी मेरे लिए यह सम्भव नहीं है कि यदि ४२४ या ४२६ मेम्बर बोलना चाहें तो मैं सभी को मौका दे सकूं। अब ध्यान रक्खूंगा कि जो माननीय सदस्य इस वाद-विवाद में बोले हैं उनके ऊपर दूसरों को वरीयता दूं अब आगे आने वाली प्राण्ट में।

१९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत) †

*वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)—

अध्यक्ष महोदय, कल सदन में मैं कह रहा था बहुगुणा जी से, कि जो उन्होंने सवाल किए थे, दुर्भाग्य से वह आज यहां पर नहीं हैं अत. अब उनकी आलोचनाओं का उत्तर देना मैं उपयुक्त नहीं समझता क्योंकि वह उपस्थित नहीं हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

यहां पर सभी बहुगुणा जी हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

ठीक है, मैं इतना ही कह सकता हूं, जो बहुगुणा जी ने कहा था कि इधर सब बेअक्ल हैं और उधर सब अक्ल वाले हैं। उधर हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनसे हम आशीर्वाद मांगते रहेंगे उनके आशीर्वाद और सहयोग का हम स्वागत करेंगे और अगर अक्ल की जरूरत पड़ेगी तो उसे बहुगुणा जी से मांग लेंगे वह उन्हीं से पूरी हो जायगी क्योंकि उनके पास बहुत है।

कल मैंने फूलसिंह जी को सुना, वह एक अच्छे किसान हैं, उनमें किसान का दर्द भी है। जो उन्होंने किसानों के बारे में कहा उस पर यह सरकार गौर भी करेगी लेकिन वह इस सीमा तक बढ़ गए जिसकी मुझे उनसे आशा नहीं थी। उन्होंने कहा इस देश के किसान युवक का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसका वजन और कद घट रहा है। सन् १९६२ में चीन की लड़ाई के वक्त जब किसानों पर लगान बढ़ा तो आंकड़े पेश करते हुए डिफेंस मिनिस्टरी के हवाले से मैंने बतलाया था कि जवानों का सीना, उसका कद और उसकी लम्बाई तथा वजन, यह सब कम हो रहा है, इसलिए किसानों पर लगान मत बढ़ाओ, तब माननीय फूल सिंह जी लगान बढ़ाने का समर्थन कर रहे थे। उस समय उन्हें जवानों की क्रय-शक्ति कम हो रही है, यह महसूस नहीं हुआ। तो आज उनकी एक बात सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह यह कि उन्होंने कहा कि खुराक की कमी से जवानों में आज शक्ति कम हो रही है और विदेशी लोग भले हैं जो इस वक्त इस देश पर हमला नहीं कर देते वरना इस देश की तबाही हो जाती। इस से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस देश और प्रदेश की जनता—चाहे चीन का हमला हो, चाहे पाकिस्तान का हमला हो, चाहे वह नंगी रहे, चाहे भूखी रहे, फिर भी जो विदेशी इसकी तरफ आंख उठावेगा, हमारे देश की जनता उसका मुकाबला करेगी, हमारी सेना उसका मुकाबला करेगी। यह देश राणा प्रताप का देश है जिसने घास की रोटी खा-खा कर आजादी की रक्षा के लिए दुश्मनों का मुकाबला किया था और माननीय फूलसिंह जैसे बुजुर्ग आज उनके लिए ऐसी बातें कहते हैं। मैं मानता हूं कि आज कुछ महंगाई बढ़ी है लेकिन महंगाई के कारणों की आपने जांच भी की है? आपके १८ दिन के राज्य में कितनी महंगाई थी और आज क्या है? साथ ही आपको यह भी देखना है कि हालात किस तेजी से बदले। अभी इसराईल और अरब राष्ट्रों में जो लड़ाई हुई थी, क्या उसका असर यहां नहीं पड़ा? आप श्री जगजीवन राम के बयान

---

†२६ जून, १९६७ को कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को ही पढ़ लें, उन्होंने स्वयं कहा है कि स्वेज नहर के बन्द होने की बजह से गल्ला रुका पड़ा है। क्या उसका असर नहीं पड़ा? हरियाना और पंजाब को हमारे जोन से अलग कर दिया गया, क्या उससे हमारे गल्ले पर असर नहीं पड़ा? उसका असर पड़ा है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने उनको हमारे जोन से तब अलग किया जब कि यहां गैर कांग्रेसी सरकार बन गयी। मैं केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि इस हालत में इस जोन से उनको अलग नहीं होना चाहिए था।

अब मैं आपको बतला दूं कि पूर्वी अंचल में भी मैं गया था, हमारे पूर्वी अंचल में गल्ला कम हुआ है, इससे इन्कार नहीं है। मैं पूर्वी अंचल के हर जिले में गया हूं और वहां की हालत देखकर आया हूं। जहां गल्ला कम पैदा हुआ है, बावजूद इसके भी वहां अन्न की वसूली हुई है और वहां के किसानों से खुशी से गल्ला दिया है। लेकिन हमारे भूतपूर्व मन्त्री लोग जो कि आज विरोधीपक्ष में बैठे हुए हैं उनमें से किसी ने यह नहीं बतलाया है कि उनकी अन्न वसूली योजना क्या थी। उस वक्त तो वे सर्वेसर्वा ही थे। हमारी जो अन्न वसूली योजना है उसको मैं बतला दूं कि बुन्देलखंटड में तो हमने १२ एकड़ तक के किसानों को इसमें छोड़ दिया, गोरखपुर डिवीजन के १२ एकड़ तक के किसानों को छोड़ दिया और ८ एकड़ तक वाले इस प्रदेश के सारे किसानों को छोड़ दिया और बाग वगैरह को भी छोड़ दिया। देश की आर्थिक कठिनाई व खाद्य समस्या को देख कर ही हम इस प्रदेश के किसानों से अन्न की भीख मांग रहे हैं और सारे प्रदेश के किसानों ने बड़ी खुशी से इस अन्न वसूली योजना का स्वागत किया है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं। तीन जिले तो जो हमारा अनुमान था उससे आगे जा चुके। इसमें पहले नम्बर पर जिला बुलन्दशहर है जो अपने यहां से १०९ प्रतिशत गल्ला दे चुका है। दूसरे नम्बर पर बदायं है और तीसरे नम्बर पर मेरठ जिला आता है। ये जिले ऐसे हैं जिन्होंने अपने टार्गेट से अधिक अन्न दिया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा अन्न देने वाला जिला अलीगढ़ है और इसके लिए मैं अलीगढ़ के किसानों को बधाई देता हूं। दूसरे नम्बर पर मेरठ, तीसरे नम्बर पर मुजफ्फरनगर और चौथे नम्बर पर मुरादाबाद आता है तथा बुलन्दशहर जिले का नम्बर पांचवां आता है।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया और गोरखपुर के किसानों ने गल्ला वसूली योजना के अन्तर्गत जो कि उनके ऊपर आयद थी, उन लोगों ने बड़ी खुशी से गल्ला दिया है और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इस अन्न संकट को समझ कर....

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विकल जी ने पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में अन्न वसूली सम्बन्धी जो सूचना दी है, वास्तविकता यह है कि वहां सीमेंट और चीनी किसानों को न देकर, सब का सब ब्लैक मार्केट में गया है और उन्होंने सदन को गलत सूचना दी है कि देवरिया व गोरखपुर के अन्दर किसानों ने खुशी से अन्न दिया है....।

श्री रामचन्द्र विकल—

गाजीपुर भी मैं गया था। वहां की भी सही सूचना मैं देने जा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब तक माननीय सदस्य बोल रहे हों, आप उनसे कुछ नहीं पूछ सकते हैं?

श्री रामचन्द्र विकल—

तो मैं उनसे कहूंगा....

श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)--

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हम किसानों से भिक्षा मांगेंगे। कल जब मैंने प्रश्न किया था तो माननीय खाद्य मन्त्री जी ने कहा था कि अगर किसान नहीं देंगे तो उनके साथ कानूनी कार्यवाही की जायगी। तो भिक्षा मांगना और कानूनी कार्यवाही करना एक बात है क्या?

श्री अध्यक्ष--

श्री विश्वनाथ जी, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, यह दुर्व्यवस्था है। जब एक माननीय वक्ता बोल रहे हों तब यदि कोई वैधानिक कठिनाई हो तभी व्यवस्था का प्रश्न आ सकता है। लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न कह कर व्यवधान उपस्थित करें तो वह अनुचित है।

श्री रामचन्द्र विकल--

तो इस गल्ला वसूली के सम्बन्ध में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

व्यवधान यह बिलकुल अनुचित है, आप इंटरेप्शन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से व्यवधान उत्पन्न करना अनुचित है।

श्री रामचन्द्र विकल--

मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस प्रदेश के किसानों को इस सरकार पर पूर्ण विश्वास है और इसी आधार पर वह समझते हैं कि थोड़ा सा गल्ला जो हम दे रहे हैं उससे कई गुना अधिक लाभ उनका यह सरकार करने वाली है। मैं माननीय ठाकुर फूलसिंह जी की सूचना के लिए सहारनपुर जिले का आंकड़ा रखना चाहता हूं। मिलों पर जो किसानों का बकाया रहता था और जो कांग्रेस की सरकार पिछले वर्षों में नहीं वसूल करा सकी थी, जैसे इकबालपुर, देवबन्द, नक्सर, मुजफ्फरनगर, देवरिया, सभी जिलों पर जो बकाया किसानों का रहता था और पहली सरकार के जमाने से चला आ रहा था वह आंकड़े आप मंगा कर देखें। इस सरकार ने वसूल करवा दिए और उनको वह रकम इस नयी सरकार ने लौटवा दी है। और आज एकाध मिल मालिक तो गैर हाजिर हो गए हैं। जो पहले की सरकार थी वह मिल मालिकों को छूती नहीं थी। तो किसान ने आपके कारनामों को देखा था और आज वह इस सरकार की नीयत और इरादों को जानते हैं।

यहां आलोचना हुई मन्त्रियों के दौरों की। कहा गया कि हमने २० वर्षों तक दौरों की चर्चा नहीं की। मैं तो जब आपके साथ था तब भी कहता था और वहां विरोधी दल में तो सिर्फ १८ दिन ही रहा था। तो बड़ी चर्चा की गयी दौरों की और कुछ बुजुर्ग भाइयों ने की और जब ठाकुर फूलसिंह जी जैसे भाई ने की तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे नहीं मालूम कि जब वे मन्त्रिपरिषद् में थे तब वह दौरे के बारे में क्या किया करते थे, लेकिन मैं कहता हूं कि इस सरकार ने निश्चित राय दी है कि अब तक किसान मन्त्रियों और सरकारी कर्मचारियों के दरवाजे खटखटाते रहते थे और धक्के खाते रहते थे, लेकिन अब मन्त्री और सरकारी कर्मचारी जनता के बीच जायेंगे और धक्के खायेंगे। सारे प्रदेश की जनता ने देखा कि हम उन इलाकों में गए जहां जनता भूख से मर रही थी और उन इलाकों में जाकर वहां कांग्रेस दल के सदस्यों को साथ ले कर कपड़ा और अनाज बटवाया है। हमने जनता के दुख-दर्द को मौके पर जाकर देखा है और उनका समाधान किया है। हमने मौके पर फैसला लिया है। हमने प्रत्येक जनता की कठिनाई को मौके पर समझा फैसला लिया और उसका असर जनता पर हुआ और उसका स्वागत किया गया।

श्रीमती कलारानी (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपके समक्ष अभी विकल जी ने कहा कि कांग्रेस इतनी खराब है तो फिर आपने कांग्रेस का टिकट क्यों मांगा था ?

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल--

कलारानी जी ने एक ऐसा सवाल पूछा है कि जिसका उत्तर देना मैं जरूरी समझता हूं । मैं आपके माध्यम से कलारानी जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता मेरा टिकट काटकर आज पछता रहे हैं, यह मुझे जानकारी है । दूसरी बात यह है कि मैंने जनता के सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जिसको कांग्रेस के नेता भूल चुके थे कि जनता भी कोई शक्ति है । जनता के उस सुप्रीम कोर्ट में मेरा मुकदमा बहाल हो गया । जिन नेताओं ने मेरा टिकट काटा था चाहे वह त्रिपाठी जी हों या कामराज हों उनको जनता ने टिकट नहीं दिया । उनका मुकदमा वहां पर हार गया । मैं कांग्रेस के अन्दर की बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप देखिए कि आल-इण्डिया कांग्रेस कमेटी में किस तरह से लोग बोले हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला जौनपुर)—

मैं आपकी जानकारी के लिए इतना निवेदन कर दूं कि जिन्होंने इनका टिकट काटा था वह जीत कर आ गए और जिन्होंने इनका समर्थन किया था वह बेचारे हार गए ।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं इसमें गुप्ता जी का हरगिज कसूर नहीं मानता हूं । मुझे मालूम है कि उन्होंने मेरा समर्थन किया था और त्रिपाठी जी ने काटा था । मेरे टिकट की बात छोड़ दीजिए, लेकिन उन बातों को याद कीजिए जिनका रोना आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में रोया गया है । वहां कहा गया कि कांग्रेस वालों ने एक दूसरे को टिकट तो दिया मगर जीतने नहीं दिया । यह कांग्रेस का संगठन है जिसके टिकट को आप बड़ा महत्व देते हैं । मैं इन बातों को कहना नहीं चाहता था, लेकिन कलारानी जी ने एक ऐसा विषय छेड़ दिया जिसका स्पष्टीकरण मुझे करना पड़ा ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । और वह यह है कि कलारानी जी ने यह पूछा था कि विकल जी यह बतायें कि उन्होंने कांग्रेस का टिकट क्यों मांगा था ?

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जरा नियमों का भी ध्यान रखें । इस प्रकार से मेरे बार-बार कहे जाने पर भी व्यवस्था के प्रश्न की आड़ में खड़े होना और व्यवस्था के नाम पर दुर्व्यवस्था करना अत्यन्त अशोभनीय है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

अध्यक्ष महोदय, मेरे टिकट को काटने से कांग्रेस सरकार का ही टिकट कट गया । यह क्या बात है जरा इसको हमारे भाई सोचें ।

श्री जगदीशनारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अभी विकल जी ने सहारनपुर जिले के मिलों के संबंध में बताया, लेकिन मैं उनकी इत्तला के लिए यह कहना चाहता हूं कि इकबालपुर मिल पर किसानों का अभी भी १३ लाख रुपया बाकी पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष—

स्पष्टीकरण के लिए कुछ नियम हैं। इस समय में इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री जगदीशनारायण त्रिपाठी—

मैंने इसलिए यह जानना चाहा क्योंकि विकल जी ने अपने भाषण में दूसरी बात कही है।

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत अनुचित है कि व्यवस्था की आड़ में माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं और स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है और पार्लियामेंटरी पद्धति में इन्टरप्शन का अधिकार है बीच में, लेकिन जब जो माननीय वक्ता खड़े हों वह उनके खड़े होने पर बैठ जायं। अगर वह नहीं बैठते तो कृपा कर आपको खड़े नहीं होना चाहिए।

श्री रामचन्द्र विकल—

अध्यक्ष जी, अभी कुछ और बैठे हैं जो उधर से छूटेंगे। आप विश्वास कीजिए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी इस नयी सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं, कुछ काम किये हैं और वह काम किये हैं जो हमारे कांग्रेस के नेता नहीं कर सके हैं। आनरेरी मजिस्ट्रेट्स का मामला था। माननीय राममूर्ति जी ने उनको मासूम कहा था और वह चाहे जिसको मासूम कह देते हैं। यह उनकी दरियादिली है। मगर यह सच्चाई है कि आनरेरी मजिस्ट्रेट्स को हटाने की मांग जहां जनता की तरफ से थी वहां कांग्रेस वालों की तरफ से भी थी। लेकिन हम फंसते गए और उनकी अधिकार-सीमा बढ़ाते गये। उस काम को इस नयी मंत्रि-परिषद् ने जल्दी ही फैसला लेकर किया और निस्संकोच हो कर किया।

शिक्षण संस्थाओं से जात बिरादरी मिटाने का काम एक महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारी काम था जिसको इस सरकार ने किया है। इसके लिए प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से भी आते रहे, लेकिन जिन जातियों के नाम से वे शिक्षण संस्थायें होती थीं, यह सच है कि उन जातियों के विद्यार्थी और अध्यापक तो उन में अहंकार का जीवन बिताते थे और दूसरी जातिके विद्यार्थी और अध्यापक उन संस्थाओं में मायूसी का जीवन बिताते थे। आज हमने उसमें सुधार कर के जाति बिरादरी की जड़ को ही मिटा दिया है और साथ ही यह शर्त है कि ३० जून तक जो संस्थायें अपने नाम में परिवर्तन नहीं करेंगी उनको हम ग्रांट बन्द कर देंगे। इस प्रकार के निश्चय लेकर हमने दृढ़ता का परिचय दिया है, जिस दृढ़ता का परिचय आज तक कांग्रेस वालों ने नहीं दिया था।

पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजन सदस्य की नियुक्ति की बात थी। उसके लिए मांग होने पर भी कांग्रेस सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कमीशन में हमने एक हरिजन सदस्य की नियुक्ति की है। इसके लिए जनता की मांग थी। इसके अलावा भी हमने कुछ फैसले किए हैं।

१९ सूत्री कार्यक्रम की बहुत चर्चा है। अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम को यह सरकार अपनाना चाहती है। उससे इन्कार हमने नहीं किया, लेकिन हमने आर्थिक कठिनाइयों को देखकर, या जो कुछ भी हमको कांग्रेस से मिला, उसको समझ कर हमने प्रदेश की जनता से आज्ञा मांगी है और हमने उससे कहा कि हम अपने आर्थिक साधनों को बढ़ाते हुए अपने वादों को किस्तों में, टुकड़ों में पूरा करेंगे और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता ने इस बात का हार्दिक समर्थन किया है। उसने इस बात का स्वागत किया है कि हम टुकड़ों में अपने इस कार्यक्रम को पूरा करें। इसमें किसान के लगान की बात भी है। उसके लिए सरकार का इरादा है, लेकिन उसके लिए समय और सीमा क्या होगी इसका निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा और उस निर्णय को लेकर मुख्य मंत्री जी जल्दी ही इस संबंध में कुछ घोषणा

करेंगे। लेकिन जो कार्यक्रम में विषय दिए हुए हैं, लगान आदि की जो भी बात है, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और सरकार के इरादे उनके लिए पक्के हैं। हमारे जो भी कार्यक्रम हैं उनके लिए जनता की इच्छा देख कर, जनता से इजाजत लेकर, जैसे जैसे हमारे वित्तीय साधन बढ़ते जायेंगे वैसे वैसे हम बराबर उनको पूरा करते चले जायेंगे और जनता, और इस प्रदेश की खुशहाली में जिस कदर तेजी से काम करते जाना संभव होगा, उस तेजी से हम उसे पूरा करते जायेंगे।

श्री रामाश्रय राय (जिला आजमगढ़)--

इसके लिए समय की सीमा क्या होगी ?

श्री रामचन्द्र विकल--

उसकी सूचना आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। इसके अतिरिक्त कीमतों का जो सवाल है इसमें हमारे देश का चरित्र भी शरीक है। दुर्भाग्य से डाक्टर भी फीस जब बढ़ाता है जब मरीज घबराया हुआ और परेशान होता है। वकील की फीस तभी बढ़ती है जब मुकद्दमा उलझा हुआ होता है। व्यापारी भी दाम तभी बढ़ाता है जब अकाल पड़ रहा हो और कम पैदावार हुई हो। नाजायज फायदा उठाने और मुनाफा कमाने की ऐसे लोगों में प्रवृत्ति रही है। मैं क्षमा चाहता हूं, राजनीतिक लोग भी आन्दोलन तभी करते हैं जब कमजोरी में मामला होता है। तो कमजोरी से मुनाफा कमाने की इस देश की आदत रही है। यह हमारा राष्ट्रीय चरित्र है जिसमें आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष--

आप ५-६ मिनट में समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र विकल--

मै आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं और पहले भी कह चुका हूं। मैं विरोधी पक्ष में बैठकर भी काफी ढीला हो गया था और इधर आने पर तो बोलती बन्द है। मैं नहीं कहना चाहता वह बात, लेकिन जो यह छोड़ कर गये हमको तो केवल दो महीने का अनुभव हुआ, लेकिन जो लोग काफी दिन तक मंत्रिपरिषद् में रहे वह उधर जाकर इतनी जल्दी बदल गये और वहां जाकर जो ऐसे भाषण करते हैं वह २० साल तक कहां क्या करते रहे और कहते रहे हैं, यह देख कर आश्चर्य होता है। वह इतने बदल जाते हैं इस पर मुझे थोड़ा आश्चर्य है। नये सदस्य तो जो चाहें आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार जगह पर रहे और जो कठिनाइयों को जानते हैं वह आलोचना का स्तर कृपया उसी दर्जे तक रखें जिससे प्रदेश की मान्यता, परंपरा और जनतंत्र चल सकें। मैं आपका आभार मानता हूं और क्षमा चाहता हूं विरोधी पक्ष के नेता और विधायकों से। आलोचना और समालोचना का आपको हक है, हम आपके सहयोग की आकांक्षा करते रहेंगे।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--

इस पिछड़े हुए प्रदेश के इस सदन में कई दिनों से बजट पर वाद-विवाद हो रहा है। गरमी में आकर तेज बात कह देने, गाली-गलौज कर देने से न इस सदन की शान बढ़ेगी और न देश और प्रदेश का भला होगा। जरूरत इस बात की है कि हम गंभीरता से शांतिपूर्वक इन प्रश्नों पर विचार करें जो इस समय हमारे सामने और प्रदेश के सामने हैं। मेरी अपनी राय यह है कि गवर्नमेंट चाहे किसी तरह से बनी हो--उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता, काफी गरमा-गरमी हो चुकी है--लेकिन इस गवर्नमेंट को कुछ दिन रहना चाहिए और इसलिए रहना चाहिए कि आखिर यह ७-८ दल की गवर्नमेंट जिनके अलग-अलग सिद्धांत, अलग-अलग कार्यक्रम, अलग-अलग मैनिफेस्टो, अलग-अलग स्वाभाव, कैसे एक साथ चल सकेंगे, क्या नयी परिपाटी कायम करेंगे, किस तरह से प्रदेश का भला करेंगे यह जब तक जनता देख और जान न ले तब तक इस गवर्नमेंट को रहना चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

चौधरी साहब ने एक किताब लिखी है कि कोआपरेटिव फार्मिंग इस देश में नहीं चल सकती, मगर आज उन्हीं चौधरी साहब के ऊपर यह कोआपरेटिव गवर्नमेंट को चलाने की जिम्मेदारी आयी है। कोआपरेटिव फार्मिंग, जो कि जनता के हित में थी, जिससे प्रदेश को फायदा होता, उसके बारे में तो चौधरी साहब का विचार यह है कि वह चल नहीं सकती, लेकिन यह भिन्न-भिन्न पार्टियां, जिनके कि भिन्न-भिन्न सिद्धांत हैं, जिसके अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, जो अपने-अपने ढंग से समाज बनाना चाहते हैं, ये सब एक साथ होकर चल सकती हैं ? मैं पूछता हूं कि इस तरह से आप कौन से समाज की स्थापना करेंगे ? पोलीटिकल साइन्स का जो यह नया एक्सपेरीमेंट है इसको आप समझाइये।

श्रीमन्, यह कहा गया कि इसमें समाजवाद का नाम नहीं है। इसमें समाजवाद का का नाम कैसे आ सकता था ? एक पुरानी कहावत है कि जंजीर की मजबूती उनकी सबसे कमजोर कड़ी से हुआ करती है। इस सरकार में जो वीकेस्ट पार्टी है वह समाजवाद की विरोधी है। तो किस प्रकार समाजवाद का नाम इसमें आ सकता है ? (व्यवधान) क्या जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी समाजवाद का इसमें नाम लेकर अपने आपको धोखा देतीं ?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)--

अगर किसी एक संस्था में बड़े से बड़े सेठ और के० डी० मालवीया रह सकते हैं तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि यह सब दल एक साथ रह सकें ?

श्री मोहनलाल गौतम--

मुझे उम्मीद थी कि चौधरी साहब कुछ ज्यादा जिम्मेदारी का सवाल करेंगे, चौधरी साहब जितने दिन कांग्रेस सरकार में रहे हैं कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उतने समय सरकार में रहा हो। चौधरी साहब को मालूम है कि कांग्रेस एक एन्टी इम्पीरिअलिस्टिक कौम थी. . . (व्यवधान) कांग्रेस वह जमात थी जो एक संयुक्त मोर्चे के रूप में थी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसने अंग्रेजों को यहां से निकाला और इस सदन में जितनी भी पार्टियां बैठी हुई हैं उन सभी के नेता कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस में ही रह कर उन्होंने कुछ सीखा है, कुछ फायदा उठाया है। पी० एस० पी, एस० एस० पी, जन संघ, रिपब्लिकन, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी के नेताओं ने कांग्रेस में रह कर फायदा उठाया है . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं इधर के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि आप ही अगर इस तरह से टोकेंगे तो भाषण नहीं हो सकता। कृपया आपस में बातचीत न किया करें, पूर्ण शांति बनाये रखें।

श्री मोहनलाल गौतम--

तो मैं अर्ज कर रहा था कि कांग्रेस एक ऐन्टी इम्पीरियेलिस्ट फ्रन्ट था जिसमें राइट से राइट और लैफ्ट से लैफ्ट सब थे। उन्होंने कांग्रेस में अभी भी यही देखा है। ऐसे नहीं कि जैसी नई सरकार बनी है कि अगर उसमें कोई चीज हो तो वहां माईनारिटी और मेजारिटी तय कर लेती है। मैं चौधरी साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि वे मिसाल इसके साथ न जोड़ते। अगर केशव देव मालवीय माईनारिटी में हैं तो उनको चुप रहना पड़ेगा। दूसरे लोग कहते हैं कि अगर ६ महीने में हमारा प्रोग्राम नहीं होगा तो हम अलग हो जायेंगे। परन्तु यहां वह बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक है, यहां मैजारिटी से फैसला हो जाता है और आपके यहां अनुशासन में नहीं रह सकते। धमकी क्या दे रहे हैं कि अगर इतने दिनों में लैण्ड रेवन्यू माफ नहीं हुआ तो हम हट जायेंगे, इन लोगों ने अपना एक उद्देश्य नहीं बनाया है। कांग्रेस में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी, जब कि नेता अपने मिनिस्टरों के बारे में कह रहे हों। डाक्टर

लोहिया ने दो तारीख को पटना में जो कुछ अपने मिनिस्टरों के बारे में कहा, मैं उसको पढ़कर सुना रहा हूं :—

"ही वाज आलसो क्रिटिक्ल आव दि पर्फार्मेंस आव दि बिहार मिनिस्टर्स इन जनरल एण्ड एस० एस० पी० मिनिस्टर्स इन पर्टीकुलर एण्ड सैड, देअर उड बी मोर आव रिएलिज्म लैस आफ बर्बलिस्टी देअर मिनिस्ट्री हैज सम मारेली लैपर्स इन इट"।

श्री अध्यक्ष—

कृपया इसका अनुवाद कर दें।

श्री मोहनलाल गौतम—

लोहिया साहब ने कहा कि बिहार की मिनिस्ट्री में एस० एस० पी० वाले कोढ़ी हैं। यह लोहिया ने अपने मिनिस्टरों के बारे में कहा है।

श्री अध्यक्ष—

उसमें से कुछ कोढ़ी हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—

बिहार के लिए कहा है यू० पी० के लिए नहीं। कांग्रेस में चौधरी साहब कोई मिसाल आपको ऐसी नहीं मिलेगी। अगर लीडर कह दे कि कांग्रेस के मिनिस्टर कोढ़ी हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप क्या मिसाल दे बैठे चौधरी साहब जल्दी में आकर। ऐसी मिसाल घर पर दे देते तो मैं चुपके से सह लेता।

खाद्य मंत्री (श्री झारखण्डेराय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कांग्रेस का १९४७ में जो कैरेक्टर था वह आवाड़ी के बाद परिवर्तित हुआ है या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—

कोशिश की जा रही है कि वह पोलिटिकल पार्टी के अनुरूप चले, सोशलिज्म लाया जा रहा है, रेजोल्यूशन पास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पोलिटिकल पार्टी का कैरेक्टर नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय दस मिनट के करीब और है। प्रश्नों के उत्तर के बजाय आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मोहनलाल गौतम—

यह नया जो पोलिटिकटल ऐक्सपेरिमेंट हो रहा है, मैं चाहता हूं कि उसको मौका दिया जाय। वह यह कि प्राइवेट फर्म्स में यह हुआ करता था कि प्राइवेट कंपनी बनी, उन्होंने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस के आखिर में जब देखा कि इतने से काम नहीं चलता, २६० करोड़ का प्लान एक शुगर फैक्ट्री का था, कोशिश करते रहे और २२० करोड़ तक पहुंच गये। ४० करोड़ की कमी रह गयी और जिसने ४० करोड़ दिया उसने २२० करोड़ वालों पर अधिकार कर लिया। इसी बिजनेस कंपनी की तरह से यह सरकार बनी हुई है। २०२ और २०४ की गिनती में कुछ कमी रह गयी और १७ आदमी जन कांग्रेस के नाम से आ गये और उन्होंने सब के ऊपर अधिकार जमा लिया। यह नया ऐक्टपेरीमेंट है कि चीफ मिनिस्टर की मैजारिटी अपने दल में न हो। चीफ मिनिस्टर हो और कैबिनेट में उसका बहुमत न हो। अच्छा है। अंग्रेजी में तो एक कहावत है—यू आर इन आफिस नाट इन पावर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की चीज शोभा नहीं देती। एक सीनियर मेम्बर बोल रहे हैं और आप उनको इस प्रकार से इन्टरप्ट करें।

एक सदस्य--

मेम्बर तो सब बराबर हैं। मेम्बरों में जूनियरिटी सीनियरिटी तो होती नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, सब मेम्बरों के बराबर अधिकार होते हैं। लेकिन मेंबरों को संयम भी तो रखना होता है। संयम रखने की ही यह अपेक्षा है कि आप किसी को यह न बतायें कि बजट पर क्या बोलना चाहिए और क्या न बोलना चाहिए।

श्री मोहनलाल गौतम---

माननीय चौधरी साहब से इधर मिलना जुलना बन्द हो गया है, इसलिए यहां उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि उनकी चीफ मिनिस्टरी उस वक्त अच्छी तरह से चल सकेगी और अपनी पालिसीज को उस समय अमल में ला सकेंगे जब कैबिनेट में वे अपनी मेजारिटी बना लेंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि वे अपनी मिनिस्ट्री में १० जनकांग्रेस के आदमी और ले लें। नहीं तो जिस प्रकार कांग्रेस में मंत्री रहते हुए भी वे असंतुष्ट रहे और पालिसीज को अमल में नहीं ला सके, उसी प्रकार से यहां भी वे अपनी पालिसीज को अमल में नहीं ला सकेंगे और तमाम पार्टियों को उनको कह देना चाहिए कि जब तक मैं चीफ मिनिस्टर हूं तब तक वे माइनारिटी में रहेंगीं और उसी प्रकार से प्रदेश का भला हो सकता है।

यह भी कहा गया कि कांग्रेस के हाथ में इतने दिनों तक पावर रही, इसीलिए यह सब तबाही हुई। ठीक है, वे आज चाहे जो कुछ कह सकते हैं। आज आन्दोलन को खत्म हुए २२-२३ साल हो गये हैं। उससे पहले जिन लोगों को होश नहीं था, जो लोग बालिग नहीं थे, उन लोगों को अगर यह न मालूम हो कि कांग्रेस ने क्या किया, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्यों जन्म ही उन्होंने बाद में लिया। लेकिन आज सारा संसार मानता है और इसके कहने में किसी को हिचक नहीं है, हया नहीं है, शर्म नहीं है कि कांग्रेस ने एक नये ढंग से शांतिपूर्वक स्वराज्य प्राप्त किया। वे सारी बातें इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई हैं और अद्वितीय हैं। स्वराज्य मिलने के बाद ६००-७०० रियासतें जो अलग-अलग थीं उनको समाप्त करके उनमें डेमोक्रेसी कायम की। सरदार पटेल का यही काम बिस्मार्क से बहुत बड़ा है। इस बात को इतिहास मानता है, संसार मानता है।

मैं जब दुनिया की पार्लियामेंटों में जाया करता था और उस जमाअत में शरीक होता था जहां कि दुनिया की पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि आते थे तो वहां हमारे बारे में कहा जाता था कि 'ग्रेटेस्ट अचीवमेंट आफ इंडिया इज दि इन्टेग्रेशन ऐण्ड डोमोक्रेटाइजेशन आफ इंडियन स्टेट्स।' भारत में जो सब से बड़ा काम हुआ है वह रजवाड़ों का जनतांत्रिक रूप से शामिल होना है। रियासतों का खात्मा किया गया, यह कांग्रेस ने ही किया यह किसी और ने नहीं किया था और उस वक्त आप सब लोगों के जितने बड़े नेता थे वह हमारे साथ थे। आप भी उसके हिस्सेदार हैं मैं इसे मानता हूं और इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वह यश कांग्रेस के ही नाम रहेगा। उसके भागी पी०एस० पी, एस० एस० पी, जन संघ वाले कोई और नहीं हो सकते। नाम कांग्रेस का ही होगा वह आप में से किसी के दल का नहीं होगा। सारे रजवाड़े खत्म किए गए, जमींदारी खत्म की गई और आज जो हमारा भारत का संविधान है उतने अच्छे दुनिया के और कोई संविधान नहीं हैं या कम हैं। जिस तरह की यहां की डेमोक्रेसी और सिकुलरिज्म है वह दुनिया में और कहीं नहीं है। जो हमारी औद्योगिक नीति रही है और तरक्की इस देश में कांग्रेस के जामने में हुई है वह भी कम नहीं है, यह ठीक है कि उस से अधिक होती तो अच्छा था। जो लोग ४०-५० से कम उम्र के हैं उनको इतिहास यहां पूरा बताना पड़े

यह मुझे शोभा नहीं देता; लेकिन आज जरूरी हो जाता है जब उधर से ऐसी बातें आती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस तो बहुत बुरी चीज थी, बड़ी खराब चीज थी, लेकिन जब आपने यह पोलिटिकल अलायेंस बनाया और एस० वी० डी० बना तो आपने सबसे पहले विकल जी को अपने उस दल का नेता चुना और जब आपने सरकार बनाने की बात सोची तब भी आपने कांग्रेस के ही आदमी को अपना नेता चुना जिस को गुप्ता जी से, कमलापति जी से और मुझ से ज्यादा सरकार का तजुर्बा है। यह सम्मान आपने उनको दिया क्या इसीलिए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? मैं मान लूं कि कांग्रेस खराब थी, लेकिन उस कांग्रेस में क्या बराबर चौधरी चरण सिंह जी शामिल नहीं थे? वह सबसे ज्यादा सरकार में रहे और कांग्रेस की पालिसीज में उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कांग्रेस को गालियां जरा सोच समझ कर दी जायं कम से कम जब तक चौधरी चरण सिंह उनके साथ हैं, थोड़ा सा लिहाज उन की चीफ मिनिस्ट्री का तो किया जाय जब आपने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है। हमारा लिहाज आप चाहें न करें।

विकल जी ने कुछ किसानों की बात कही। मैं समझता था कि उन्होंने किसानों और उनके आन्दोलनों का कुछ इतिहास जरूर पढ़ा होगा हालांकि उम्र तो उनकी अभी कम है। मैं उन को बता दूं कि सन् २०–२१ से कांग्रेस के नेताओं ने बराबर किसानों के आन्दोलनों में भाग लिया है और मैंने भी उसमें हिस्सा लिया है। क्या मैं उनको बताऊं कि हम में वह लोग हैं जिन्होंने सन् ३१ में केन्द्रीय किसान सभा बनाई और किसानों की मांगों को लेकर आगे बढ़े और उस वक्त वह दशा थी कि जमींदार लगान के अलावा किसानों से २५ तरह के और कर लेते थे, जो नाजायज थे। और क्या मैं उनको यह भी बताऊं कि सन् ३६ में हमने आल इंडिया किसान सभा बनाई और सन् ३४ में ही हम ने जमींदारी खत्म होने की आवाज उठाई और उस को लेकर ९ मास तक मैं जेल में रहा और सब से पहला आदमी भारत में मैं था जिस ने यह नारा बुलन्द किया। क्या मैं उनको यह बताने की कोशिश करूं कि जितनी गलत बातें और ज्यादतियां किसानों पर होती थीं हमने सन् ३७ में हुकूमत में आने पर किसानों के लिये हीनहयाती हकूक दिलाये और उस में मेरा भी हाथ था और बहुत से इधर बैठने वाले लोगों का हाथ था। आप के यहां छतारी में ही हालत यह थी कि अगर बिना इजाजत कोई अपने घर को सफेद पुता लेता था या मोरी में नई ईंट लगवा देता था तो उखाड़ दिया जाता था और ईंट हटा दी जाती थी। वह जमींदारी की हालत थी। आज वे कहां हैं? यह सब किसने किया था? उस पर आप किसान की बातें कहते हैं और हमको सिखाते हैं कि हम किसानों के नहीं हैं। आपको अधिकार है सब कुछ कह लीजिये, लेकिन इतिहास को देखिये और संजीदगी से काम कीजिये। अपोजीशन का रोल न प्ले कीजिये। सरकार की तरफ से बात कीजिये।

एक भाषण में यहां पर कहा गया कि दूसरी और तीसरी योजनाओं में खेती पर कुछ काफी जोर नहीं दिया गया है। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ यह कहूंगा कि सेकिन्ड प्लान पीरियड में और थर्ड प्लान पीरियड में खेती पर कितना व्यय हुआ। मैं यह पूरे भारतवर्ष के सम्बन्ध में, यू० पी० के सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता हूं कि सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में जो खेती पर व्यय हुआ वह १ हजार ७४० करोड़ रुपया केवल एग्रीकल्चरल सैक्टर में था। थर्ड फाइव ईयर प्लान में ३ हजार, १७२ करोड़ व्यय हुआ और चौथी फाइव ईयर प्लान में ५,५१९ करोड़ रुपया व्यय हुआ। इस रुपये में स्टील प्लान्ट बनाने, पावर हाउस बनाने और फर्टिलाइजर और कम्युनिकेशन का खर्च नहीं है। क्या खेती के औजार बिना स्टील प्लान्ट लगे, और क्या ट्यूबवेल बिना पावरहाउस के बने चल सकते हैं? हमें देखना केवल यह है कि इतना रुपया लगाने पर भी हमारी पैदावार नहीं बढ़ी है, इसका क्या कारण है? इसको आप सोचें और हम भी सोचें।

अब आपके १९ प्वाइंट प्रोग्राम के बारे में कुछ थोड़ा सा कहना चाहता हूं और वह यह है कि ईमानदारी का तकाजा है कि हम अपने आपको धोखा न दें और जनता को धोखा न दें। यह जो १९ प्वाइंट प्रोग्राम था यह राज्यपाल महोदय के भाषण के संशोधन के रूप में आया था।

[श्री मोहनलाल गौतम]

राज्यपाल का भाषण एक साल की पालिसी का था । मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं विस्तृत रूप में बताऊं । लेकिन ईमानदारी का तकाजा है कि भाषण का जो प्रस्ताव था धन्यवाद का, उसको गिरा देते तब तो कोई कमिटमेंन्ट नहीं था, लेकिन यह १९ प्वाइंट का प्रोग्राम लाकर उन्होंने कमिटमेंन्ट किया है । और किया क्या है यह भी देखने की बात है । इन्होंने केवल २ काम एचीव किये हैं और कामों में तो कमेटियां ही बना दी हैं । एक तो इन्होंने आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के पदों को समाप्त किया है । उस पर तो बहुत बहस हो चुकी है और दूसरा जो काम इन्होंने किया है वह है भूमि भवन कर माफ किया जाना । जहां तक इस कर के हटाने का सम्बन्ध है, मैं तो कहूंगा कि इन्होंने अमीरों का साथ दिया है, गरीबों का भी कुछ साथ दिया है क्योंकि इसमें गरीब भी शामिल हैं, लेकिन मैं समाजवादियों से, फाइनेन्स मिनिस्टर से और विशेषरूप से माननीय झारखंडे राय जी से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने १०-१० लाख रुपये की इमारतें बना रखी हैं, उनका भूमि भवन कर माफ करके अमीरों को और अमीर नहीं बनाया है ? क्या गरीब और अमीर में अन्तर नहीं बढ़ा है ? क्या यही समाजवाद है ?

एक बात याद रखिये, इस वक्त मोटे रूप में तीन पार्टियों में देश बंटा हुआ है । लैफ्ट, राइट और सेन्टर । कांग्रेस को हम सेन्टर मानते हैं । लेकिन मैं लैफ्ट से कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट और एस० एस० पी० से कहना चाहता हूं कि, संसार का इतिहास बताता है कि जब लेफ्टिस्ट पार्टीज राइटिस्ट्स के साथ मिल कर काम करेंगी तो वहां हिटलर आयेगा । समाजवाद नहीं आयेगा । आप समाजवाद का नाम नहीं ले सकते । आप ने संशोधनों में पास किया था कि फूड ग्रेन्स में आप ट्रेडिंग करेंगे । इस जन्म तो आप नहीं कर सकते हैं, यह मेरा दावा है क्योंकि सबसे बड़ा पार्टनर है इस फर्म में, जिस का सबसे बड़ा शेयर है ९९ का वह तो स्टेट ट्रेडिंग नहीं करने देगा क्योंकि माननीय गंगा राम तलवाड़ का संशोधन था कि कानपुर में जो कम्प्लीट राशनिंग है उस को कम कर दिया जाय । इसलिये जब लैफ्ट पार्टीज राइट के साथ मिल कर सोशल डेमोक्रेट्स को जिस प्रकार जर्मनी में खत्म करने के लिये कम्युनिस्ट ने अपनी आग बुझायी थी तो वह हिटलर को लाया । उसी तरह से आप हिन्दुस्तान में वह तवारीख लाना चाहते हैं । याद रखिये आप फासिज्म की तरफ जायेंगे, समाजवाद की तरफ नहीं जायेंगे ।

माननीय विकल जी अध्यापक थे पुराने इसलिये उन्होंने संशोधन पेश किया कि अध्यापकों की तनख्वाह १५० रु० होगी । ठीक है । सब क्लास कांशस होते हैं । उस के बाद यह कह दिया कि बराबर के काम के लिये बराबर वेतन होगा । इस सिद्धान्त को स्वीकार कर के, क्या आप सेक्रेटरीज और सुपरवाइजर्स की भी १५० रु० तनख्वाह करेंगे ? किसी की नहीं कर सकेंगे ? आप ने कहा कि हम यह माफ कर देंगे, वह माफ कर देंगे । हिसाब लगाया कि सरकार कितना माफ कर देगी । २०० या २५० करोड़ रु० हो जायगा इस प्लान पीरियड में । सारे प्लान में हम पहले ही और स्टेट्स से २, ३ प्लान पीछे हैं तो हमने कहा कि कुछ तेजी से आगे बढ़ना चाहिये इसलिये १४०० करोड़ रु० की योजना बनायी । माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि तीसरी योजना का दुगुना कर लो । लेकिन स्वीकार हुई ९२६ करोड़ की योजना । अब ९२६ करोड़ में से सैंटर देगा ४९५ करोड़ यानी ५३.५ परसेंट और स्टेट देगा ४३१ करोड़, यानी ४६.५ परसेंट पड़ता है । अब जब स्टेट ४३१ करोड़ रु० नहीं देगी तो जाहिर है कि स्टेट प्लान घट जायगा उसी अनुपात से । अगर इतना प्लान घट जायगा तो मैं पूछता हूं कि आप का प्लान कितना रह जायगा ? आपने २००, ३०० करोड़ का खर्च घटा लिया, कुछ आमदनी कम कर ली और नये टैक्स लगायेंगे नहीं तो फिर आप कितना प्लान बना रहे हैं यह मुझे बतायें ? किसान की राय है कि १ बीघा जमीन पर, एक एकड़ पर ५ रु० लगान देता है, एक बीघा जमीन पर वह १२ मन पैदा करता है और १२ छटांक लगान दे सकता है । आप मालगुजारी माफ करने के लिये प्लान को कम कर दें, उस की सहूलियतों को कम कर दें, यह एक तस्वीर है । और मालगुजारी माफ न करें, उस रुपये से सड़कें बनवा दें, पुल बनवा दें उन नालों के जिन में हर साल २, ४ बच्चे डूब जाते हैं, उनके लिये शिक्षा, अस्पतालों, बिजली तथा ट्यूबवेल की व्यवस्था कर दें तो

किसान को ज्यादा फायदा होगा बजाय इसके कि एक बीघा पर १२ छटांक गेहूं जो किसान दे रहा है उसका लगान आप माफ कर दें। मैं किसान सभा का फाउंडर रहा हूं। उस वक्त से ले कर आज तक मेरी राय यही थी।

इस साल का प्लान १४५.६ करोड़ का है जिसमें ६० परसेंट सेंटर देगा और ४० परसेन्ट प्रदेशीय सरकार। अब सवाल यह है कि बाकी तीन साल के लिये भी आपके पास है या नहीं ? नहीं है तो आपके रिसोर्सेज कितने कम हो जायेंगे और फिर प्लान कितना रह जायगा ? अगर प्लान कम रह जायगा तो तस्वीर क्या होगी, क्या क्या सहूलियतें आप दे सकेंगे ? जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ प्रदेश है वह कितना और पिछड़ जायगा ? मैं एस० एस० पी० के इलेक्शन मैनिफेस्टो से एक सेंटेंस पढ़ना चाहता हूं :—

"The S.S.P. knows quite well that extremist paper programmes which reduce the income and increase the expenditure of Government are wholly useless."

यह आपका इलेक्शन मेनिफेस्टो है जिस पर आपने यहां कार्य भार संभाला है। इस तरह की चीज आप न कीजिये जिससे आमदनी कम हो, खर्च ज्यादा हो। अगर प्लान खत्म हुआ, यू० पी० पिछड़ गया तो हम तबाह हो जायेंगे। लोगों को बहकाइये मत। नारों पर मत फूलिये। सालिड काम कीजिये। यदि आप देश को आगे ले जायेंगे तो जनता को समाजवाद में हिस्सा मिलेगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि कामन प्रोग्राम कितना ही आप बना लें यह समाजवाद नहीं लायेगा, हिटलरवाद लायेगा।

(इस समय १ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुये।)

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों से आज इस प्रदेश के बजट पर विचार हो रहा है। विभिन्न माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है किसी ने भी इस बजट की महानता को नहीं देखा। २१ वर्ष के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक बजट इसलिये माना जायगा कि आज इस बजट में इस प्रान्त की आत्मा झलक रही है। सर्व प्रथम इस प्रदेश में पहला कृषक मुख्य मंत्री हुआ है। और इस बजट में कृषि को प्रथम स्थान दिया गया है। जो कहा जाता है कि इस बजट में समाजवाद नहीं है तो मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं। समाजवाद का नारा लगा कर, समाजवाद के नाम पर २० वर्ष में इस प्रदेश को कहां लोग ले गये हैं वह उधर के सदस्य जानते हैं कि आज एक दो दिन का बच्चा भी ४६ रुपये का कर्जदार है। यही नहीं, समाजवाद के नाम पर अभी माननीय गौतम जी ने बहुत सी बातें कह डालीं, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर इस प्रदेश और देश को वह कहां से कहां ले गये हैं ? सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश को वे यहां तक ले गये, अब हम कहें तो कैसे कहें, कि हिन्दुस्तान में जिन लोगों को कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा था वहां हर मोर्चे पर हमें मात खानी पड़ी और जीते हुये स्थान को वापस करना पड़ा। अगर उन्होंने इसरायल के नमूने से कुछ सबक लिया होता तो उधर बैठे हुये माननीय सदस्यों को यह कहने की हिम्मत नहीं होती की योजना के नाम पर इस देश को कहां ले गये हैं। शायद उनके दिल को यही बातें कचोट रही हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि आज यह स्थान छूट जाने के बाद उधर बैठने वाले लोगों को चैन नहीं पड़ता है। आज किसान, मजदूर और सरकारी कर्मचारियों की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि यह सरकार उनके साथ अन्याय करती है। क्या उधर बैठने वाले माननीय सदस्य इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि उनके जमाने में सरकारी कर्मचारियों को सचिवालय के अन्दर लाठियों से पीटा गया ?

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णानन्द राय--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वह सचिवालय में कर्मचारियों पर किये गये लाठी चार्ज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुख्य मंत्री के घर के घेराव पर लाठी चार्ज किया गया यह शर्म की बात है ।

श्री बरमेश्वर पांडेय--

यह गलत है । गौतम जी ने कहा कि यह समाजवाद नहीं है, यहां जनसंघ के लोगों ने भूमि-भवन कर माफ कर दिया जिससे बड़े-बड़े पूंजीपतियों को लाभ हुआ है । मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य को भूमि-भवन कर की पूरी जानकारी नहीं है, हालांकि कानून उन्होंने ही बनाया था । उन्हें मालूम होना चाहिये कि चाहे दस रुपये देने वाला गरीब क्लर्क हो वह जब किराये पर मकान लेता था उस किरायेदार को भूमि-भवन कर देना पड़ता था । हमने उस गरीब को जो सौ, दो सौ रुपये पाकर किसी प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करता है उसकी ओर ध्यान कर के इस कर को माफ किया है । अगर हम आपकी योजनाओं को देखें तो जो लखपति था वह करोड़पति और अरबपति बन गया है और जो लखपति से कम था वह दरिद्र बन गया है । यह आपकी योजनाओं का कुफल रहा और आज आप हमसे कहते हैं कि बजट में योजना का कोई प्राविधान नहीं ।

आप कहते हैं कि कई तरह के लोग इधर बैठे हैं । अरे, आपको तो इसकी तारीफ करनी चाहिये और हमारे मुख्य मंत्री की तारीफ करनी चाहिये कि हम सब एक साथ मिल कर कार्य कर रहे हैं । आप तो एक दल में रहकर भी इस तरह से दलदल में फंसे हैं कि आप सरकार नहीं चला सके । इसका सबूत कर्मचारियों का विगत आन्दोलन, उनके ऊपर लाठी चार्ज, आपका आपस में लड़ाई झगड़ा है । मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको खुद समझना चाहिये । आपने जो देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई और आपस में जो थुक्का फजीहत हुई उसको देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन की आवाज की कद्र कर के एक ऐसी सरकार बनायी है जो इस उत्तर प्रदेश के इतिहास में ही नहीं बहुत जगहों के लिये एक नमूना है । आपने कहा कि हमने एक फर्म या कम्पनी बनायी है । लेकिन एक फर्म या कम्पनी कांस्टीट्यूशन अलग होता है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है । राजनीतिक दल बिजनेस का काम नहीं करते । यह तो कांग्रेस का काम था, आज है और रहेगा । कोई स्वस्थ्य राजनीतिक दल जो राजनीति चलाता है, वह कम्पनी की तरह, फर्म की तरह नहीं चलाता है, क्योंकि इस तरह से आप देश का उत्थान नहीं कर सकते हैं, समाज का उत्थान नहीं कर सकते हैं, विदेश नीति नहीं चला सकते हैं । इसलिये अब सोचना चाहिये और देखना चाहिये कि आज जनसंघ, कम्युनिस्ट और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एक जगह कैसे बैठ गयी ? यह जो संयुक्त सरकार है इसमें सम्मिलित होने से पूर्व नेताओं ने साफ शब्दों में घोषणा की है कि जनता के विचारों का आदर करते हुये हम इस सरकार में शामिल हुये हैं । हमारी अपनी जो स्थिति है वह स्पष्ट है, हम अपने स्थान पर हैं और वहां से आकर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो नीति के खिलाफ जाता हो । जनता की सेवा करना, प्रदेश की उन्नति करना, और प्रदेश को सर्वांगीण उन्नति के रास्ते पर ले चलने का काम प्रदेश के ८ करोड़ नागरिकों का है और हम प्रदेश के नागरिकों के प्रतिनिधि हैं, इस लिये हमारा कर्तव्य हो जाता था कि हम अपने बंधुओं की आवाज को पहचान कर जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं उसको निभाने के लिये इस संयुक्त सरकार में सम्मिलित हों ।

आज यह कह देना कि इस तरह से गड़बड़ हो रहा है, इससे काम नहीं चलता है । यह जरूरी है और निश्चय है कि यदि इस बजट का सांगोपांग अध्ययन किया जाता तो एक ही बात नजर आती कि इस सरकार को काम करने का अभी बहुत थोड़ा समय मिला है । इसलिये बजट को कार्य रूप में परिणित करने दिया जाय । फिर देखिये कि साल भर के बाद आपकी आवाज स्वतः धीमी पड़ जायेगी । जनता के बोझ के कारण, जनता की आवाज के कारण आपकी आवाज स्वतः धीमी हो जायेगी ।

आज जब किसान से गल्ला खरीदने की योजना सरकार ने चलाई तो कांग्रेस के लोगों ने इस योजना का विरोध किया । ऐसा लगा कि जनता के प्रति उनकी हमदर्दी जाग गई है, किसानों के प्रति उनकी हमदर्दी जाग गई है, लेकिन इन्होंने यह नहीं देखा कि सेक्यूलेरिज्म और समाजवाद का नारा लगाने वाली सरकार के प्रति जब १९६२ में चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया था तो यह माननीय सदन गवाह है कि सब लोगों ने आवाज लगाई थी कि हम सरकार के साथ हैं । देश की जनता जाग गई थी और जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई का धन सुरक्षा कोष में खुले हाथों से दान दिया था । उसका क्या सदुपयोग हुआ इसको समाजवादी नारा लगाने वाले लोग जानते हैं । क्या ये लोग भ्रम में है, क्या इसको भी कहना पड़ेगा ? इसकी आवश्यकता नहीं है । हम बुरे हैं या आप बुरे हैं, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन सब लोगों को अपने देश की सेवा करने की भावना को अपने अंदर रखना चाहिये । आज हमें यह दुर्दिन देखना पड़ा है कि २० साल बाद, गद्दी छिन जाने के बाद आज इनको जनता की भलाई की बात याद आती है । हमें कबीरदास का एक दोहा याद आता है कि—

"दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करै न कोय,
जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय ।"

यदि इस बात को याद रखा होता तो इतना दुख नहीं देखना पड़ता । लेकिन इन्होंने समाजवाद के नाम पर चारवाक के सिद्धान्त को लागू किया कि "ऋण कृत्वा घृतं पिबेत् ।" इतिहास इसका साक्षी है । आप अपने समाजवाद और ३० मार्च, १९६० की बात को याद रखें कि नार्दन इंडिया पत्रिका में निकला था कि जवाहरलाल जी के यहां मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन था उसमें उन्होंने कहा था कि चीन हिन्दुस्तान पर कब्जा कर रहा है, युद्ध की तैयारी होनी चाहिये और इसमें शस्त्र चाहिये । आगे पंडित जी ने कहा था कि यदि युद्ध होगा तो इन योजनाओं का क्या होगा ? इससे अंदाजा लगाइये कि जो योजनायें बनीं उनका देश की आवश्यकता से कोई संबंध नहीं था । यहां की जनता के जीवन से कोई संबंध नहीं रखा, उन भीमकाय योजनाओं से मनमानी करने, देश को गलत रास्ते पर ले जाने के लिये सारी योजना बनायी अन्यथा बिना हथियार, बिना जूता हिन्दुस्तान के सिपाही नेफा में मर नहीं जाते ।

यह कहा जाता है कि मंहगाई बढ़ी है । यह मंहगाई सरकार के आने से नहीं बढ़ी बल्कि ४ अरब के नोट यकायक फैला दिये गये उससे मंहगाई बढ़ी है । अभी हमारे मित्र ने बताया कि जब हरियाना और पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ मिला था वहां से यहां गेहूं आता था । यहां पर गेहूं इफरात था उस समय भाव इतने तेज थे । लेकिन आज वह भी बन्द कर दिया इसलिये कि गैर कांग्रेसी सरकारों को बदनाम किया जाय, इसलिये कि गैर कांग्रेसी सरकारों के जमाने में गल्ले की कमी होगी तो जनता कहेगी कि इसके समय में गल्ला सस्ता नहीं हो सका । यह क्षुद्र भावना रख कर अगर इस तरह से काम किया गया तो इस से कोई अच्छाई नहीं हो सकती क्योंकि सारे देश के रहने वाले एक हैं । इसी भावना को रखकर राजनीति का स्वस्थ वातावरण निर्माण हो सकेगा ।

चार-पांच दिन बजट भाषण सुनने के बाद किसी को किसी की बात सुनने का धैर्य नहीं है । विधान सभा में हम लोग इसलिये पहुंचते हैं प्रान्त की आर्थिक व्यवस्था को, प्रशासन को उन्नतिशील रास्ते पर ले जाने की बातों पर आपस में विवाद करें और एक ऐसा मार्ग निश्चित करें जिससे प्रान्त का लाभ हो । लेकिन यह नहीं कि व्यक्तिगत छीटाकशी करें और विवाद में बोलने का एक अभ्यास करें । इस देश में अगर हमें तरक्की करनी है तो उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है । अगर उत्पादन न बढ़े तो मूल्य नियंत्रण नहीं हो सकता है । अपना कृषि प्रधान प्रदेश है । इतने दिन कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था नहीं दिया गया । ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जहां पर सिंचाई के साधन सुलभ हैं वहां एक एकड़ में ३८–४० मन पैदा होता है और जहां पर सिंचाई के साधन नहीं है वहां पर ८–१० मन प्रति एकड़ गेहूं पैदा होता है ।

[श्री वरमेश्वर पाण्डेय]

अगर सारे प्रान्त में सिंचाई की व्यवस्था हो गई होती तो हम समझते हैं कि आज अन्न की समस्या अपने प्रान्त में नहीं रहती। इस अन्न की समस्या को हल करने के लिये हमने आज से पहले प्रयास नहीं किया।

कहा जाता है कि मिर्जापुर और प्रदेश में सूखा पड़ा। यह सूखा पड़ने का दायित्व किसी सरकार का नहीं है, यह तो दैवी प्रकोप है। लेकिन जो सरकार पूर्व में पदासीन थी उसका यह कर्तव्य था कि वह यह देखते हुये कि कभी प्रदेश में सूखा पड़ सकता है उसका मुकाबला करने के लिये प्रयत्न किये होती। इस दिशा में जो कदम उठाये गये वे बिलकुल ही नाकामयाब और अपर्याप्त थे। कच्चे कुंवें खोद दिये गये। यह सूखे का मुकाबला करने का तरीका नहीं था, न हो सकता है। जब तक आप कोई समुचित और मजबूत व्यवस्था करने को तैयार नहीं होंगे सूखे का मुकाबला नहीं किया जा सकता है और इसके बिना अन्न पैदा नहीं होगा जिसके फलस्वरूप लोगों को कष्ट होगा। शासन का कर्तव्य है कि सिंचाई के सुलभ और सुविधाजनक साधन प्रत्येक किसान को प्राप्त कराये जायें। इसलिये इस बजट में सिंचाई के लिये बिजली और पानी के वास्ते जबरदस्त कोशिश की गई है। जो अब तक पिछले २० वर्षों में कभी नहीं हुई है। यदि ऐसी व्यवस्था पहले भी हुई होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। आज भी सालों पहले के बहुत से मामले बिजली कनेक्शन के लिये पड़े हुये हैं जिनकी कोई सुनवाई न होने के कारण हजारों ट्यूबवैल और पंपिंग सैट बेकार पड़े रह गये। जिसके कारण खेत सूखे पड़े रह गये। सिंचाई की सुविधा न होने के कारण जाने कितनी जमीन बिना खेती की पड़ी रह गई, जाने कितने में परिश्रम और बीज आदि बेकार चला जाता है। उदाहरण के लिये दोहरी घाट पंपिंग नहर है जहां आज तक पानी नहीं पहुंच पाया है। इन गलत योजनाओं के कारण इतनी दूर तक वह नहर पानी नहीं दे पाती है, लेकिन नाली खोद दी गई है और यह उम्मीद की जाती है कि इतने एरिया में पानी पहुंच जायेगा।

आपकी योजनायें भीमकाय बनीं, उसमें बहुत-सा पैसा ब्लाक हो गया और उससे कोई रिटर्न मिला नहीं और उसका नतीजा यह हुआ कि बेकारी फैल गई। विद्यार्थियों में बेकारी का वातावरण फैल गया। विद्यार्थियों के जीवन में स्कूल छोड़ने के बाद बेकारी की निराशा के कारण अनुशासनहीनता का प्राबल्य हुआ। यह मेरा अनुभव है और सभी के ऊपर यह बीत चुकी है कि किस तरह से अनुशासनहीनता विद्यार्थियों में व्याप्त हो गई है। यहां तक कि प्रधानाचार्य की दिन दहाड़े हत्या तक हो गई है। इस सारी दुर्व्यवस्थाओं को हमने स्वीकार किया है। चाहे मजबूरन स्वीकार किया, चाहे खुशी से स्वीकार किया हो, इसका इतिहास साक्षी है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। बार-बार विरोध पक्ष से जो यह दलील दी जा रही है कि यह जो सरकार है उसमें जनसंघ और कम्युनिस्ट दो पार्टियां बिलकुल विपरीत विचारधारा की मिल बैठी हैं, इनका काम कैसे चलेगा। इसके बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं उधर के माननीय सदस्यों से कि मुझे मालूम पड़ता है कि उन्होंने जनसंघ के १५ वर्ष के जीवन काल के इतिहास का, कार्यकलाप का, सिद्धान्तों का, घोषणापत्रों का अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया है। नहीं तो सारे लोगों को यह मालूम हो जाता कि वाकई जनसंघ ही वह संस्था है जिसमें भारत की आत्मा टपकती है। जिसका सिद्धान्त इस जमीन से निकला है, जिसके कार्यकर्त्ता इस जमीन से पैदा हुये हैं जो इसी में मर जाने को सोचते हैं। इस बात की कल्पना अगर कहीं पर है तो वहीं पर आपको यह देखने को मिलता है। जनसंघ की बात करते हुये कहा गया कि वह राइट और लेफ्ट से मिला हुआ है और हिटलरिज्म का जन्म इसी तरह से होता है। हिटलरिज्म के जन्म की बात तो मैं कहना नहीं चाहता था। लेकिन एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि जर्मन लोग आज भी हिटलर को बुरा नहीं कहते हैं। क्योंकि हिटलर ने जर्मनी के लिये बहुत कुछ किया। शायद किसी को मालूम हो या न हो, लेकिन सन् १९२९ में जब हिटलर जर्मनी का चांसलर हुआ, तब से १० वर्ष के अन्दर सन् १९३९ तक उसने जर्मनी को संसार का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना दिया। यह चीज दूसरी है कि उसने गलत काम किया और उसका पतन हुआ, उसमें

में नहीं जाऊंगा, लेकिन १० वर्ष के अन्दर उसने अपने देश के लिये जो कुछ किया, २० वर्ष के अन्दर आपने क्या किया है अगर इसको आप अपने ही आइने में देख लें तो मालूम हो जायगा कि देश कहां से कहां चला गया। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि आपने क्या किया। (व्यवधान) मैं आपको दुनिया का इतिहास इसलिये सुना रहा हूं ताकि आप सही बात को जान लें। सन् १९२९ में जर्मनी के अन्दर जहां एक सिगरेट नहीं मिलता था, लोग बेकार थे वहां सन् १९३९ तक हिटलर ने १६ लाख आदमियों को बाहर से लाकर मजदूरी दी, यानी मजदूरों को बाहर से बुलाया और आपने २० वर्ष के अन्दर क्या किया? उसने संसार को एक बार चैलेंज कर दिया जब कि वह ६ करोड़ की आबादी का ही देश था और सन् १९१८ में लात खा चुका था। लेकिन आपने सन् १९४७ में हिन्दुस्तान को आजाद किया, जैसा कि आपने ठेका ले रखा है। सन् १९४७ की आजादी के पहले करोड़ों पौंड का इंगलैंड के ऊपर पावना था वह खत्म हो गया और अफीमची चीन से आप लात खा गये, मुट्ठी पर पाकिस्तानियों से आप लात खा गये। (व्यवधान)। हल्ला करने से काम नहीं चलेगा, आप जवाब दीजिये। मैं तो इतिहास की बात सुना रहा हूं। सन् १९६५ से पहले इन सब बातों को.....(व्यवधान)।

यही नहीं, मैं यह इतिहास इसलिये कोट कर रहा था कि हम लोग एक दूसरे की बुराई न करके यह याद रखें और माननीय सदस्यगण गुस्सा न करें। आज आप हिन्दुस्तान के चारों तरफ बाहर भी देखें। चीन सन् १९४९ में आजाद हुआ और आज सन् १९६७ है। हमारे पास भी आजादी सन् १९४७ में आयी और आज १९६७ है। हिन्दुस्तान में पैसे की कमी नहीं है। २० वर्ष तक दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का प्रशासन आपके हाथ में रहा, लेकिन हम लोग कहां गये, हम लोगों ने क्या किया, हम सब लोगों को इस पर विचार करना होगा। यह तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हमारी कार्य प्रणाली में हमारे सोचने में, हमारे योजनाओं के बनाने में कहीं न कहीं गलती रह गयी, वरना हम भी आज तरक्की किये होते। आप यह कह सकते हैं कि तरक्की का यह मतलब नहीं है कि दो चार कल कारखाने बन जायं, कुछ बड़े-बड़े डैम्स बन जायं। देश जो तरक्की करता है, इंसान जो तरक्की करता है समाज जो तरक्की करता है वह भावनाओं के बल पर तरक्की करता है। संसार के इतिहास के पन्नों को उठाकर पढ़ा जाय तो आप पायेंगे कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता जो असत्य हो। यह हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि संसार के इतिहास के पन्नों को स्वर्णाक्षरों में लिखा है। बन्धुओं, हमने यह सोचा था और मैं तो यह आशा करता था कि आप लोग हिन्दुस्तान में तथा अपनी इस विधान सभा में मुद्रा राक्षस का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)––

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर को ही संबोधित किया जा सकता है। यह बन्धुओं और भाइयों का संबोधन क्या उचित है? यह दशाश्वमेघ घाट नहीं है यह माननीय सदन है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)––

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को जनसंघ से इतनी चिढ़ क्यों है? गुस्सा करना हो तो बाहर चले जाओ, यहां तो आराम से बैठो।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप चेयर को ही संबोधित करें।

श्री बरमेश्वर पाण्डेय––

मैं कह रहा था कि उधर के सभी माननीय सदस्यों को जनसंघ से आंतरिक चिढ़ सी है और वह इसलिये है कि उनको अपदस्त करने में जनसंघ एक विशुद्ध प्रजातांत्रिक तरीका लेकर सामने आ गया है और इसलिये उनको चैन नहीं पड़ रही है। संत कबीर का एक दोहा सुनाया है अब एक उदाहरण और सटीक सुना रहा हूं जो हमारे पुराणों में मशहूर है। बाबा भोलेनाथ ने खुश

[श्री बरमेश्वर पाण्डेय]

होकर भस्मासुर को वरदान दिया था कि जिस पर हाथ रख दोगे वह भस्म हो जायेगा। उन्होंने अपने सिर पर ही हाथ रख दिया। आज कांग्रेस ने अपने २० वर्ष के शासन में कांग्रेसनामी भस्मासुर ने जनता रूपी भोलेनाथ से वरदान लिया और अन्त में अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और वह भस्म हो गयी। जनता ने भी उससे कहा कि "पुनर्मूषको भव"। माननीय उपाध्यक्ष जी, जनता के निर्णय को तो मानना ही पड़ेगा। जनसंघ के जन्मकाल से ही कांग्रेस के धुरन्धर लोगों ने बार-बार जनसंघ के लिये जो कुछ भी कहा वह जनसंघ के लिये वरदान ही सिद्ध हुआ है और ५२ से ६७ अर्थात् १५ वर्षों में आज भारतवर्ष के अन्दर एक स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल के रूप में वह सबके सामने उपस्थित हो गया है।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न, माननीय मंत्री आध घंटे बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बरमेश्वर पाण्डेय—

आज बहुत से लोग जनसंघ को हिटलर की उपमा देते हैं।

श्री केशवदेव (जिला अलीगढ़)—

आखिर इनको कितना टाइम दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठिये।

श्री बरमेश्वर पाण्डेय—

श्रीमन्, यह इनकी कोई नयी आदत नहीं है। आज सभी ने समझ लिया है कि जनसंघ हिटलरवादी है नहीं, बल्कि यह तो एक विशुद्ध जनतांत्रिक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक संस्था है, लेकिन वह सभी के दिल में इस तरह से खटकता है क्योंकि वह एक बढ़ता हुआ नवजवानों का दल है। वह जनसंघ है, जिसका जन्म भारत में हुआ है और जिसके विचार भारतीय हैं और जिसके सोचने का तरीका भी भारतीय है। आज सेक्युलरिज्म के नारे को खतरा समझकर वे यह समझते हैं कि अगर जनसंघ प्रान्त में बढ़ गया तो उनका अन्त हो जायगा। वह यह समझते हैं कि गलत योजनाओं के लिये विदेशों से कर्जा लेकर अपनी बुद्धि के आधार पर नहीं अपितु परकीय बुद्धि के आधार पर जो पार्टी व्यय कर रही है, उसका अन्त हो जायगा। अब जनता आपके भुलावे में नहीं आयेगी। इसलिये शुद्ध विचार संयुक्त तथा अनुशासन युक्त दल के कार्य को देख कर सब लोगों के मन में खतरा महसूस हो रहा है। इसीलिये लगातार २, ३ दिनों से जनसंघी की कार्यशैली पर आक्षेप हो रहा है। क्योंकि जनसंघ प्रजातंत्र में विश्वास करता है और जनता के सामने चुनाव के मैदान में जीतकर यहां आया है। कोई ऐसी बात यहां पर दिखाई नहीं देती जिससे यह पता चले कि हम प्रजातंत्र में विश्वास न करते हों। अगर प्रजातंत्र का नमूना दिखाई देता है तो यहां पर दिखाई देता है। प्रजातंत्र का नमूना है कि प्रत्येक आदमी अपने विचार प्रकट कर सकता है। इन शब्दों के साथ में इस ऐतिहासिक बजट का समर्थन करता हूं जिसमें कृषि को प्रधानता दी गई है जो उत्तर प्रदेश के निवासियों का मुख्य पेशा है।

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब मंत्री महोदय का भाषण सुन रहा था तो सुनते सुनते मुझे यह संदेह होने लगा कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में यह भाषण सुन रहा हूं या हाइड पार्क में

भाषण सुन रहा हूं। ऐसा भाषण हाइड पार्क में सुनने को मिला था लेकिन उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पिछले २० वर्ष में सुनने को नहीं मिला। मैं इसकी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक बात मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि इस भाषण को सुनकर हमारी तरफ के जो विधायक हैं उनको कोई चिन्ता या कोई जोश आने की बात नहीं है। इस भाषण के सुनने के बाद जो आजकल सरकार में लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि उनको क्या करना है। इन बातों को सुनने के बाद झारखंडे राय जी को सोचना चाहिये कि उनको कहां रहना है। प्रभुनारायण सिंह जी को सोचना है कि कहां उनको जाना है। और जन कांग्रेस के दोस्तों को सोचना है कि इस भाषण के बाद उनकी जगह कहां पर है। अब इतना कहकर यह उनके ऊपर ही छोड़ता हूं कि उनको क्या करना है .....

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय रावत जी, जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री रह चुके हैं उन्होंने अभी जो मंत्री जी भाषण कर रहे थे उनको तथा इधर बैठने वाले सदस्यों को दोस्त कहकर पुकारा है तो तो क्या वह इस तरह से आचरण कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जगनप्रसाद रावत--

अगर दोस्त न कहा जाय तो क्या मैं विरोधी शब्द का ही प्रयोग करूं? अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मुझे तकलीफ होगी।

(व्यवधान)

प्रारम्भ में मैं चाहता था कि चौधरी चरणसिंह जी और विकल जी को बधाई इस बात की दूं कि उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि इस सदन में जो लाल, पीली, हरी, नीली, तरह तरह की टोपियां नजर आती थीं वह टोपियां उनके सरों पर से उतरवा लीं, लेकिन एक काम इस से अधूरा रह गया। जब सिर खाली रह गये तो उससे समझदारी में कुछ कमी आ गई। अब अगर चौधरी साहब अपनी जैसी टोपी सब लोगों को दिलवा दें तो काम पूरा हो जायगा। यह उनके सोचने की बात है।

एक बात मैं और निवेदन करूं जो मैं सरकार की तरफ बैठने वाले विधायकों से भी कहना चाहता हूं और कुछ अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं। बात यह है कि कुर्सियों का कुछ असर ऐसा मालूम होता है कि जो बात कुछ दिन पहले हम कहते थे आज हम बिलकुल उसके बरअक्स कहते हैं। जहां तक विरोधी दल के सदस्यों का ताल्लुक है उनको तो यह कहने में हिचक नहीं है कि हमसे कुछ गलतियां हुईं और उनकी वजह से ही हमको सरकारी बेंचेज से इधर आना पड़ा, लेकिन आपकी तो अभी शुरुआत है। अगर सरकारी बेंचों के लोग शुरू से ही गलतियों के आधार पर चलना शुरू करेंगे तो वह कितने दिनों तक टिक सकेंगे यह आपके स्वयं सोचने की बात है। जिन जिन आपत्तियों को आज से कुछ दिन पहले यहां से उठाया जाता था, जिन बातों की शिकायत की जाती थी वही भाषा, वही प्रश्नोत्तर की भाषा, वही भाषा भाषणों में, और उस भाषा में भी कुछ संदेहात्मक बातें कहने का तरीका अपनाया जा रहा है सरकारी बेंचों से, इन बेंचों के होते हुये यह गाड़ी कितने दिन और चलेगी यह सोचने की बात है।

मैं एक बात और कह दूं। जो लोग इधर और उधर बेंचों पर बैठे हुये हैं उनको सोचना चाहिये कि यह स्थान परिवर्तन किसी समय भी हो सकता है। इसलिये प्रत्येक सदस्य को अपनी हैसियत से बात कहनी चाहिये कि अगर परिवर्तन किसी समय हो गया तो हमारी स्थिति उसमें क्या होगी। यह सोच कर ही अपनी बात कहनी चाहिये।

[श्री जगनप्रसाद रावत]

अब मैं निवेदन करूंगा कि जब संयुक्त विधायक दल की सरकार आयी तो हम जानते थे कि इसके जो हिस्से हैं जनसंघ, कम्युनिस्ट, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी वे इस तरह के हिस्से हैं कि जो कभी मिल नहीं सकते। मैं बड़ा किस्मती से विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और विज्ञान में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे में मिल जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि जो एक दूसरे में मिल ही नहीं सकतीं।

एक सदस्य---

व्यवस्था का प्रश्न। माननीय सदस्य को बजट पर बोलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री जगनप्रसाद रावत---

उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं अपने साथियों से कहूंगा कि यदि कोई नये सदस्य संसदीय परिपाटी से वाकिफ नहीं हैं तो उसके लिये नाराज होने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय रावत जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री जगनप्रसाद रावत---

जब सरकार बनी थी तो उसमें हमें आज के मुख्य मंत्री जो हैं उन पर भरोसा था, ४० वर्ष के उनके विचारों को लेकर उन पर भरोसा था। उनका मत था कि हमेशा से प्रदेश में किसान चूसे जाते रहे हैं और दूसरे लोग शोषण करते हैं। मैं यह आशा करता था कि भूमि भवन माफ होने से पहले किसानों की मालगुजारी माफ होगी। भूमि भवन कर माफ हुआ, लेकिन किसके दबाव से? उन लोगों के दबाव से जो हिटलर की मनोवृत्ति के हैं और अपने को हिटलर का अनुयायी बताते हैं। पर इस बजट में मालगुजारी माफ करने के संबंध में बात आई, न कुछ कहा गया जो कि भूमि भवन कर से पहले माफ होनी चाहिये थी।

दूसरे, आबपाशी की बाबत बहुत-सी बातें कही गयीं। इस नये बजट में कोई ऐसी बात नहीं है जो पुराने में न रही हो या जिससे ऐसा प्रकट हो कि आबपाशी की दरों में कोई रियायत की जायगी। कोई विशेष बात आबपाशी की दृष्टि से बजट में नहीं रखी गयी जो किसानों के हित में हो। मंहगाई की चर्चा बहुत है। उसमें बहुत-सी वस्तुयें शामिल हैं। कपड़ा, शुगर, गल्ला इत्यादि। महंगाई में जहां तक गल्ले की मंहगाई का संबंध है तो चाहे मेरे सामने के साथी नाराज हों या पीछे बैठने वाले। मैं समझता हूं कि गल्ले की मंहगाई किसानों के लिये वरदान है, इसका हमें स्वागत करना चाहिये। गल्ले की मंहगाई से क्यों चिढ़ते हैं? जब कपड़े की मंहगाई होती है तो कोई शोर नहीं मचाता। सिनेमा मंहगा होता है, लोहा, शुगर ५ रु० किलो बिकती है तो कोई शोर नहीं मचाता पर जब गरीब किसानों को कुछ मिलता है तो सब शोर मचाते हैं। जो शिकायत हमें अपनी सरकार से रहा करती थी और आज आपसे है वह यह है कि मंहगाई गल्ले की कितनी ही हो लेकिन किसानों को जो पैसा मिलता है उन दामों में और जो उपभोक्ता को गल्ला बेचा जाता है उसमें जो अन्तर है जिसको लुटेरे ले जाते हैं उसको कम करना चाहिये, उसके लिये क्या कभी कोशिश की गई है आज तक? उसमें अन्तर नहीं के बराबर होना चाहिये। ८५ रु० क्विंटल आप किसानों से लेते हैं और डेढ़ सौ रुपया पर बिकता है बाजार में तो ६५ रु० किसके पास जाते हैं, इसको रोकने के लिये आपने क्या किया? मैं मंहगाई को नहीं रोकना चाहता लेकिन वह पैसा किसान की जेब में जाना चाहिये और उपभोक्ता के ऊपर असर न पड़े। क्या आप कुछ करने के लिये तैयार हैं? जिस दिन आप कर लेंगे, जिस दिन इस अन्तर को न्यूनतम कर लेंगे मैं आपको जरूर बधाई दूंगा।

दूसरे आज नीतियां बहुत घोषित होती हैं, अमल चाहें देर में होता हो। हमेशा चौधरी साहब की शिकायत रहती थी कि मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य उनको किसानों के लिये कर्ज की व्यवस्था नहीं करने देते। उनके लिये हमेशा हैसियत की और जमानत की दिक्कत पड़ती है, उसको हटाकर उनको कर्ज मिल सके इसका क्या प्रबन्ध किया गया क्या उस प्रबन्ध की ओर कोई संकेत भी किया गया? आप चाहे आज करें या दो तीन महीने बाद करें, चाहे लैंड मार्गेज बैंक से कर्ज दिलायें या कहीं और से, लेकिन कर्ज उनको आसानी से मिल सके। हैसियत वालों को तो आप क्या देंगे, दुनिया दे देगी। जिसकी कोई हैसियत नहीं है उसे अगर कर्ज मिलने की व्यवस्था होती तो मेरी समझ में आता कि यह सरकार किसानों की हिमायती है।

सूखा और ओला आदि से जो फसल को नुकसान होता है, उसमें पहले का कानून यह है कि ८ आने से अधिक नुकसान होने पर ही छूट मिलती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस नयी सरकार ने इस ओर और कौनसा परिवर्तन किया है? आपने भी तो वही पुराना तरीका अपनाया है। अगर आप उन लोगों को भी कुछ छूट देना चाहते हैं जिन्हें ८ आने से कम नुकसान होता है तो माननीय मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में इस ओर संकेत करें।

यह कहा गया कि कांग्रेस सरकार ने हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिये कुछ नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस बजट में उनके लिये क्या रखा है? क्या केवल कुछ हरिजन तथा बैकवर्ड के लोगों को मिनिस्टर बना देने से ही हरिजन और बैकवर्ड क्लास का फायदा हो जायगा? इसी से उनका कल्याण हो जायगा? माननीय मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में बतायें कि उनके लिये उन्होंने बजट में क्या प्रावीजन किया है?

पहले यह बड़ा आक्षेप किया जाता था कि पूंजीपतियों और उद्योगपतियों पर २०–२५ करोड़ का बकाया है, कांग्रेस सरकार ने वसूल नहीं किया। मैं पूछता हूं कि इस सरकार ने इन ३ महीनों में उनसे कितने करोड़ रुपये की वसूली की। इस ओर सरकार ने क्या प्रगति की उसका कोई जिक्र इस बजट में नहीं है। मैं तो नहीं जानता कि कानपुर में कोई हरकत कोई चहलपहल इसके लिये हुई हो।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है, सबको अपनी मांगें रखने का अधिकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उनसे गलत वायदे क्यों किये? आपने, जब आप विरोध पक्ष में थे, तभी वायदे नहीं किये बल्कि सरकार में आने के बाद भी वही वायदे किये। जब आप मंत्री बन गये तो यही पार्क में एक सभा में कई मंत्रियों ने कर्मचारियों से उनकी मांगें पूरी करने के वायदे किये। पायनियर अखबार में उसके ऊपर टीका भी हुई। उसने लिखा कि हेडमास्टर निकलकर दिल्ली चला गया है, लड़के इधर उधर भाग रहे हैं। या तो आप कर्मचारियों से झूठे वायदे न करते, या आप अपने वायदों को पूरा करिये।

मैं इस राय से सहमत हूं कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के अलावा और भी लोग रहते हैं, अगर महंगायी है तो सबके लिये है। लेकिन झूठे वायदे करके किसी को उकसाना गलत बात है। अंग्रेजों के जमाने में उनके कुछ एजेन्ट होते थे जो तोड़-फोड़ की कार्यवाही किया करते थे, लोगों को उकसाते थे, ताकि गोली चलाने का उनको मौका मिले। आज आप उनको उकसाते हैं। मैं कहता हूं कि नीति संबंधी जब कोई मंत्री कोई घोषणा करे तो उसके पहले मुख्य मंत्री जी से पूछ लेना चाहिये। अगर स्कूलों के बच्चों की तरह तमाशा होगा तो बड़ी मुश्किल होगी तो मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में जरा सोचने की आवश्यकता है।

एक और बात है कि घेराव का जहां तक प्रश्न है, मैं घेराव को समाज-विरोधी चीज मानता हूं। उसे मैं क्रिमिनल मानता हूं। अगर आप कौन्सिल हाउस के सामने कोई प्रदर्शन करें, अपनी मांग करें, पब्लिक मीटिंग करें तब तो ठीक है, लेकिन किसी के घर पर जाकर वहां उसको सौ दो सौ आदमी घेर लें, यह भी न देखें कि कोई बच्चा बीमार है या कोई छोटा बच्चा हो, तो वह भी ठीक नहीं है। आज आप तीन महीने से यहां हैं। आप ही ने घेराव नाम की चीज

[श्री जगनप्रसाद रावत]

को बढ़ावा दिया है। मंत्रियों और मुख्य मंत्री के घर-घर पर आपने लोगों को इकट्ठा करके, किराये के लोगों को लाकर आपने उनको परेशान किया। किसी के घर पर कोई बीमार था, उस तक को आपने नहीं छोड़ा। आज भी अगर आपको अक्ल आ जाती है तो उस चीज की आप निन्दा करें तो थोड़ी है। एक घटना तो इस हद तक हुई जिसका जिक्र सदन में भी आया कि माल मंत्री जी की मौजूदगी में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ वह अनुचित था, चाहे कितनी भी उत्तेजना हो सकती थी, परन्तु हम लोगों के समय में भी जो अंग्रेज सरकार थी वह महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं करती थी, हम पुरुषों में और महिलाओं के व्यवहार में वह भी अन्तर रखती थी। परन्तु आज की सरकार तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार में भी संकोच नहीं करती है। अब मैं कालागढ़ के सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं। गोलीकांड हुआ या नहीं, उसके विषय में मैं नहीं जाता। मैं तो कोई भी मुख्य मंत्री हो, उसकी बात को वजन देना मुनासिब समझता हूं क्योंकि उसके पास सूचनाओं को एकत्र करने के साधन होते हैं। परन्तु मुख्य मंत्री के अतिरिक्त उन्हीं की सरकार के लोगों जैसे दीपंकर, अहमद और डांगे साहब की बात क्या काफी नहीं थी, जो लोग स्वयं देखकर आये थे कि उसमें न्यायिक जांच होती या कोई मंत्रि महोदय वहां जाते? अगर यही घटना हमारे सामने हो तो आप क्या मांग करते। जो आप मांग करते उसी मांग को आप पूरा करें। पुलिस के लोगों के खिलाफ यह आक्षेप है कि लोगों की घड़ियां, फाउन्टेनपेन इत्यादि तक गायब हो गये। जो रक्षक स्वयं भक्षक होने का सबूत देते हैं, आप उसकी जांच भी न करें। विरोधी दल में रह कर कोई हेकड़ हो सकता है, लेकिन सरकार में आकर आदमी हेकड़ी से काम नहीं ले सकता। जो सरकार में होता है उसे अपना उत्तर-दायित्व निभाना ज्यादा जरूरी होता है। एक बात मैं पूछता हूं। अगर एक फौजी आदमी बन्दूक लिये जा रहा है तो दूसरा आदमी कंकड़ फेंक सकता है, लेकिन अगर वह गोली चलाना शुरू कर दे तो क्या होगा? आप मुख्य मंत्री हैं, आप इस बात को भूल जाइये। आप कालागढ़ के मामले की न्यायिक जांच कराइये। आप स्वयं वहां जाकर जांच करिये। इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बहुत बढ़ेगी।

एक बात के लिये मैं आपको जरूर बधाई दूंगा कि आपने आनरेरी मजिस्ट्रेट के पद तोड़ लिये। मैं समझता हूं कि इससे बुरी संस्था कोई थी नहीं।

सरप्लस बजट की बात कही जाती है। सरप्लस बहुत आसान चीज है। न कोई काम करो, न खर्चा होगा, आराम से घर बैठो। अगर स्कूल में लड़कों को छुट्टी दे दी जाय तो वे खुश होंगे और गिल्ली-डंडा खेलेंगे। लेकिन सरप्लस बजट कभी अच्छा बजट नहीं माना जाता है। यह कोई बड़ी भारी काबलियत की बात नहीं है।

प्रोक्योरमेंट के बारे में कहा गया कि हमने ८ एकड़ छोड़ा और कुछ हिस्सों में १२ एकड़ छोड़ा। क्यों साहेब, आपने १२ एकड़ क्यों छोड़ा? जमींदारी अबालीशन में ट्रांस-जमुना एरिया में, आगरा, मथुरा, इटावा का अपने १ एकड़ का २ एकड़ माना है। तो यह क्या बात हुई, क्या ८ दूने १२ होते हैं? आप तो शायद ज्यादा गणित जानते हैं। मैं इससे अधिक न कह कर इतना ही निवेदन करूंगा, उस समय मुख्य मंत्री जी थे नहीं, मैं उसे दोहराता हूं कि यह किसानों का बजट नहीं है। जब यहां जनसंघ का ऐलान हुआ था, मुख्य मंत्री थे नहीं। यहां की जो पुस्तिका है वह वेद नहीं, मीन कैम्फ है। वह हिटलर का आदर्श है। अब हिटलर का आदर्श है, जनसंघ से डर कर कहीं आप भाग न जावें क्योंकि आपके केबीनेट के एक सदस्य ने यह घोषणा की कि वह हिटलर की ही प्रशंसा करने वाले हैं और हिटलर की ही नीति को शायद वे ऊंचा समझते हैं।

श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, अव्वल मैं इस बात के लिये अफसोस जाहिर करूंगा कि जितनी बहस या वाद-विवाद यहां हुआ है मैं उस सबमें उपस्थित नहीं रह सका। थोड़े अर्से के लिये मैं रहा,

इसलिये बहुत थोड़ों की स्पीच अपने कानों से सुनने का मौका मिला। उन्होंने जो शंकायें उठाई हैं और जो आपत्तियां की हैं मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाद में मेरे कुछ मित्रों ने मेरे कांग्रेस छोड़ कर इधर आ बैठने पर अपने भाषण का जो दो तिहाई या तीन-चौथाई समय केवल इसी पर नष्ट किया है, उसका जवाब दूंगा। आपके जरिये आशा करता हूं कि मेरे मित्र सुनने की कोशिश करेंगे। यह जाहिर है कि इख्तलाफ राय हैं। लेकिन मुझे हक है कि इस बजट के सिलसिले में मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह मैं कहूं और मेरे दोस्तों का फर्ज है कि वे शान्ति से उन बातों को सुनें।

मेरे मित्र माननीय गुप्ता जी ने पहली बात यह कही कि गवर्नमेंट ने अपने १९ प्वाइन्ट, जो कि उनके प्रोग्राम में शामिल हैं, १९–सूत्री प्रोग्राम पर अब तक अमल नहीं किया। गालिबन उन्होंने या किसी और सज्जन ने यह भी कहा, जब मेरे सहयोगी रामप्रकाश जी ने यह कहा कि यह साल भर का प्रोग्राम नहीं है, उसकी अवधि निश्चित नहीं है, तो यह कहा गया कि क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के सिलसिले में संशोधन लाया गया था और संशोधन में १९ प्रोग्राम थे, लिहाजा यह नतीजा निकाला जायगा कि यह साल भर का प्रोग्राम है।

(इस समय २ बज कर २६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, हरगिज ऐसा कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता है। संशोधन में अलफाज केवल ये हैं कि इन-इन बातों की घोषणा नहीं की। घोषणा भी हो सकती थी और यह जरूरी नहीं था कि उसके सबके ऊपर साल भर में ही अमल कर लिया जाता। लिहाजा साल भर की बात नहीं ठहरती है। ६ अप्रैल को मेरे दोस्तों ने शपथ ली। १६ जून से अधिवशन आरम्भ हुआ। २ महीने १० दिन का मौका इस गवर्नमेंट को काम करने का मिला। १९–सूत्री प्रोग्राम पर कहां तक अमल हुआ है, जब हम इस सिलसिले में कोई विचार प्रकट करें तो ७० दिन की यह अवधि हमारी आंखों से ओझल नहीं हो जानी चाहिये। लेकिन इतनी थोड़ी अवधि गवर्नमेंट को अपनी नीतियों पर काम करने को मिलने के बावजूद भी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि १९ सूत्रों में से ८, ९ सूत्रों पर यह सरकार या तो पूरे तरीके से या बहुत बड़े अंश में अमल कर चुकी है। अब मैं उनको एक-एक करके सुनाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पहला प्रोग्राम यह है कि लगान भूमि-भवन कर, वृत्ति एवं व्यापार कर को समाप्त करना। जैसा सब मित्रों को मालूम है, भूमि-भवन कर समाप्त किया जा चुका है। उसका अब कोई सवाल नहीं है। इस सिलसिले में जो कुछ काम हुआ वह बाद में बतलाऊंगा। कुछ परस्पर विरोधी बातें मेरे मित्रों की तरफ से कही गई हैं और कांग्रेस के अपने स्वयं के क्या कमिटमेंट थे उन पर बाद में आऊंगा।

जहां तक मालगुजारी समाप्त करने की बात है, मेरे कुछ मित्र बाहर भी और यहां भी इस सिलसिले में कुछ कह चुके हैं। अब मैं उसमें थोड़ा सा और इजाफा करना चाहता हूं, लेकिन बात वही है। मेरा और मेरे साथियों का विश्वास है कि लैंड रेवेन्यू एक रिग्रेसिव टैक्स है, बैकवर्ड लुकिंग। प्रोग्रेसिव टैक्स वह होता है कि जैसे जैसे लोगों की आमदनी या उनकी प्रापर्टी बढ़ती जाय तो वैसे ही टैक्स का इंसीडेंस भी बढ़ता जाय। लेकिन मालगुजारी में यह बात नहीं है। किसी आदमी के पास कितनी जमीन है, उसके हिसाब से मालगुजारी का रेट नहीं घटता बढ़ता है। वह जमीन खेत, विशेष के ऊपर होती है चाहे वह गरीब आदमी के पास हो या करोड़पति के पास हो। इसलिये अर्थ-शास्त्रियों की राय यह है कि मालगुजारी किसी विकासशील देश में नहीं रहनी चाहिये। इसलिये जितने हमारे यूरोपियन देश हैं विकासशील देश हैं, समृद्धशाली देश हैं, उनमें और अमेरीका में भी मालगुजारी नहीं है। मालगुजारी का सिस्टम वहां नहीं है। तो इस गवर्नमेंट का निश्चय यह है कि इस टैक्स को खत्म करें (हर्षध्वनि) और इसे समय मिलने पर एग्रीकल्चरल इनकम-टैक्स या किसी दूसरी पद्धति से रिप्लेस करें, जिसका अर्थ यह होगा कि छोटे किसानों पर, अर्थात् उन किसानों पर जिनकी ३,६०० रुपये सालाना आमदनी है उन पर यह टैक्स नहीं लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगाया है वह ३६०० रुपया तक नहीं लगाया है।

एक सदस्य—

४,२०० रुपया है।

श्री चरणसिंह—

४,२०० रुपया भी हो सकता है और कभी वह ३,००० भी था। वह तो हमेशा चेंज होता रहता है। तो ३६०० रुपया तक की आमदनी पर टैक्स नहीं होता, लेकिन अगर किसी की आमदनी ३८०० रुपया है तो उसमें २००० रु० तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और १८० रुपये पर लगेगा। लेकिन अगर किसी की आमदनी ३६०० रुपया से कम है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस प्रकार से हम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स अथवा और कोई पद्धति जो इससे भी अच्छी हो उस तरह से टैक्स लगाने की बात सोच रहे हैं, और यह काम शनै शनै किया जायगा।

अब यह प्रश्न होता है कि हम मालगुजारी कब खत्म करेंगे ? हमारी इच्छा तो यह है और उसूल का भी तकाजा है कि उसको फौरन ही खत्म कर दिया जाय लेकिन जैसा मैंने कहा हमारी कुछ सीमायें हैं। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। लिहाजा सरकार ने यह तय किया है कि इसको हम ग्रेजुअली खत्म करेंगे और पांच साल के अन्दर, तथा पूरी नहीं तो करीब-करीब पूरी करेंगे। आपस में जो जरा सा मतभेद कहा जाता है वह प्रोसीजर के ऊपर है कि इसको किस प्रकार से किया जाय। ८–१० जिन स्टेट्स ने मालगुजारी में रिलीफ देने का ऐलान किया है वे भी अभी तक कोई डेफीनिट उसकी शक्ल बिल वगैरह के रूप में नहीं ला सकी हैं। अतः उसके अमल में कुछ कठिनाई अवश्य है। खैर वे अमल की कठिनाइयां, आज नहीं तो कल आपस में बात करने के बाद समाप्त हो ही जायेंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बारे में गवर्नमेंट का एक्चुअल प्रोग्राम राजस्व अनुदान के पेश होने के दिन हाउस के सामने आ जायगा।

इसमें तीसरा प्रोग्राम था—"समान काम के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को स्वीकार करके प्रदेश के गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों और सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन तथा सेवा की शर्तों में समानता स्थापित करने"। जहां तक समान काम के लिये समान वेतन मिलने की बात है, यह बहुत अच्छी बात है, इससे कोई इन्कार नहीं करता। लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि उन लोगों की वर्किंग कंडीशन्स आफ सर्विस क्या हैं। एफीशियेन्सी क्या है, रिक्रूटमेंट की कंडीशन्स क्या हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख कर हम इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न इसमें यह उठता है कि उसको किस प्रकार से अमल में लाया जाय, इसमें देर लग सकती है। इस पर भी विचार किया जा रहा है। केवल हमें राइट्स को ही नहीं देखना है, ड्यूटीज को भी देखना है, मांगने के अधिकार को भी देखना है। इसलिये यह १९ सूत्री जो प्रोग्राम है, वह एक संकेत है, न कि कोई थीसिस लिखी गयी है। इसलिये इस पर जब हम अमल करने चलेंगे तो पूरी पिक्चर को हमें देखना होगा।

अब इसके नम्बर ४ पर है—"न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का अविलम्ब पृथक्-कीकरण करना"।

जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है, यह हम निश्चय कर चुके हैं कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन किया जाय। लेकिन किस ढंग से किया जाय, इसके लिये एक कमेटी मुकर्रिर कर दी गयी है। अगर मेरे मित्र बुरा न मानें तो यह प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का भी था, २० साल से था, लेकिन वे किसी वजह से नहीं कर सके। मैं उनके कारणों में नहीं जाना चाहता, कुछ लोगों के ख्याल से उसके वेलिड रीजन्स हो सकते हैं और कुछ लोगों के ख्याल से नहीं। बहरहाल वे २० साल में नहीं कर पाये, लेकिन अब हमने इस उसूल को मान लिया है। इसके लिये हमने एक कमेटी कान्स्टीटयूट कर दी है, आशा है वह अगस्त तक डिटेल्स वर्क आउट करके, इसको अमल में ले आयेगी। एक प्रोग्राम अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति प्रथा को

समाप्त करने का था। हमारे सामने इस मामले में यह नहीं आया कि उनकी क्या राय है कि वह समाप्त हो या न हो। आप देखें कि ६ तरीख को शपथ ग्रहण हुई और दस ग्यारह को जब मिनिस्ट्री बनी और १२ बजे जो पहली केबिनेट मीटिंग हुई जब कि हमारे साथियों का पोर्ट-फोलियोज और विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हुआ था, उसी वक्त जो यह पहली मीटिंग हुई उसमें पहला काम जो हमारा हुआ वह यह हुआ कि इस अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की प्रथा या सिस्टम को समाप्त किया जाय। लेकिन मुझे अफसोस है, मैंने यहां भाई राममूर्ति जी का व्याख्यान सुना तो वह इसके खिलाफ थे, लेकिन जब हमारे मित्र श्री रावत बोल रहे थे तो उन्होंने इस पर हमें बधाई दी। तो मैं जानना चाहता हूं कि विरोधी दल की इस सम्बन्ध में क्या राय है? जब १९ सूत्री प्रोग्राम पर वह उलाहने देते हैं तो आपस में तो कम से कम पहले से वह तय कर लेते कि हाउस में किस विषय में क्या स्टेंड उनका होगा।

अब अगली बात राज्य कर्मचारियों की मांगों के विषय में। उनको स्वीकार करने का मतलब यह है कि हम उचित मांगों को स्वीकार करेंगे। हमेशा मांगों को स्वीकार करने का यही अर्थ होता है कि उचित मांगें स्वीकार की जायं। कभी उसका मतलब यह नहीं होता कि अनमेजर्ड, अनबैलेन्स्ड और इर्रेलेवेन्ट चीजों को भी मान लिया जाय चाहे वह रिसोर्सेज के अन्दर हों या न हों। जितने हमारे रिसोर्सेज थे उनके अन्दर जो ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते थे उनकी जायज मांगों को उस दर्जे तक हमने स्वीकार कर लिया। जो मांगें उचित थीं वह स्वीकृत की गइ और उस हद तक की गईं और इस ढंग से की गईं . . .

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष—

अगर वह बैठ जायं तब आप पूछ सकते हैं। वह ईल्ड करें तब आप. . .

(श्री चरण सिंह के बैठने पर)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, यह तो हमारा अधिकार है. . .

श्री चरण सिंह—

अधिकार नहीं है, और इस तरह से मैं ईल्ड भी नहीं करूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इस तरह से अवसर दिया जाता है और कोशिश की जाती है, हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

वह अधिकार मुझ को है, मेरे डिसक्रिशन पर है।

श्री चरणसिंह—

तो राज्य कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में जितना हम कर सकते थे वह हमने किया और कुछ लोगों को छोड़ कर राज्य कर्मचारियों ने भी सामूहिक रूप से जहां ५ लाख राज कर्मचारी हैं, सब की बाबत गारन्टी अगर नहीं तो सब की एक ही राय है, हो सकता है थोड़े से लोगों की कुछ और हो, लेकिन जो घटनाक्रम चला और जो फैक्ट्स सामने आये उनसे सिद्ध है कि ९९ प्रतिशत कर्मचारियों ने हमारे फैसले को माकूल समझा और उन्होंने कुछ लोगों के स्ट्राइक के लिये आह्वान करने पर भी उसमें शिरकत नहीं की और उससे इन्कार किया। लिहाजा यह प्रोग्राम भी हमने पूरा किया।

[श्री चरणसिंह]

अब अगला प्रोग्राम था छात्रों तथा अन्य राजनीतिक बन्दियों को जेल से तुरन्त रिहा करने का। इसके सम्बन्ध में मैं अर्ज करूंगा कि २४४ मुकदमें छात्रों तथा राजबन्दियों के ३१ मार्च को चल रहे थे। इनमें से १९९ तो वापस हो चुके हैं और ४५ के विषय में हम विचार कर रहे हैं। इस तरह जब २४४ में से १९९ मुकदमें वापस हो गये तो हमें यह कहने का हक तो है ही कि हमने बहुत हद तक इस प्रोग्राम पर भी अमल कर दिया है।

अब एक प्रोग्राम अगला यह था कि हम राजकाज के सब कामों और नीतियों में अंग्रेजी को हटा कर पूरे प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग करेंगे। मैं अपने दोस्तों को यकीन दिलाता हूं कि बनिस्बत पहले के आज सरकार के काम बहुत बड़ी मात्रा में हिन्दी में ही हो रहे हैं। कभी-कभी मेरे से तो गलती हो जाती है क्योंकि अंग्रेजी में लिखने की आदत है, लेकिन मेरे जितने सहयोगी मित्र हैं उन्होंने तो अनिवार्य रूप से अपने नोट और टिप्पणियां सब हिन्दी में ही लिखन शुरू कर दी है और अगर पहले २० प्रतिशत फाइलें हिन्दी में होंगी तो आज ७५ प्रतिशत पत्रावलियां हिन्दी में नई शुरू हुई हैं। फिर भी अभी इतने से हमारी तसल्ली नहीं हुई है और हम चाहते हैं कि हमारा सारा पत्र-व्यवहार यहां और केन्द्र से हिन्दी में ही हो। जो अभी नहीं हो रहा है। उस पर हम जल्द अमल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने ऑफिसर्स की एक कमेटी बैठा दी है कि वह हमें बताये कि धीरे-धीरे बहुत थोड़ी अवधि में जितना काम अंग्रेजी में हो रहा है वह किस प्रकार से समाप्त किया जाय। इस सम्बन्ध में वे मनन और विचार कर रहे हैं और सरकार को एक रिपोर्ट पेश करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम पर भी काम हो रहा है। यह प्रोग्राम ऐसा नहीं था कि जिस पर हम आंख मींच कर हुक्म दे देते, लेकिन जितना मुम्किन था कि वह हम करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस १९ सूत्री प्रोग्राम में, अध्यक्ष महोदय, एक आइटम यह भी था कि "कृषि कार्य के लिए किसानों को बिजली देने में प्राथमिकता तथा सुविधा दिये जाने तथा किसानों के लिए सिंचाई के सस्ते, सुलभ तथा उपयोगी साधनों की तुरन्त व्यवस्था करना।" इस सिलसिले में माननीय फूलसिंह जी ने कहा कि इसमें पहले की अपेक्षा कमी हो रही है। उसका तो जवाब मैं बाद में तफसील में दूंगा लेकिन इस समय तो केवल यह ही कहना चाहता हूं कि उनका यह कहना गलत है। कृषि योजना बिजली और सिंचाई की योजना पर १०९ करोड़ रुपया रखा गया। इन ३ योजनाओं पावर, इर्रीगेशन एण्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के १४६ करोड़ रुपये में से १०९ करोड़ अर्थात् ७४ प्रतिशत रखा, जब कि पहली प्लानों में वह ५०, ५२, और ४८ फीसदी का प्रोविजन किया गया था। तो जितने हमारे साधन हैं, और हमारी सीमाएं हैं, उनको देखते हुए मैं यह कहने का हक रखता हूं कि हम इस प्रोग्राम को यथाशक्ति पूरा कर रहे हैं।

इस प्रोग्राम में एक प्वाइन्ट यह है कि कृषि योग्य ऊसर, परती, बंजर जमीन को मुफ्त बांट देने और वितरण में खेतिहर मजदूर, भूमिहीन किसान, हरिजन, थारू, कोल आदि कमजोर तबकों को प्राथमिकता दिलायें।

अध्यक्ष महोदय, वाकया यह है कि इस सिलसिले में पहले से कानून बने हुए हैं और अच्छे से अच्छे कानून बने हुए हैं। जमींदारी एबोलिशन एंड रिफार्म्स ऐक्ट की दफा १९८ में साफ-साफ ताकीद कर दी गयी है कि जो जमीन काबिले काश्त हो, लेकिन जेरे काश्त न हो, उसको गांव पंचायत, अगर वह गांव के कुल रकबे के ५ प्रतिशत से ज्यादा हो तो भूमिहीनों को दे और उनमें भी उनको दे जो गरीब लोग हैं। लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। हुआ यह है कि ऐसी जमीनें सभापतियों ने भूमिहीनों को न देकर निजी तबके को, अपने रिश्तेदारों को दे दी है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि कम से कम ५० प्रतिशत लोगों ने इसी तरह से उस जमीन

को बांट दिया है । तो इसका क्या कारण है ? जब कानून मौजूद है समझ में नहीं आता कि क्यों अमल नहीं हुआ ? मैं अपने माननीय मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या कमी रह गयी है, किसने अमल नहीं किया है, और क्यों अमल नहीं किया है ? कितने सभापतियों के विरुद्ध कार्यवाही हुयी और कितने हटाये गये ? मैं इसको ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो रेवेन्यू विभाग के संचालन के जिम्मेदार थे १९५९ से उनके जमाने में यह जमीन खुर्द-बुर्द हो गयी । १९५९ में हाई कोर्ट की एक रूलिंग हुई कि इस तरह के लोगों को बेदखल करने का, समरी इजेक्टमेंट का रूल नहीं बन सकता । वह सेक्शन ११८ के खिलाफ पड़ता है । हाई कोर्ट की रूलिंग का नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था उनके इजेक्टमेंट के लिये जो समरी प्रोसीजर बनाया था वह खत्म हो गया और गवर्नमेंट के कान पर जूं नहीं रेंगी । १९६१ में जब गुप्ता जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे और मैं होम मिनिस्टर था उस समय मैं मुजफ्फरनगर गया वहां लोगों ने कहा कि सारी जमीन खुर्द-बुर्द हो गयी । मैंने रेवेन्यू सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि रूलिंग को हुए दो साल हो गये उस बारे में क्या कर रहे हो । उन्होंने कहा कि सुप्रीमकोर्ट में अपील दायर कर दी गई है । इस पर मैंने कहा कि अगर वहां से अपील खारिज हो गयी तो जमीन तो सब खुर्द बुर्द हो जायगी, इसलिये अमेंडमेंट लाओ । तब दो साल बाद वह अमेंडमेंट आया । बाकी रोजाना जो शिकायतें आतीं थीं, कौन पढ़े उनको, कौन लिखे, कौन जवाब तलब करे, कौन ऐक्शन ले ? इनशिया और कुछ नहीं । नतीजा यह हुआ कि सारी जमीन खुर्द-बुर्द हो गयी । कानून जितनी इजाजत देता है जब उसमें लिमिटेशन ऐक्सपीयर हुआ, हमने पहले ६ महीने की अवधि रखी थी कि एस० डी० ओ० सुओ मोटो निकल सकता है । बाद में उस अवधि को तीन साल कर दिया । लेकिन अब आठ साल हो गये । अब ऐसा लगता है कि रॉंगफुल डिस्ट्रिब्यूशन और जमीन के सेटिलमेंट को तीन साल से ज्यादा हो गये तो उसको नहीं निकाल सकेंगे और उसको गरीब लोगों को नहीं दे सकेंगे । अगर कांस्टीट्यूशन ने इजाजत दी तो सरकार का इरादा है कि कानून इस तरह का संशोधन करेगी जिससे कानून के खिलाफ जो जमीन जिला मुस्तहब लोगों के कब्जे में आ गयी है उसको निकाल कर फिर गरीबों को दी जा सके ।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह एक सीलिंग का कानून है । माननीय गौतम जी चले गये । नहीं तो वह मुझे रिऐक्शनरी कहते । अध्यक्ष महोदय, मेरी अपनी राय यह की कि उत्तर प्रदेश में किसानों के प्रतिशत को देखते हुए जो पूरे देश में हायेस्ट था और पूअरेस्ट लोगों के प्रतिशत को देखते हुए जो दो सबों को छोड़कर सब से कम है और बड़ी होल्डिंग्स की तादाद को देखते हुए जो रकबे के लिहाज से हमारे यहां सब से कम थी, जमीन पर सीलिंग लगाकर सरप्लस लैंड को तकसीम करने से कोई पब्लिक सर्विस, या पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा । इस बारे में प्लानिंग कमीशन भी मुझसे सहमत है । अक्टूबर, १९५८ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास प्लानिंग कमीशन से राय आ गयी थी कि हम उत्तर प्रदेश को सीलिंग से मुक्त करते हैं । फिर भी सीलिंग ऐक्ट यहां लागू किया गया । सीलिंग ला जब बन गया तो उसमें एक तारीख रखनी चाहिये थी कि जिस आदमी के पास ४० एकड़ से ज्यादा जमीन ९ जनवरी, १९५९ को है उस पर यह ऐक्ट लागू होगा । लेकिन हुआ उसका उल्टा, और जिस वक्त सीलिंग ऐक्ट के लागू करने की घोषणा की गई तो बजाय कोई पहली तारीख के या उसी तारीख के आगे की तिथि दे दी गयी । तो जाहिर था कि किसके पास ४० एकड़ से ज्यादा जमीन रह जाती । सारी जमीन निकल गयी । मुझको यह मालूम हुआ कि २ लाख एकड़ से कम जमीन मिली और वह भी अभी पूरी नहीं ली गई । पुराने सीलिंग ऐक्ट के इम्प्लीमेन्टेशन में अगर कोई कमी रह गई है तो उस पर कार्यवाही की जायगी और जैसा कानून में लिखा हुआ है कि लैंडलेस लोगों को दी जायेगी तो हम कोशिश करेंगे कि कानून पर अमल हो और वाकई लैंडलेस लोगों को वह जमीन दी जाय ।

अब १९ वां प्रोग्राम यह है कि भूमि अधिग्रहण कानून में समुचित संशोधन करेंगे जिससे भूमि के मालिकों के हित का संरक्षण हो सके । अध्यक्ष महोदय, इस में भी किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है । केवल इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है । १९४८ की बात है मैंने

[श्री चरण सिंह]

पन्त जी को एक नोट लिखा। मेरे अपने जिले की बात है। एक स्कूल के लोग अपने स्कूल के लिए प्लेइंग ग्राउन्ड के लिए जमीन चाहते थे। जो जमीन वे चाहते थे वहां किसानों की अच्छी खेती होती थी। वहां के लोग आए और उन्होंने कहा ३, ४ फर्लांग पर ऊसर जमीन पड़ी हुई है जिसमें प्ले ग्राउन्ड बन सकता है। मैंने सुझाव दिया कि एक मील, जिसे आधा मील कर दिया गया, के अन्दर कोई ऊसर हो तो प्ले ग्राउन्ड के लिए वह जमीन ले ली जायगी और उर्वर जमीन नहीं ली जायगी। लेकिन उस पर कभी अमल नहीं हुआ और वह डेड लेडर हो गया क्योंकि जमीन लेने वाले जो लोग हैं वे बड़े लोग हैं, उनकी इच्छा का कौन विरोध करे। मेरे पड़ोस में एक जिला है। वहां २०० एकड़ जमीन ले ली गयी है जबकि १० एकड़ में काम चल सकता था। किसी ने पूछा नहीं कि इतनी जमीन की क्या जरूरत है और जो लोग बेदखल होने वाले हैं उनका क्या होगा। कल ही मेरे एक मित्र बतला रहे थे। बरेली में एक फैक्टरी बनी और जमीन इतनी ले ली गयी कि चार फैक्टरी उसमें बन सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में दफा ४८ है। अंग्रेजों के जमाने का ऐक्ट है और बहुत माकूल दफा है। उसमें लिखा है कि जिस परपज के लिए कोई जमीन अधिग्रहण की जाती है उसी काम के लिये वह इस्तेमाल नहीं होती तो वह जमीन वापस ले ली जायगी। उस सेक्शन के मातहत बड़ी-बड़ी फैक्टरीज या दूसरे लोगों के पास जो जमीनें हैं, गवर्नमेंट का इरादा है कि उस सेक्शन के मातहत छानबीन की जाय और सम्बन्धित जमीनों को, किसानों को वापस दिलाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं कोई कड़वी बात नहीं कहना चाहता लेकिन दुख के साथ बहुत मुलायम शब्दों में कहना चाहता हूं, उम्मीद है कि मेरे मित्र सब्र के साथ सुनें। पन्त जी से जब दिल्ली जा रहे थे तो मैंने गाजियाबाद में दिल्ली के पास, जमीन किसानों को वापस कराने का हुक्म करा दिया। वह जमीन मेरे एक बुजुर्ग ने जो वकालत करते हैं, एक फैक्ट्री के लिये ली थी। उन्होंने बहुत ज्यादा ले ली थी। मेरे ऊपर जोर पड़ने बावजूद मैंने आर्डर करवा दिया। लेकिन जब तक आर्डर पर अमल नहीं हुआ था कि माननीय पन्त जी दिल्ली चले गए। पंत जी के जाने पर यहां का नक्शा बदला वह जमीन फिर फैक्टरी वाले के पास वापस चली गयी।

(शेम-शेम)

दूसरी बात इस कानून के सिलसिले में यह कहनी है कि माननीय पटेल ने लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में तरमीम की हमारे एक सर्कुलर की लाइन पर कि अनकल्टीवेबिल लैंड अवेलेबिल है तो पहले उसे लिया जायगा, न कि कल्टिवेबिल लैंड को। जहां तक मुआविजे की बात है बेशक पहले बहुत कम दिया जाता था और वह भी जमींदारों को मिलता था, काश्तकार को तो मिलता नहीं। लेकिन अब मुआविजा काफी मिलता है। फिर इस सिलसिले में रूल्स में अगर कहीं कमी रह गयी हो तो उसे भी हम देख लेंगे लेकिन उसकी छानबीन करेंगे और अगर किसी जमीन का किसी खास वजह से मुआविजा नहीं मिल सका है तो उसकी भी कोशिश की जायगी।

यह जो १९ सूत्री प्रोग्राम है जिसके मुताल्लिक कहा जाता है और इधर भी अनभिज्ञता के कारण अथवा उत्सुकता के कारण कहा जाता है कि जल्दी की जाय। तो ठीक है वह बात मेरी समझ में आती है कि जल्दी काम करने की जरूरत है।

तो मैं यह कह रहा था कि जिसके सिलसिले में इस तरह की आलोचना कभी-कभी प्रेस में उन लोगों की ओर से भी छप जाती है जो इस गवर्नमेंट के हित चिन्तक हैं। इन १९ प्रोग्राम में से ९, १० पर या तो पूर्णतया या करीब-करीब अमल कर दिया गया है। जहां तक शेष प्रोग्रामों की बात है, समय हमको मिला तो हम उनको भी पूरा करेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

प्राइमरी स्कूल के मास्टरों वाला आपने नहीं पढ़ा।

श्री चरणसिंह—

जी, मैंने नहीं पढ़ा। और मैंने यह भी नहीं कहा कि मैंने पढ़ दिया। जैसा मैंने कहा १९ में से ९, १० पढ़े हैं, अब आप समझ लीजिए।

माननीय गुप्ता जी ने लैंड रेवेन्यू, टीचर्स सैलेरी और भूमि-भवन कर का जिक्र किया था। राममूर्ति जी ने यह कहा था कि चरणसिंह जी तो इसके बहुत हामी थे। मैं समझता हूं कि उन्होंने कैबिनेट की बात कही क्योंकि बाहर तो इस सिलसिले में मेरी कोई स्पीच हुई नहीं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

कमरे में या पार्टी में कहा होगा।

श्री चरणसिंह—

हो सकता है, लेकिन पार्टी में भी म उन दिनों बहुत कम जाता था। मेरी बातों से लोगों को जरा एलरजी हो गयी थी। राममूर्ति जी ने कहा कि भूमि भवन कर को हटा कर गलती की है। माननीय गौतम जी ने भी कहा कि इस कर को नहीं हटाना चाहिए था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में हमने कोई नया काम नहीं किया है। हमने तो एग्जैक्टली वही किया है जो मुजफ्फरनगर में माननीय बहुगुणा जी ने पास कराया था। कांग्रेस वालों की राय क्या है? मुजफ्फरनगर के प्रस्ताव से चलेंगे या जो माननीय राममूर्ति जी और गौतम जी कह गए हैं उससे चलेंगे? मेरे पास अखबार की कटिंग्स हैं वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं:

"Tax exemption for small holdings—Congress adds new point to manifesto."

यह १७ तारीख का इंडियन एक्सप्रेस है:

"The Conference demanded, through a separate resolution withdrawal of the urban housing and land tax as it did not affect landlords but poor tenants."

इसके बाद और है—

"The Conference by a resolution demanded the withdrawal of the Urban Housing and Land Tax and granting of proprietory rights to tenants in occupation of agricultural land in urban areas."

इसका अर्थ यह है कि भूमि-भवन कर समाप्त होना चाहिए क्योंकि वह टेनेन्ट्स पर पड़ता है। रीजन है यह लेकिन रेज्योल्यूशन का आपरेटिव पार्ट यह है कि यह टैक्स हटा लेना चाहिए। उसमें कहीं यह नहीं है कि इस हद तक हटा लिया जाय। टोटल एबालिशन की आपकी तरफ से रेकमेंडेशन है। और यही नहीं, मुझको यह मालूम हुआ है कि जितनी डिवीजनल कान्फ्रेंसेज हुयीं जो कि माननीय बहुगुणा जी ने आर्गेनाइज कीं उन सब में यह रेजोल्यूशन पास हुआ कि भूमि-भवन कर हटा लेना चाहिए। अगर यह ठीक बात है तो अध्यक्ष महोदय, मैं जान सकता हूं कि फिर माननीय राममूर्ति जी और गौतम जी ने सही बात नहीं कही?

इसी तरह लैंड रेवेन्यू की बात है। अभी माननीय गौतमजी ने यह कहा कि लैंड रेवेन्यू नहीं खत्म करना चाहिए, लेकिन जैसा मैं कह चुका आप खुद तसलीम करते हैं कि मालगुजारी हटनी चाहिए। गौतम आपकी नुमाइन्दगी करते हैं या नहीं यह आप जानें। लेकिन आपके किसी मेम्बर को कोई हक नहीं है, अगर हम मालगुजारी हटाने की बात करते हैं तो वह कोई शिकायत कर सके।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

शिकायत इसकी है कि आप कर नहीं रहे हैं ।

श्री चरणसिंह--

ठीक है। अध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत है कि हम कर नहीं रहे हैं मैंने १९५७ में "एग्रेरियन रिवोल्यूशन इन यू० पी०" नाम की एक पुस्तिका लिखी थी । उसमें मैंने स्वयं यह राय जाहिर की थी कि यह पुराना किस्म का टैक्स है, हटना चाहिए, जैसे ही हमारी स्टेट के रिसोर्सेज डेवलप हो जायें। मैंने उक्त पुस्तिका में कहा कि आज यह एबालिश नहीं हो सकता है, लेकिन उसूलन में इसको मुनासिब नहीं समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने यह कहा कि यह गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के रिट्रेन्चमेंट की बात कर रही है और उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। वन मैन कमीशन की बात क्यों नहीं मानते? इसके बारे में मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। माननीय गुप्ता जी एक जिम्मेदार आदमी हैं। वास्तव में जिम्मेदार करीब-करीब सब हैं। उनकी तरफ से इस तरह की बात कहना कि उनकी सारी मांगें नहीं मानी गईं। उनको सेन्टर के बराबर डी० ए० में पैरिटी नहीं दी गई ठीक नहीं है। जहां तक पैरिटी का सम्बन्ध है, गवर्नमेंट उसके लिए कमिटेड नहीं है। दूसरी बात रिट्रेन्चमेंट की कही जाती है की कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं भी जानता हूं कि इससे लोगों को तकलीफ होगी। इसलिए हम इसके साथ-साथ बहुत धीमी गति से चलना चाहते हैं और हमारी कोशिश होगी कि जो थोड़े बहुत आदमी निकलें, उनको हत्तुल इमकान किसी दूसरी जगह पर रखें। लेकिन यह कहना कि रिट्रेन्चमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गुप्ता जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं।

(व्यवधान)

यह शिष्टतापूर्ण बात नहीं है कि बार-बार बीच में टोका जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप जितनी सूचना दे सकें दे दीजिए।

श्री चरणसिंह--

मैं अर्ज कर रहा था कि गवर्नमेंट सर्विस को इम्प्लायमेंट का सोर्स समझना गलत है। हमारे लोगों को जो इम्प्लायमेंट मिलेगा वह गवर्नमेंट सर्विस से नहीं। इससे हार्डली एक परसेन्ट लोगों को एम्पलाएमेन्ट मिलेगा। जब तक खेती के अलावा इंडस्ट्री वगैरह डेवलप नहीं होंगी तब तक हमारे यहां रोजगार नहीं बढ़ सकता है। किसी मेरे साथी का या गुप्ता जी का अगर यह खयाल है कि गवर्नमेंट सर्विस से रोजगार मिल जायगा या बढ़ जायगा तो उनका यह खयाल बिल्कुल गलत है। दूसरी बात गालिबन गुप्ता जी ने कही, लेकिन ठीक याद नहीं है, परन्तु फूलसिंह जी ने और रावत जी ने भी कही कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, मेरे मकान पर उन पर लाठी चार्ज हुआ। जब तर्क आदमी के पास नहीं रहता है, तो इसी तरह की भावनात्मक बात करके आदमी अपने समय को पूरा करता है। माननीय रावत जी ने कहा कि औरतों के साथ अंग्रेज भी अच्छा बरताव करते थे। जिसका मतलब हुआ कि हम अंग्रेजों से भी गए गुजरे हैं। इस तरह से वे चाहते हैं कि महिलाओं की हमदर्दी उनके साथ हो जाय। इस तरह से हमदर्दी होने वाली नहीं है। मैं अधिकृत रूप से कहने को तैयार हूं कि किसी महिला के साथ मेरे मकान पर ज्यादती नहीं हुई। लाठी चार्ज का कोई सवाल नहीं। जो प्रेस रिपोर्टर्स मौजूद नहीं थे उनकी तरफ से अतिरंजित रिपोर्ट हुई है लेकिन जो प्रेस रिपोर्टर्स मौजूद थे और कम से कम ८-१० मौजूद थे, माननीय मित्रों उनसे पूछ लें कि क्या ज्यादती हुई है और अगर ज्यादती हुई होगी तो मैं आज भी ऐक्शन लेने को तैयार हूं, यद्यपि डेढ़ महीना गुजर गया है।

(व्यवधान)

माननीय कृष्णानन्द राय जितनी संजीदगी की बात कहते हैं हम सब जानते हैं। अभी कह रहे थे कि औरतों के साथ ज्यादती हुई। पोलिटिकल डिफरेन्सेज रहेंगे लेकिन चीजों को बढ़ा कर कहना और ऐसी असत्य बात कहना कि स्त्रियों पर लाठी चार्ज हुआ इससे कोई फायदा नहीं होगा। (श्री प्रेमदत्त खड़े हुए और एक पुस्तिका दिखाने लगे) यह बिल्कुल गलत बात है आप तशरीफ रखिए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय प्रेमदत्त जी, आप बैठिए। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। नेता सदन बोल रहे हैं, वह बैठ नहीं रहे हैं।

श्री चरणसिंह--

माननीय गुप्ता जी ने इस बात पर जोर दिया कि गवर्नमेंट द्वारा यूनिवर्सिटी से मेडिकल कालेज लिया जाना बहुत बड़ा खराब काम है। माननीय गुप्ता जी को हर बात कहने का अधिकार है लेकिन उनकी स्पीच बहुत बड़े-बड़े मसलों तक ही सीमित रहती, मेडिकल कालेज जैसे छोटे मसले पर न आती, तो शायद बेहतर होता। लेकिन मेडिकल कालेज लिया हमने, उसके लिए ऐक्ट बनाना पड़ेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सिवाय सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज के पास हैं, आज जितने उन मैडीकल इंस्टीट्यूशन्स को छोड़कर जो मेडिकल कालेजेज प्रदेश में हैं सब गवर्नमेंट के अधीन हैं। एक भी मेडिकल कालेज यूनिवर्सिटी के अधीन नहीं है। हमारी कोशिश है कि मेडिकल कालेज का स्तर ऊंचा हो सके। अगर यूनिवर्सिटी में रहने से बेहतर होता तो आगरा कालेज को आगरा यूनिवर्सिटी को सुपुर्द कर देते क्योंकि यूनिवर्सिटी मौजूद थी। इलाहाबाद का मेडिकल कालेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सुपुर्द होता। कानपुर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। शिकायत है प्राइवेट प्रैक्टिस के कारण प्रोफेसर्स कालेज की बहबूदी की तरफ कम ध्यान दे पाते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। यह एक प्राइम इविल है। उसको सुधारने में गवर्नमेंट के इंतजाम के जरिए अधिक सुविधा होगी। एक बात यह कही गयी है कि इस सरकार में मुख्तलिफ रायों के लोग हैं, विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, जब मैंने गौतम जी से पूछा था तो उन्होंने जमीन से लेकर आसमान तक की बात की किन्तु वह मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। सेठ चिनौर भाई कृष्णा मेनन और पाटिल ऐसे व्यक्ति परस्पर अत्यन्त विरोधी विचार रखते हुए जब एक संगठन एक कांग्रेस पार्टी में रह सकते हैं तो क्या कारण है कि इस सरकार के अन्दर विभिन्न मतों और रायों के लोग नहीं रह सकते और अपना काम मिलकर ठीक प्रकार से नहीं चला सकते हैं? कांग्रेस एक पार्टी होते हुए भी उसके अन्दर अनेक विचारधारा के लोग हैं और फिर भी वह एक पार्टी और एक नारे का ढोंग रचती है जबकि हम खुले रूप से कहते हैं कि हमारी सरकार के अन्दर अनेक विचारों के लोग हैं। हमारी सरकार कांग्रेस की तरह ढोंगी नहीं है, हम स्पष्ट बात जनता के सामने रखते हैं, इसलिए यह सरकार चलेगी और चलती रहेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। स्वराज्य के पूर्व की बात छोड़ दी जाय तो स्वराज्य होने के बाद सब राजे महाराजे कांग्रेस में स्थान पा गए। हमारी इस स्टेट के अन्दर ३ रूलिंग प्रिंसेज में से एक रूलिंग प्रिंस ने यह राय जाहिर की कि अंग्रेजों के जमाने में जो हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो गयी थी, इन्होंने हमारी वह खोई हुई प्रतिष्ठा फिर हमें वापस कर दी है। फल यह हुआ कि जनता भी उन्हें बड़ा आदमी समझकर राय देने लगी। बताइए ये राजे महराजे और नवाब लोग जनता के प्रतिनिधि बनने के कैसे योग्य हो सकते हैं? मैं तो सन् ४८ से कह रहा हूं कि इस बात की ओर आप ध्यान दें आपकी सबसे बड़ी पार्टी है। जिस दिशा में हम लोगों को ले जायेंगे उसको देश की दूसरी पार्टियां भी लेंगी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो मुख्य रूप से कांग्रेस पर ही होगी। कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करे। राजा, महाराजा, नवाब, सेठ, एक्शनरी–रिएक्शनरी साथ रह सकते हैं, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर साथ रह सकते हैं जिसके विचारों में जमीन आसमान का फर्क है, तो हम सब क्यों नहीं साथ रह सकते हैं? वहां ढोंग है और

[श्री चरणसिंह]

यहां कोई ढोंग नहीं है। गौतम जी की तरफ से जवाब दिया गया कि उनका तो फ्रन्ट है। तो मैं कहता हूं कि हमारा भी फ्रन्ट है। हमारी भी गवर्नमेंट चल सकती है और चलेगी उसी तरह से जिस तरह से आपकी सरकार २० साल तक चल सकती है।

माननीय गुप्ता जी ने कहा कि इस बजट से गरीब और अमीर की खाई को दूर करने की कोई कोशिश नहीं टपकती हम तो उस खाई को ढाई महीने में तंग नहीं कर पाए लेकिन जनाब ने तो उस खाई को २० साल में दूना चौड़ा किया है। कांग्रेस सरकार के २० साल के शासन काल में गरीब और अमीर के बीच की खाई स्वराज्य के बाद और चौड़ी हुई है बनिस्बत स्वराज्य के पूर्व। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आप नहीं जिम्मेदार हैं तो वह कौन शख्स है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस तरह से बीच में न बोलें। अगर वे इस तरह से बीच में बोलेंगे तो सदन का काम नहीं चल सकेगा। अगर मेरे काम को सब लोग करने लगेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। माननीय सदस्य कृपया शान्ति रखें।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पाया कि मेरी किस बात पर नाराजगी हुई?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

नाराजगी की बात नहीं है, आपने गलत कहा।

श्री चरणसिंह—

मैं ऐसी बात अर्ज कर रहा हूं जो हर पब्लिक मेन को तसलीम है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जी नहीं, बिल्कुल गलत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इस तरह से आपस में आरोप प्रत्यारोप न करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर इस तरह से कभी इधर के और कभी उधर के माननीय सदस्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि अच्छी तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकेगी।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर दोहराता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके वे सुनें और जब प्रत्युत्तर का अवसर आवे तब बोलें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या यह कोई पोलिटिकल स्पीच है?

श्री अध्यक्ष—

आचार्य जी, कम से कम आपसे मैं आशा करता हूं कि आप इस बात के पक्ष में होंगे कि माननीय मुख्य मन्त्री को सुना जाय। मैं फिर सदन से प्रार्थना करता हूं कि कृपया शान्त रहें। माननीय नेता सदन बोल रहे हैं, उसके बाद अगर कोई बात ऐसी हो जिसका खंडन करना आवश्यक है तो जिन माननीय सदस्य को अवसर मिले वे उसका खंडन करें। अगर सारा सदन ही उसका खंडन करने लगे और फिर उसका उत्तर प्रत्युत्तर होने लगे तब तो सदन का काम नहीं चल सकेगा।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझे सुन कर ताज्जुब हुआ जब माननीय आचार्य जी कहते हैं कि क्या आप कोई पोलिटिकल स्पीच दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहा हूं और हक है मुझे पोलिटिकल स्पीच देने का। बजट स्पीच तो पोलिटिकल होती ही है। मैं जवाब दे रहा हूं अपने माननीय मित्र गुप्ता जी की एक बात का जो उन्होंने कहा है कि इस बजट में यह नहीं दिखलाई देता कि गरीब और अमीर के बीच की खाई कम हुई हो। उसका जवाब मैं यह दे रहा हूं कि पिछले २० साल के अन्दर वह खाई और चौड़ी हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत अशोभनीय है।

श्री चरणसिंह—

प्लानिंग कमीशन ने इसे तसलीम किया है, और फिर मशालिनवीस कमेटी जिसे जवाहर लाल जी ने बैठाया था, उसने भी इसको तसलीम किया है कि डिस्पैरिटी बढ़ी है न कि कम हुई है। अगर कोई बात सच्ची हो और बिल्कुल कड़वी भी हो तो डेमोक्रेसी का तकाजा है कि उसे चुपचाप सुन लिया जाय इस तरह से जो बात मैं कह रहा हूं वह सच्ची है, फिर भी अगर आप शोर मचाते हैं तो मचा सकते हैं, मैं बैठ सकता हूं, लेकिन इस तरह से सदन का काम नहीं चल सकेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप उम्मीद करते हैं कि २० साल के अन्दर जो खाई चौड़ी हुई है वह ढाई महीने के अन्दर कम हो जाय। मैं समझता हूं कि ढाई महीने क्या ढाई साल में भी वह पूरी नहीं होने की। और अगर प्रदेश की सरकार इस संबंध में कुछ करना भी चाहे तो कर नहीं सकेगी, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पालिसी का भी सवाल है। लिहाजा यह दोष हमारे मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात गवर्नमेंट सर्विस की बाबत में छोड़ देता हूं। एक बात माननीय फूल सिंह जी ने कही कि जब से यह गवर्नमेंट आयी है, कीमतें बढ़ी हैं। यह भी कहा गया कि मैंने जिस वक्त कांग्रेस छोड़ी उस वक्त एक बयान दिया था..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि अगर हर माननीय सदस्य बोलने लगेगा तो आगे अच्छी तरह से स्पीचेज़ सुनने को नहीं मिलेंगी।

श्री चरण सिंह—

हां, तो मैंने उस वक्त जो कारण बताया था वह यह था कि १८ दिन के कांग्रेस शासन में प्राइसेज बढ़ी और दूसरी नान-कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं वहां उनके आने के बाद प्राइसेस घटीं। मैंने यह कहा था और आज भी कहता हूं कि वह ठीक कहा था। उस वक्त के फैक्ट्स और फीगर्स ले लिए जायं वह पब्लिक नालेज की बात है। लेकिन यह वाकया है कि इस गवर्ननेंट के आने के बाद प्राइसेज फौरन घटीं और डेढ़ महीने तक वह प्राइसेज रहीं। यह भी सही है कि प्राइसेज मई और जून में बढ़ी हैं, लेकिन यह प्राइसेज जो बढ़ी हैं उनको न लेकर यह कहता हूं कि जहां तक इस गवर्नमेंट का मकसद था वह मकसद फौरन पूरा हुआ। (अत्यन्त शोर) जरा ध्यान से सुनिए, मैं पूरी बात कह रहा हूं छिपाऊंगा नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि प्राइसेज क्यों बढ़ी हैं? इसका कारण यह है कि प्रोडक्शन से ज्यादा करेंसी फैला दी गयी। बरमेश्वर पांडेय ने एक बात की ओर इशारा किया था। मैं उसमें तफसील से नहीं जाऊंगा। लेकिन रिजर्व बैंक आफ इंडिया की एक बुलेटिन है। जरा उसे मुलाहिजा फरमावें। १९६०-६१ में २,८६७ करोड़ करेंसी थी और ६ साल बाद जून सन् ६६-६७ में वह करेंसी ४,९१२ करोड़ हो गयी, यानी २१ सौ करोड़ के लगभग का सिक्का और बढ़ गया अर्थात उसमें ७५ परसेंट सिक्का बढ़ गया। (शोर) क्या मैं अपने मित्रों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूं कि वे मेरी बात को सुनने का सब्र करें। ६ साल की बात छोड़ दीजिए, साल भर की बात कहता हूं। मार्च ६६ में यह करेंसी ४,५२९ करोड़ थी और मार्च ६७ में ४,९१२ करोड़ हो गयी यानी ३८३ करोड़ यानी लगभग ४ सौ करोड़ के २ साल के अन्दर करेंसी बढ़ गयी। अब अगर प्राइसेज न बढ़ें तो क्या होगा। लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में क्या है? ख्वाह वह महाराष्ट्र हो, वहां भी प्राइसेज बढ़ेंगी ही। यह तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति का संबंध है। तो यह रुपया इंवेस्ट किया गया लेकिन प्रोडक्शन तो बढ़ाया नहीं गया।

अब जहां तक प्रोजेक्ट्स बनाने की बात है मैं थर्ड फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से कुछ बात जो २४२ पेज पर है उसे पढ़ता हूं :—

"As our observations above relate mainly to multipurpose river valley and other major irrigation projects, we made a detailed examination of the financial working. We were disappointed to find that in a number of cases the returns are insufficient to meet even the working expenses and in the majority of cases insufficient to cover the additional incidence of interest liability."

जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट खोले गए उनके मुतालिक फाइनेंस कमीशन को कहना है कि उनकी कमीशन ने उनकी बाबत विस्तार से और ब्योरेवार देखा कि कितनी पूंजी लगी है, कितना मेंटेनेंस में खर्चा है और कितना इन्टरेस्ट देना है। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट ४८ से बने हैं। उनकी बाबत वे इस नतीजे पर पहुंचे यह देखकर निराशा हुई कि बहुत से केसेज में उन प्रोजेक्ट से जो आमदनी है, उन बड़ी बड़ी योजनाओं से इतनी भी आमदनी नहीं हुई है कि हम उनको मेंटेनेन्स का भी खर्चा पूरा कर सकें। बहुत से केसेज ऐसे हैं जिनमें अगर मेन्टेनेन्स का खर्चा पूरा हो गया तो इन्टरेस्ट भी उनसे नहीं निकलता है। अध्यक्ष महोदय, जब इस तरह की प्लानिंग हुई तो फिर क्यों न कीमतें बढ़े? हमारे दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया कि डेवलपिंग इकानामी में ऐसा ही होता है। मेरे सामने त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। मेरे पास समय नहीं है नहीं तो वह कटिंग दिखाता। वह मेरे पास रखी है। मैं बतलाना चाहता हूं कि ९ जुलाई, १९६६ को बनारस में एक कान्फ्रेंस हुई। उसमें हम सब लोगों ने, त्रिपाठी जी ने और गुप्ता जी ने, क्या इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हमारी प्लानिंग असफल हो गई है। जहां जहां पर यह योजनायें बनी हैं वह कामयाब नहीं हुई हैं, क्या यह वाकया नहीं है? क्या यह अखबारों में नहीं छपा? मैं यह अर्ज करता हूं कि प्लानिंग का जो यह हाल हुआ, पर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हमारी सारी लीडरशिप जिम्मेदार है और सारा प्लानिंग कमीशन जिम्मेदार है। लेकिन यह निर्विवाद

सत्य है कि हमारी प्लानिंग कामयाब नहीं हुई है। इसी वजह से करेंसी बहुत बढ़ गई। अभी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सबक इससे नहीं सीखा है। उसने साल के अन्दर ही ४०० करोड़ की करेंसी फिर बढ़ा दी। इसी वजह से कीमतें बढ़ी। और इसी वजह से डिसपैरिटी भी बढ़ी। जितनी बेरोजगारी सन् ४८ में थी उससे आज दुगुनी और तिगुनी है। जब यह बात है तो इस ढाई महीने की सरकार को कोई दोष देना न्यायपूर्ण नहीं है। हमारा भी दोष होगा और हमारे दोस्तों से भी गलती हुई होगी, लेकिन गांव की भाषा में बात वह कही जाय जो उठाई जा सके और धरी जा सके।

एक बात हमारे मित्रों की तरफ से यह कही गई कि खर्च ज्यादा कर दिया गया और १० करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों को दे दिया गया और २ करोड़ रुपया भूमि भवन कर में दे दिया और साढ़े पांच करोड़ कांग्रेस गवर्नमेंट सर चार्ज छोड़ गई थी। तो यह साढ़े सत्रह करोड़ रुपया पूरा किया गया है, माइनर इर्रीगेशन वर्क्स पर कम खर्च करके। यह बात जो फूल सिंह जी ने कही यह वास्तविकता के बिलकुल विरुद्ध है। हमारे मित्र ने बजट के ऐक्चुअल एक्सपेंडीचर को उठाकर देख लिया। पिछले बजट में जो रुपया रखा गया था उसका उन्होंने कोई लिहाज नहीं रखा। असल में, पिछले बजट में २० करोड़ ८० लाख रुपया माइनर इर्रीगेशन के लिए रखा गया था। अबकी बार २२ करोड़ रुपया रखा गया है, इसमें से साढ़े तीन करोड़ रुपया पिछले साल ट्यूबवैल्स के लिए रखा गया था हमने कुल २२ करोड़ रुपया माइनर इर्रीगेशन के लिए रखा है और उसमें ४ करोड़ रुपया ट्यूबवैल्स के लिए रखा है और प्राइवेट लोगों के लिए सब्सीडी और लोन वगैरह के लिए हमने रखा है ८ करोड़ बमुकाबले १७ करोड़ ३० लाख के। तो बजट में हमने पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा रखा है, लेकिन हमारे यहां ड्राट हुआ, सूखा पड़ा और सूखे के नाम पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ५ करोड़ ६० लाख रुपया केवल इसी बात के लिए एडीशनल सेंट्रल असिस्टेंस दी और वह २० करोड़ ८० लाख में जोड़कर इस २२ करोड़ से ज्यादा हो गया। अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल असिस्टेंस भी ड्राट के नाम पर, सूखा के नाम पर मिली। अनावृष्टि हुई। तो अध्यक्ष महोदय, अगर अनावृष्टि इस वर्ष भी हो यद्यपि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि अनावृष्टि न हो, तो इस रुपये को क्या हम उधर जोड़ने में हकबजानिब होंगे? नहीं होंगे।

इसी तरह से एलेक्ट्रिफिकेशन की बात है। पिछली बार ९ करोड़ रुपया दिखलाया गया ३ करोड़ स्ट्रेंगथिनिंग आफ लाइन्स के लिए है। तो एलेक्ट्रिफिकेशन में ६ करोड़ से ९० हजार कनेक्शन्स देने थे। ६,००० रुपया फी कनेक्शन पड़ता था। हमने साढ़े सात करोड़ रुपया रखा है और अब १ करोड़ ३० लाख रुपया स्ट्रेंगथिनिंग आफ लाइन्स के लिए है। अगर हम इसको तफसील में जा कर देखें तो जो कनेक्शन ६,००० रुपये में होता था उसे हमने पौने ५,००० में कर दिया है और इसी के साथ जितने कनेक्शन पिछली बार हुए थे उससे सवा गुने कर दिए हैं। अब रही रकम की बात। हमने इसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से असिस्टेंस चाही थी ६ करोड़। ९ करोड़ रुपया बजट में रखा था, जिस में से ३ करोड़ रुपया स्ट्रेंथिनिंग आफ लाइन्स के लिए था। रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ६ करोड़ रुपया था हमने साढ़े सात करोड़ रखा और उसे ९ करोड़ में हमने जोड़ दिया, जब कि ९ करोड़ में उसे जोड़ना चाहिए था। ६ करोड़ में जोड़ना चाहिए था ५ करोड़ ६० लाख। तो वह मिला था मिर्जापुर और बांदा के लिए ६ करोड़। इसी आधार पर वह कहते हैं कि रुपया इस बार कम रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये फीगर्स मिसलीडिंग हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने हर चीज में रुपया ज्यादा रखा है और मैं आपकी इजाजत से उसे सुनाए देता हूं। कृषि उत्पादन में पिछले साल ७५० लाख रुपया था जो इस बार ८७२ लाख रखा गया है, लघु सिंचाई योजनाओं के लिए पिछली बार २६७ लाख रुपया रखा गया था, इस बार २,१७५ लाख रुपया रखा गया है, भूमि सर्वेक्षण के लिए उन्होंने कहा कि रुपया कम रखा गया। मैं बतलाना चाहता हूं कि इसके लिए पिछली दफा २५२ लाख रुपया रखा गया था, इस बार २९७ लाख रुपया रखा गया है। सिंचाई में १,४०१ लाख रुपया पिछली बार था, इस बार १,५७५

[श्री चरणसिंह]

लाख रुपया है। बाढ़ नियंत्रण के लिए १०० लाख रुपया पिछली बार था, इस बार १२५ लाख रुपया रखा गया है। विद्युत के लिए ४,४१७ लाख रुपया पिछली बार था, इस बार ५,५०० लाख रुपया रखा गया है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ४१९ लाख रुपया पिछली बार था, इस बार ५०० लाख रुपया रखा गया है। जनरल एजूकेशन पर २९५ लाख रुपया पिछली बार था, इस बार उसे बढ़ाकर ४९३ लाख रुपया कर दिया गया है। पब्लिक हेल्थ और फैमली प्लानिंग में ४९३ लाख पिछली बार था, इस बार उसे ५०० लाख कर दिया गया है। वाटर सप्लाई में पिछली बार १४९ लाख रुपया था, इस बार उसे २२७ लाख कर दिया गया है।

माननीय गेंदा सिंह जी ने एक बात यह कही कि खाद के दाम बढ़ा दिए। अध्यक्ष महोदय, यह दाम गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बढ़ाए और इसके लिए हमसे पूछा भी नहीं। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है और हम इस देश के अंग हैं, किसी दूसरे देश के नहीं। हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, हम मातहत हैं सेंटर के। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय फूलसिंह जी से आपके जरिए दरख्वास्त करूंगा कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके लिए कहें और मैं भी कोशिश करूंगा कि इसके दाम घटाये जायं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभु दयाल जी ने कहा कि करप्शन बढ़ गया। इस गवर्नमेंट के आने के बाद गवर्नमेंट्स में करप्शन बढ़ गया। उनका यह ख्याल मात्र है। अगर इतनी सीधी सी बात जो सबको दीख रही है, वह उनको नहीं दिखायी दे रही है तो मैं उनके साथ हमदर्दी का इजहार ही कर सकता हूं।

(व्यवधान)

मैंने कब कहा है कि खत्म हो गया ? लेकिन कम हो गया, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता और इस बात को सच नहीं माना जा सकता कि बढ़ गया। (व्यवधान) शोर से काम नहीं चलने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सोशलिस्ट बजट नहीं है, यह कहा गया। ठीक है, सोशलिज्म की अलग-अलग तारीफ हैं, लेकिन जो तारीफ भी मेरे माननीय मित्र बताते हों मैं पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से वह सोशलिस्ट होने की उम्मीद करते थे और किस तरीके से नहीं ? माननीय बहुगुणा जी ने देखा कि यह तो हमारे बजट की नकल है और मैं समझता हूं कि बहुगुणा जी सोशलिस्ट हैं। तब तो हमारा बजट सोशलिस्ट हो गया। (व्यवधान) ठीक है बिलकुल कापी है, ट्रू कापी है और मैं माननीय बहुगुणा जी को पूरा सोशलिस्ट मानता हूं, लिहाजा यह सोशलिस्ट बजट हुआ। अगर वैसा नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि २० साल से दुहाई दे रहे थे और १९५४ से तो खास तौर से इस पर जोर दिया गया, तो उनका बजट कभी किसी माने में भी सोशलिस्ट रहा है जो उन्होंने उलाहना दिया है ?

गौतम जी ने जो कुछ कहा था उस समय आप तशरीफ नहीं रखते थे। उन्होंने कहा कि यह गवर्नमेंट कैसे सोशलिज्म कायम करेगी ? इन्होंने स्टेट ट्रेडिंग को एस० वी० डी० का एक अंग नहीं माना। खैर, हम मानत हैं या नहीं मानते, जाने दीजिए। लेकिन ऐसा तो मानते हैं कि जनवरी, १९५९ में नागपुर में स्टेट ट्रेडिंग तय हो गया, लेकिन ८ साल हो गये। अगर आप ८ साल में नहीं कर पाये तो ढाई महीने की इस गवर्नमेंट को उलाहना कैसा ?

फिर अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गयी कि जो लोग कांग्रेस छोड़ कर चले गये और उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया मैं थोड़ा समय इस पर लेना चाहता हूं और मैं समझता हूं मेरे मित्र चमकेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि बहुत कहा गया, अखबारों में बहुत कहा गया, रेजूल्यूशंस बहुत पास किए गए और मैं चुप रहा हूं ? कहा गया कि विश्वासघात हुआ। ठीक है, हो सकता है। लेकिन किसके साथ ? कांग्रेस आर्गेनाइजेशन के साथ ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कांग्रेस आर्गेनाइजेशन के साथ मैं और मेरे साथियों ने

विश्वासघात किया है जो कांग्रेस छोड़कर चले आये या उन लोगों ने किया है, बड़े से बड़े आदमियों ने, जो कांग्रेस के अन्दर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं लेकिन हर उस आदमी को ईमानदारी और हर तरीके से हराने की कोशिश की है जो उनके गुट का नहीं था ? देहरादून से. . .ठीक है, इनकार कर सकते हो, लेकिन ए० आई० सी० सी० की मीटिंग में यही बात स्पष्ट हुई। मैं आज से नहीं, सन् ५२ से मिसालें दे सकता हूं और एक मामले में नेकराम शर्मा जी मेरी ताईद करेंगे—सन् ५२ वाले मामले में। बराबर यह चर्चा रही है। तो जो लोग कांग्रेस छोड़कर चले आये अगर उनका विश्वासघात है तो वह राई के बराबर है बमुकाबले उसके कि उस आर्गेनाइजेशन में रहेंगे और उसकी जड़ अन्दर से खोदेंगे !

दूसरा विश्वासघात, अध्यक्ष महोदय, हो सकता है जनता के साथ। उसका जवाब माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने दे दिया कि जनता के साथ विश्वासघात था या नहीं, कांग्रेस के पतन के समय जनता की जो प्रक्रिया हुई उससे यह स्पष्ट है। उस दिन सूबे भर में, एक कोने से दूसरे कोने तक कहीं होली मनायी गयी, कहीं दीवाली मनायी गयी। वह सब मेरे और मेरे साथियों की गुणों की वजह से नहीं, बल्कि २० साल के कांग्रेसी सरकार के हटने पर उनको यह अनुभव हुआ कि उनकी छाती पर से पत्थर हट गया। (व्यवधान)

एक तीसरी बात और अर्ज करना चाहता हूं पोलीटिकल पार्टी जन सेवा का एक साधन मात्र होती है। अगर कोई पोलीटिकल पार्टी जन सेवा का साधन न बन कर अपनी नीतियों से गिरती है तो मैं समझता हूं कि हर मेंबर को यह हक हासिल है कि वह उस पार्टी को छोड़ दे (व्यवधान)।

एक सदस्य—

मैं आपके लिए यह किताब लाया हूं, आप जरा इसको पढ़ कर जवाब दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया सदन में शांति रखें।

श्री चरणसिंह—

जब भी कोई गुस्से में आ जाता है तो वह अपना विवेक छोड़ देता है। (व्यवधान)

मेरे मित्र शायद यह कहना चाहते हैं कि इस्तीफा देकर री-इलेक्ट होकर मैं आऊं। इस संबंध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इंगलैण्ड में यह कन्वेन्शन है, हमेशा नहीं, कुछ बार इसे माना गया, कुछ बार नहीं माना गया। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि इस कन्वेन्शन का बीच पहले पहल किसने किया ? अगर कांग्रेस ने किया है तो कांग्रेस वालों को इस बात को कहने का हक नहीं है . . (व्यवधान) सन् ५० में ठाकुर मलखान सिंह को पी० एस० पी० से तोड़कर किसने मिलाया ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद कन्वेन्शन में अगर कहीं यह हो, उसकी वजह से अगर गवर्नमेंट बदल जाय। यह तो तसलीम कर लिया कि आपने उस कन्वेन्शन का अनुसरण नहीं किया क्योंकि उसके बाद अनेक आदमी आये। एक हमारे बड़े दोस्त हैं, पता नहीं बैठे हैं या नहीं. . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में हजार मिसाल छोड़े देता हूं, गवर्नमेंट नहीं बनाई जा सकती है कन्वेन्शन बदलकर, कन्वेन्शन तोड़कर गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। क्या इसी मार्च के महीने में बिना रि-इलेक्शन का वायदा लिए आपने कुछ व्यक्तियों को अपनी ओर नहीं मिला लिया था जो आर्गेनाइज्ड पार्टी के टिकट पर आये थे ? दूसरी पार्टी से आदमी तोड़कर गवर्नमेंट बनाई जा सकती है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने दोस्तों के साथ हमदर्दी है . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय सदन से फिर प्रार्थना करूंगा कि सदन की शोभा इसी में है कि शांति से सुनें।

श्री चरणसिंह---

जैसा कि मैं ने कहा कि मेरे मित्र यह कहते हैं कि इलेक्शन करा लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए मैं माननीय सुदामा प्रसाद जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे मेरी बात सुनें। गालिबन, मेरे मित्रों में से किसी को यह ख्याल तो नहीं कि अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो मैं चुना नहीं जाऊंगा, इस वजह से मैंने इस्तीफा नहीं दिया। और यह ख्याल उन लोगों को है जो कि आज पब्लिक मीटिंग करने की भी हिम्मत नहीं रखते हैं।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। कन्वेन्शन की बात मैंने कही थी। इंगलैण्ड में कहीं माना गया है और कहीं नहीं माना गया है। मैं वहां के तीन प्राइम मिनिस्टर्स की मिसाल देना चाहता हूं। लायड जार्ज, मैकडोनल्ड और चर्चिल जिन्होंने तीन बार फ्लोर क्रास किया और रि-इलेक्शन नहीं किया। ये मामूली प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य कृपया आपस में बात न करें।

श्री चरणसिंह---

अब मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। समय की कमी के कारण मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं एक बात का जवाब देना चाहता था जैसा कि कहा गया कि कांग्रेस गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं चरण सिंह साहब भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं जिम्मेदार नहीं था और बहुत सी बातें इसी वक्त बतला सकता हूं, कैबिनेट सीक्रेट्स की जो ओथ ली हुई है उसको बिना तोड़े हुए, लेकिन समय की कमी के कारण छोड़ देता हूं। अब मैं अपने मित्रों को दावत देता हूं कि वे इस चार्ज को फिर रिपीट करें और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बजट के समय में उसका जवाब दूंगा। मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि कांग्रेसमेन जब कांग्रेस गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स देहात में गिनाने लगते हैं तो उनमें से ९० प्रतिशत काम ऐसे हैं जो मेरे दोस्तों के विरोध के बावजूद मेरी कलम से हुए हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के एक बड़े विशद और लम्बे भाषण के बाद मेरे लिए कुछ कहना संभवतः कुछ कठिन है। कठिन इसलिए है कि मैं जल्दी जल्दी अपनी राय नहीं बदला करता और चौधरी साहब के संबंध में जो मेरी राय है वह दूसरी है अतः उनके भाषण के बाद मुझे बोलने में कुछ दिक्कत हो रही है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं और उनको अपने से बड़ा भी मानता हूं। बहुत दिनों से यहां बैठने के नाते हमारा और उनका साथ रहा है और प्रायः ३० वर्षों तक हमारा और उनका यहां साथ साथ बैठना हुआ है। किन्तु आज इस सदन में जिस प्रकार का भाषण उन्होंने दिया, जो बातें उन्होंने कहीं और जिस ढंग से कहीं और जैसी जैसी दलीलें उन्होंने पेश कीं, उनसे मुझे काफी चोटें लगीं। मैं ऐसी उम्मीद उनसे नहीं करता था, फिर भी मैं उनके संबंध में, उनके विरुद्ध बोलूं तो मुझे यह चीज बहुत खटकती है। लेकिन यह सदन है और इसमें मैं आपकी आज्ञा से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मुझे अपनी बात कहना ही है और कहूंगा इस ढंग से और इस बात की कोशिश करूंगा कि वह मेरे किसी साथी को बुरी न लगे, उससे किसी को चोट न पहुंचे।

पांच दिनों से यह विवाद हो रहा है। बजट के हर पहलू पर, हर प्रश्न पर इधर और उधर के माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी राय दी हैं। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, उससे बहुतों को और मुझे भी सुनकर आश्चर्य हुआ। भले ही वह समाजवादी

बजट न होता और कोई उसकी आशा भी नहीं करता था और न किसी की ऐसी मांग ही थी, लेकिन जिस पार्टी के वह हैं और जिस दल की ओर से वह पेश किया गया उस दल की छाया भी उसमें नहीं है, जरा सी झलक भी नहीं है। इससे मुझे जरूर आश्चर्य हुआ, जब एक ऐसे वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश हो, जिनका संबंध प्रदेश के जीवन से समाजवादी होने के नाते है। श्री झारखन्डे राय जी ने कहा कि यह समाजवादी बजट नहीं है, हमने कब कहा कि वह समाजवादी बजट है लेकिन कुछ तो उसमें छाया आगे बढ़ने की होती, कुछ थोड़ी सी झलक होती उस दिशा की ओर जाने की, जो लक्ष्य आपका है। लेकिन वह तनिक भी इसमें नहीं है। मैं उनके साहस की प्रशंसा करता हूं और इस साहस के लिए उनको बधाई देता हूं कि जिस दल का उनसे संबंध है उस दल के दृष्टिकोण की, उस दल की छाप तक उनके बजट भाषण में नहीं है। और उस सरकार ने एक समाजवादी कार्यकर्त्ता के हाथ से इस बजट को पेश कराया, ऐसा फंसाया वर्मा जी को और उन के मुंह से एक ऐसा बजट पेश करा दिया जो कि उनके लिये शोभनीय नहीं लगा। ५ दिन हो गये यहां इस वाद-विवाद को होते और इस एस० वी० डी० की सरकार में जिस दल का आधिपत्य है उसने एक प्रकार से जिस के कि अधिक प्रभावित लोग उधर हैं, लेकिन उस दल ने अपना एक व्यक्ति भी इस बहस में बोलने के लिये सदन में प्रस्तुत नहीं किया, यह ताज्जुब की बात है। आज किसी तरह से श्री वरमेश्वर पांडेय को फंसा लिया जो कि काशी से आये हैं और यह भी इसलिये कि वह बलिया के रहने वाले हैं। चाहे कुछ हो, बलिया वालों को बुरा न लगेगा, वह बलियाटिक कहलाते हैं। वह बोलने उठ गये, उनके मुंह से माओ की प्रशंसा, हिटलर की प्रशंसा और प्रभु नारायण जी की प्रसंशा ऐसी हुई और उन्होंने समाजवाद को ऐसा रगड़ा कि उस का कचूमर ही निकाल दिया। तो इन के द्वारा इस सरकार ने यह बजट भाषण पेश करा दिया, इसमें कोई विषय है ही नहीं और मैं इस विषय में क्या कहूं, बहुगुणा जी ने कह ही दिया कि यह केवल पुराने बजटों का रिपीटीशन है और एक रूटीन बजट है, उठाया और नकल कर के रख दिया। हमारे बजटों में कुछ तो नीतियों का संकेत होता था कुछ इशारे होते थे कि किधर हम स्टेट को ले जाना चाहते हैं लेकिन इस में कोई उनका इरादा दिखाई नहीं देता, उस में उन संकेतों का अभाव है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वरमेश्वर जी ने कहा कि लोगों ने इस बजट की महानता को नहीं समझा। मुझे तो इसमें महानता की दो तीन चीजें ही देखने को मिलीं। पहली महानता तो पहले ही पेज में बजट भाषण के एक कोढ़ और खाज है, तीसरे पेज में एक सड़ा हुआ तालाब है जिसमें सड़ा हुआ पानी रुका है और आगे के पृष्ठों में है कि बड़ी दोषपूर्ण पहली प्लानिंग रही और जिसके नतीजे में यह देश चौपट हो गया है और आगे उसी प्लानिंग को स्वीकार कर के सारी योजना बना दी गई और १८७ या १८८ करोड़ की योजना इस साल के लिये है जिसमें ५८ करोड़ रुपया वह देंगे और बाकी केन्द्र देगा। पहले तो प्लानिंग को चौपट कह डाला और बाद में उसी के अन्तर्गत उस को मंजूर करके एक योजना बना दी और कारण भी दे दिये कि इतना कर्जा मिलेगा, इतना खुद लगायेंगे और फिर २० करोड़ का घाटा दिखा दिया। इसमें ५५ लाख रुपया बचाया हुआ दिखाया है।

अब बचाने की कहानी अलग है, एक कहानी रिट्रेन्चमेन्ट की है और उस के बाद २० करोड़ के कैपिटल का घाटा है जो कर्ज से पूरा करेंगे और कहते हैं कि ट्रेजरी बिल जो हमारा है और कन्टिजेन्सी फंड से रुपया लेकर हम पूरा करेंगे। हम तो नालायक थे ही और हमारी नालायकी देखकर ही चौधरी चरण सिंह उधर चले गये। अब आप को वह लायक बनायेंगे। भाई प्रताप सिंह भी इस समय सदन में नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि ५–६ अरब का तुमने कर्जा लिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप कर्जा नहीं ले रहे हैं। क्या कुछ दान ले रहे हैं या कुछ नये पूंजीपतियों से ले रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी की कृपा से एक आध साल तक, बहुत थोड़े दिनों तक, जब वे सरकार में थे और मैं भी वित्त मंत्री था १९६२–६३ में तो मुझे भी बजट पेश करने का मौका मिला था। तो मैंने देखा कि हमारा जो संग्रह था उसमें हम पूरा प्रबन्ध करते रहे हैं, कर्ज की पूरी इन्सटालमेन्ट को भी देते रहे और सूद की आदयगी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

भी उसमें रखी थी। डैप्रिसियेशन फंड अलग रहा। वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में, जो दिल्ली में हुआ था, यहां तक कहा गया कि उत्तर प्रदेश की फाइनैन्शियल पोजीशन बड़ी साउंड है, क्योंकि एक पैसा भी रिजर्व फंड या और कहीं से उन्होंने ओवरड्राफ्ट नहीं किया था।

मान्यवर, एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं। बड़ा शोर मचाया गया सिंचाई का जब कि हमारे विकल जी और चौधरी साहब भी खड़े थे। कहा गया कि इतना इतना खर्चा हुआ। जहां तक मेरा खयाल है, थर्ड प्लान में शायद ५५५ करोड़ का प्राविधान था जिसमें से ३७३ या ३७५ करोड़ आपकी इरीगेशन, पावर और एग्रीकल्चर पर खर्च हुआ जो लगभग ६९ या ७० फीसदी होता है। और यहां पर कहा गया कि इस वर्ष ११३ ट्यूबवेल बनेंगे। बहुत बड़ा शेर मार दिया। जब १९५२ में यह सरकार बनी, यानी संविधान के अनुसार पहली बनी.१९५२ में तो मेरा अपना खयाल है कि उत्तर प्रदेश में कुल १६०० ट्यूबवेल थे और सन् १९५२ से लेकर १९६६ तक अर्थात् १४ वर्षों में आज हमारे ७ या ७.५०० हजार ट्यूबवैल हो गये हैं। तो इस १४ वर्ष की अवधि में आप समझें कि करीब करीब ७ या साढ़े ७ हजार ट्यूबवेल इस लंगड़े, लूली, निकम्मी और गली सड़ी सरकार द्वारा बनाये गये, जिसका अर्थ हुआ कि प्रति वर्ष कम से कम ५६० या ६०० ट्यूबवैल बनाये गये। अब आप इस वर्ष में केवल ११३ बनाने जा रहे हैं। आपने यहां पर बड़ा शोर यह भी किया कि आप ३०० ट्यूबवैल्स की मरम्मत करने जा रहे हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा नया काम आप करने जा रहे हैं? यह तो हर साल होता ही रहा है और इसके लिये डैप्रिसियेशन फंड मौजूद रहता है। जो ट्यूबवैल बनते हैं, उनमें डैप्रिसियेशन फंड का रुपया भी होता है और उसके जो और खर्चे होते हैं जैसे जितना धन उसमें लगता है उसके ऊपर जो सूद आदि होता है, उसको घटाकर उसकी आमदनी निकाली जाती है। आपकी कौन स्कीम प्रोडक्टिव होगी और कौन प्रोडक्टिव स्कीम नहीं होगी, यह आपके दिमाग की बात नहीं, यह हमारे चौधरी साहब के दिमाग की बात है। मैं माननीय चरण सिंह जी के साथ बहुत दिनों तक कैबिनेट में रहा हूं। उनकी हमेशा से यह राय रही है कि आप सिंचाई के साधनों की व्यवस्था कीजिये ताकि हमारे प्रोडक्शन बढ़े और उससे स्टेट की हालत भी सुधरे, और हमारे अन्न की समस्या भी हल हो। उनका यह भी कहना था कि ऐसी जगहों पर रुपया लगाने से क्या लाभ जहां पर उनसे उतना लाभ न हो सके जितना लाभ उस पूंजी से होना चाहिये। वह रकम आप अगर ऐसी जगहों में लगायें.....

श्री चरणसिंह--

मैं अर्ज करना चाहता हूं, माननीय त्रिपाठी जी से, कि जो वह कह रहे हैं वह कुछ हद तक सही है। लेकिन मैं यह कहता था कि ट्यूबवैल के बजाय कुयें बनाने पर ज्यादा जोर होना चाहिये क्योंकि ट्यूबवैल में नुकसान होता है। जब कि अंग्रेजों के समय में पौने दो करोड़ का फायदा इस विभाग में होता था, जब कि आज उसी विभाग को ७, ८ करोड़ का नुकसान है। तो मैं कहता था कि रुपया चाहे जो लगाया जाय लेकिन उसमें नुकसान न हो।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वह कहते थे कि ऐसे इलाकों में न लगाओ जहां वह नौन-प्रोडक्टिव हों। और मैं बराबर इसका विरोध करता था। कारण यह था कि इनके कहने का मतलब यह था कि उन इलाकों में सिंचाई के साधन हों जिन इलाकों में पहले से डेवलपमेन्ट है। अब जाहिर है कि अगर बुन्देलखंड या पूर्वी इलाकों में ट्यूबवैल बनायें, या पहाड़ के इलाके में बनावें जहां एक एक ट्यूबवैल बनाने पर ४-५ हजार रुपये प्रति फर्लांग खर्च होता है तो वह फिर अनप्रोडक्टिव हो जायगा और अगर हम अलीगढ़ में, बुलन्दशहर में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में ट्यूबवैल बनायें तो वह प्रोडाक्टिव हो जायगा। यह उस का मतलब निकलता था। मैंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। ऐसे क्षेत्रों में स्कीम्स के ऊपर जो पैसा खर्च होता वह अनप्रोडक्टिव हो जाता था क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का एक कामर्शियल ऐप्रोच रहा है कि जितनी पूंजी लगे उस के हिसाब

से जितना डेप्रीसियेशन और सूद का पैसा आवे वह निकल सके तब तो वह कैनाल और ट्यूबवैल प्रोडक्टिव है, और अगर ऐसा न हो तो अनप्रोडक्टिव है, अनप्रोटेक्टिव है और वह क्यों बने ? आज तक गंगा, जमुना और शारदा कैनाल के अलावा जितनी कैनाल्स हैं कोई प्रोडक्टिव कैनाल नहीं हुई और आगे जितनी सिंचाई की वृद्धि हुई है, पोटेंशियल बढ़ा है, आप ने खुद मंजूर किया है, अभी तक का उधर १५ वर्षों से १ लाख ३६ हजार एकड़, करीब डबल सिंचाई का पोटेंशियल हुआ । अगर यह काम प्रोडेक्टिव, नौन प्रोडेक्टिव, अनप्रोडेक्टिव के नाम से रुक जाता तो पूर्व के इलाके में कोई नहर नहीं चल पाती । माननीय झारखंडे राय जी, जनमभर आप ऐसे ही भूखे मरते रहते जैसे आज मर रहे हैं । आज इस सिद्धान्त को लागू करके बजट स्पीच में माननीय वर्मा जी ने सोचा नहीं कि उन इलाकों में क्या होने वाला है । उधर के इलाकों में आज भी सिंचाई के साधन की कमी है, खाद्यान्न की कमी है और पहाड़ की हालत तो बहुत ही बुरी है । बुन्देलखंड को आप देखें । और इन तमाम जगहों में अगर प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव का सिद्धान्त लगाया गया तो कोई स्कीम चल नहीं सकेगी, इसलिये कि ये परमानेन्टली स्केयरसिटी एरियाज हैं । आपका इलाहाबाद का क्षेत्र, जमुना के किनारे वाली तहसील, मिर्जापुर, पहाड़ी इलाके, बनारस और गोरखपुर की सारी कमिश्नरी, अवध का इलाका ये पर्मानेन्टली स्केयरसिटी एरियाज हैं । जब पानी बरसता रहता है और अन्न पैदा होता रहता है तब भी कहीं कहीं सूखे, अकाल की स्थिति और ग्रस्तता की स्थिति पैदा होती रहती है और सरकार मदद करती रहती है । (व्यवधान) आज बहुत कुछ हो चुका है और इसलिये उत्तर प्रदेश के बटवारे की मांग की गई (शोर) प्रोडक्शन की बात तो अलग है वहां पीने का पानी मिलने वाला नहीं है । कुवें सूख रहे हैं और अकाल में लोग मर रहे हैं । झारखंडे रायजी चिल्लाया करते थे अकालग्रस्त घोषित करो । एक तरफ बिहार में अकाल घोषित है । दूसरी तरफ देवरिया और गोरखपुर में लेवी वसूल हो रही है जो बार्डर पर हैं और आप बड़े प्रसन्न हैं । क्या देवरिया और गोरखपुर के किसानों ने अपनी तबियत से लेवी दी है ? (हां, हां, बड़ी तबियत से लेवी दी हैं की आवाजें)

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

उग्रसेन इस्तीफा दें अगर हिम्मत हो तो ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

गूड़ का भाषण हो जाय फिर हमारा और रामायण राय जी का फैसला हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

रामायण राय और उग्रसेन जी दोनों शान्त रहें । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं और यह चाहूंगा कि वे कृपया शान्तिपूर्वक सुनें । एक साहब अगर व्यवधान करें तो मैं उनको रोक सकता हूं, लेकिन अगर उस व्यवधान का इधर और उधर से लोग प्रत्युत्तर देने लगें तो फिर व्यवस्था नहीं रह सकती ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बजट में जो महानता है उसकी ओर वित्त मंत्री तथा मुख्य मंत्री का ध्यान मैंने आकृष्ट कर दिया ।

अब १९ सूत्री कार्यक्रम के बारे में मुख्य मंत्री जी ने बहुत कहा । आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा बहुत ही अच्छे वकील हैं, बड़ी अच्छी दलील देते हैं और दलील देने में आदमी वही होशियार होता है जो सारी चीजों की लीपापोती करे । यह एक तरीका होता है अच्छे वकील का । दो तरीके होते हैं । एक तो यह कि दलील पर दलील कि तुम खुद निकम्मे हो अगर हम निकम्मे हो गये तो तुम क्या कह सकते हो । कांग्रेस वालों ने यह किया, वह किया तो हमीं ने कर दिया तो क्या बुराई की । बीस वर्ष तक कांग्रेस की हुकूमत थी । पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त की भी हुकूमत यहां थी जिसमें चौधरी चरण सिंह का उत्थान हुआ । मैं समझता हूं कि बीस साल में दस साल पंत जी की हुकूमत रही । आज उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनका यहां यह तर्पण हो रहा है । मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन हुआ, प्राइसेज

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बढ़ीं, सब के लिये बढ़ीं, सारे देश में बढ़ीं । गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया की नीति खराब थी या अच्छी थी, अब उसकी क्या बहस की जाय, मैं समझता हूं कि सारे डेवलपिंग कंट्रीज में एक सीमा तक इन्फ्लेशन होता है । यह जरूर है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ प्रोडक्शन को उसी अनुपात में बढ़ाना चाहिये। नहीं बढ़ता है तो इन्फ्लेशन से नुकसान होता है । हिन्दुस्तान में प्रोडक्शन की मात्रा नहीं बढ़ी, अभी हमारे यहां गल्ले की कीमत बढ़ गयी तो हमारे विकलजी को इसराइल और अरब की लड़ाई दिखायी पड़ गयी । पिछले १५ साल में कांग्रेस ने बड़ी बड़ी गलतियां कीं । आखिर इन्सानों की जमात रही है, सैकड़ों गलतियां की होंगी । गलतियां बड़े बड़े मुल्कों ने कीं । रशा और चाइना ने गलतियां की हैं और उन्होंने माना है । चौधरी साहब ने पूछा कि क्या तुमने यह नहीं कहा कि प्लानिंग फेल हो गयी । मैं कहता हूं कि हां, हमने कहा और इसलिए कहा कि उसमें जो डिफेक्ट्स हैं वह दूर किये जायं । प्लानिंग के सिवाय कोई दूसरा रास्ता देश को आगे बढ़ाने के लिये नहीं है । अब प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन में और उसकी प्रायोरिटीज को फिक्स करने में भूलें हो सकती हैं, ऐडमिनिस्ट्रेटिव भूलें भी हुई होंगी । आज भी ए० आई० सी० सी० की मीटिंग हुई है, सब ने उसको मन्जूर किया । कुछ डिस्पैरिटीज बढ़ी हैं । यह भी सही है, लेकिन यह सब मानते हुये भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसलिये उसी रास्ते पर हम चलते रहे । उसमें हम और आप सभी हिस्सेदार रहे हैं । यह एक भयग्रस्त व्यक्ति की बात है, अगर मैं कायर शब्द का प्रयोग करूं तो वह असंसदीय होगा, लेकिन यह एक भयग्रस्त व्यक्ति की बात है कि जो जिम्मेदारियां आयी हैं, जब मौका आया तो उसको दूसरों के सिर पर लाद कर कह दें कि हम तो बिल्कुल पवित्र हैं । आप कांग्रेस में और गवर्नमेन्ट में बीस बीस साल तक रहे हैं । उसी बीच में माननीय गोविन्द वल्लभ पंत, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री भी रहे हैं । सब के नेतृत्व में प्लानिंग हुई है । ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के आप बहुत दिनों तक मिनिस्टर रहे हैं और जो प्रोडक्शन हुआ वह आप देख लीजिये । मान्यवर, पुरानी बातें कहना बेकार है । लेकिन चौधरी साहब इसको स्वीकार करेंगे कि उनकी कतई यह राय थी कि अरबन प्रापर्टी पर यह टैक्स लगे और उनके आग्रह पर ही यह बिल बना था । उनका कहना था कि ३०० परसेंन्ट अरबन इन्कम बढ़ गई और देहात की इतनी ही रह गई, इसलिये अरबन प्रापर्टी के ऊपर यह टैक्स लगाना चाहिये । लेकिन अब वह कहते हैं कि तुमने ही इसको मुजफ्फरनगर में पास किया था। हमने जो पास किया था वह तो १९ सूत्री प्रोग्राम है । हमने पास किया था कि भूमि भवन कर हटना चाहिये, समान काम के लिये समान वेतन मिले, इसको भी पास किया और इसको भी पास किया था कि अलाभकर जोतों के ऊपर से लगान माफ किया जाय । आपका कहना है कि छै एकड़ से ऊपर वालों की आमदनी ३६०० रुपये होगी तो पहले उन पर इनकम टैक्स लगाइये। जब कि प्लानिंग कमीशन का कहना है कि ४२०० की आमदनी ३० एकड़ पर होती है । इसलिये मैं कहता हूं कि ६ एकड़ वालों की आमदनी ३६०० नहीं हो सकती है। हमारे देश में व्याख्या करने की पुरानी आदत है । बड़े बड़े सूत्रों की लोगों ने अलग अलग व्याख्या कर डाली है । चौधरी साहब ने १९ सूत्र की अलग व्याख्या कर दी । हम खाली समाजवाद का नारा लगाते थे और आप समाजवाद का शंख फूंकते थे और साबित हुये पूरे ढपोरशंख । उसकी कहानी आपने पढ़ी होगी ।

हम अपनी गलती को भी समझते हैं कि हमारी पार्टी आइडियोलाजीकल पालिसी पर डेवलप नहीं हो सकी । इससे प्लान में कमियां आईं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी गलतियां हुईं लेकिन आप तो बड़े भारी क्रान्तिकारी और शंख फूंकने वाले हैं आपने यह सोचा था कि उनकी उचित मांग मान ली जायेंगी । आपने क्या यह पी०एन० शुक्ल जी से कहा था कि मुनासिब मांगें मानी जायेंगी ? अगर आप बहुत जल्दी १९ सूत्री प्रोग्राम को पूरा नहीं कर सकते हैं तो कहिये कि आगे पूरा होगा । लेकिन एक भी कदम आपने आगे नहीं बढ़ाया । हम कहते हैं कि दर्जा दस तक फीस माफ कीजिये लेकिन आप दर्जा ७ तक ही माफ कर देते और कहते कि बाकी ५-७ साल बाद कर देंगे । लेकिन आपने तो कोई कदम ही नहीं बढ़ाया ।

में यह कहना चाहता था कि कांग्रेस को छोड़ने और उसके साथ विश्वासघात की बात के बारे में बहुत कुछ चौधरी साहब ने कहा । उनकी यह बात किसी सेठ के साथ कांग्रेस वाला बैठ सकता है तो उनके साथ भी बैठ सकता है, ठीक है खुशी के साथ बिठाइये । आपको यह संघ मुबारक हो । इसी संघ में डूबिये और उतराइये, हमें कोई आपत्ति नहीं है । मैं चौधरी साहब से और प्रभूनारायण सिंह जी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों ने यह किया वह किया, लेकिन आपने तो ऐसे लोगों की गवर्नमेन्ट बनाई है और आप कहते हैं कि करप्शन को हटायेंगे । करप्शन में पद लोलुपता है और अधिकार की पिपासा और लिप्सा है । अगर कांग्रेस की ५० की भी मैजोरिटी होती तो जन कांग्रेस का कभी निर्माण न हुआ होता । यह हो गया, १६–१७ इधर से उधर गये कांग्रेस से, जन कांग्रेस हो गयी, जन आगे हो गया और वह बन गयी । मुझे इस पर आपत्ति नहीं कि आपने ठीक काम किया या गलत । मुझे आपत्ति है कि आप को इलहाम हुआ कब ? एक महीना पहले आप दस्तखत करते हो प्रतिज्ञापत्र पर कि हम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आपके अनुशासन में चलेंगे, एलेक्शन लड़ते हो कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस मैनिफेस्टो पर जीत कर आते हो कांग्रेसी बन कर । उनमें ऐसे लोग मौजूद हैं, जन कांग्रेस में, क्षमा करें मुझे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में और उसके अध्यक्ष के मकान की मिट्टी खोद डाली टिकट के लिये कि किसी तरह टिकट मिल जाय । हमारे रामनारायण त्रिपाठी जी कहीं बैठे हैं या नहीं । यह कलयुगी अर्जुन पैदा हुये हैं । यह कल द्रोणाचार्य का वध करने बैठे हैं । मान्यवर, अगर कहीं गुप्ता जी ने उनको उस स्थान पर बैठा दिया होता जहां पर श्रीमन् आप बैठे हुये हैं तो कांग्रेस में सारी बातें ठीक होतीं । नहीं हुये तो सर्वहारा हैं । यह प्रवंचना कितनी दूर तक होगी ? हमें कोई जाने की शिकायत नहीं है । चले गये अच्छा हुआ । जान बची लाखों पाये । लेकिन सवाल यह है कि कैसे गये । ऐसे लोग हैं मान्यवर, जो तीन तीन बार एलेक्शन लड़े, कभी नहीं जीते । बड़ी मुश्किल से कांग्रेस का टिकट पाया । यहां से लेकर दिल्ली तक न मालूम कितने टेलीफोन हुये और चुन कर आ गये, सरक गये जन कांग्रेस में । कहते हैं कि बीस वर्ष तक कुछ नहीं किया । उनको यह कहने का अधिकार नहीं है । कहें तो झारखंडे राय जी कहें । और उनसे भी मैं कहूंगा कि आपके साथ ऐसे लोग हैं जिनको डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं, जिनका सोशलिज्म और नैशनलाइजेशन में विश्वास नहीं, जिनका इंडिविजुअल फ्रीडम में विश्वास नहीं, जो मुक्त व्यापार की नीति चाहते हैं, मुक्त खेती चाहते हैं, वह चाहते हैं कि कोई कंट्रोल और प्लानिंग न हो । आपके ध्यान में भी आया होगा कि एक पोस्टर छपा था जिसमें गाय का सर काटा जा रहा था, ऐसे लोगों का साथ और चौधरी साहब उनके साथ । जिन लोगों का आपका साथ है यह आपको कहीं गड्ढे में न ले जायं । आप एस० एस० पी० को ले कर, पी० एस० पी० को लेकर साथ चलिये, छोड़ दीजिये रिएक्शनरीज को, कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट करेगी । मैं आप से निवेदन करूंगा कि बीस वर्ष तक कांग्रेस हुकूमत करती रही, इस प्रदेश की जनता का धैर्य देखिये । दुनियां में किसी पोलिटिकल पार्टी को ऐसा मौका नहीं मिला होगा और यह साबित किया कि हम बिना बुलेट के बैलेट से डेमोक्रेसी का पेट भर हुकूमत बदल सकते हैं । आप उधर बैठे हैं हम इधर बैठे हैं, लेकिन प्रदेश को अनाज के चक्कर में न लायें, इस लिये कि कुर्सियों पर बैठे रहें । आपने कहा कि कामन प्रोग्राम है । कामन प्रोग्राम है कि इस सरकार को बनायें रखें, इन को चीफ मिनिस्टर, आप मिनिस्टर, जिस कामन प्रोग्राम पर आप हैं, उससे इस प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है । भगवान आपको सद्बुद्धि दे । मैं, श्रीमन्, आपको धन्यवाद देता हूं ।

शामली थाने की पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों के कथित पीटे जाने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

इसके पहले कि माननीय वित्त मंत्री का अह्वान करूं, मैं सदन को कुछ समय लूंगा, आइटम नं० ८ और ९ के संबंध में । आइटम नं० ८ में तो कोई सूचना आई नहीं है ।

[श्री अध्यक्ष]

आईटम नं० ९, नियम ५१ के अनुसार मेरे पास ४–५ सूचनायें आयीं हैं। उनमें से एक जिसे मैंने स्वीकार किया है वह सरदार सिंह और आचार्य दीपंकर जी की है, वह इस प्रकार है —

"गत २४ जून की रात में शामली थाने की पुलिस ने कुछ निर्दोष व्यक्तियों को हवालात में बन्द कर बुरी तरह पीटा। एक व्यक्ति जिसका नाम होशियार सिंह था रात के ११ बजे थाने में ही चल बसा। तब से आज तक शामली नगर और क्षेत्र में पुलिस की क्रूरता को लेकर गम्भीर चर्चा एवं आतंक फैल गया है तथा विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये हम सदन में काम रोको प्रस्ताव पेश करते हैं।" इसको हमने कामरोको के अन्तर्गत तो नहीं स्वीकार किया है, हां नियम ५१की सूचना के अन्तर्गत स्वीकर किया है। माननीय मंत्री जी कल चाहें तो और अच्छा होता आज ही इस पर वक्तव्य दे देते, किन्तु आज अन्य महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, इसलिये कल इस पर वक्तव्य दे दें।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

मैं तो आज ही तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—

सदन की भी अनुमति हो तो अच्छा ही कल हो जाय।

कुछ सदस्य—

कल ही ले लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, कल के लिये ही रहा।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड, आगरा विश्वविद्यालय सिनेट, इलाहाबाद, लखनऊ तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति, गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड समिति, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय शिष्ट परिषद् तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासनिक बोर्ड के लिये सदस्यों के निर्वाचन की तिथि की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे आपको यह सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के लिये दो सदस्य, आगरा विश्वविद्यालय सिनेट के लिये ५ सदस्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५ सदस्य, लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५ सदस्य, गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिये ५ सदस्य, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति के लिये ४ सदस्य, गया प्रसाद लाइफ सेविंग फन्ड, कानपुर की समिति के लिये १ सदस्य, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् के लिये ३ सदस्य तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के लिये ३ सदस्यों (जिनमें एक महिला भी होंगी) के निर्वाचनार्थ प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा के अनुसार समस्त नाम निर्देशन पत्र ठीक पाये गये हैं। नामों की वापसी के लिये २९ जून, १९६७ के सायंकाल ५ बजे तक का समय नियत है। अतः यदि उल्लिखित समस्त समितियों में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अतिरिक्त अभ्यर्थियों के नाम उक्त समय तक वापस न लिये गये तो मतदान अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा १ जुलाई, १९६७, को विधान वाचनालय में १२ बजे से ४ बजे के बीच होगा।"

१९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने इस बजट के विवाद में हिस्सा लिया और अपने अमूल्य सुझाव दिये और मुझे उससे काफी प्रेरणा भी मिली। मैं जो आलोचनायें हुई हैं उनके सम्बन्ध में चाहता था कि विस्तृत रूप से उन पर कहूं, लेकिन समय की कमी है इस वजह से मैं यह प्रयत्न करूंगा कि जो हमारे साथियों ने सुझाव दिये हैं मैं उसे आलोचना तो नहीं कहूंगा क्योंकि आलोचना तीखी हुआ करती है और मेरे दोस्तों ने सुझाव मात्र दिये हैं, कि इन २० सालों के अनुभव के आधार पर आशा थी कि उधर बैठने वाले हमारे लायक दोस्त अपने अमूल्य सुझाव से हमें कम से कम अवश्य अवगत करायेंगे। लेकिन मुझे यह कहते हुये खेद होता है कि एक भी सुझाव उधर से नहीं आया जिससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता। यह सही है कि सच्ची बात कड़वी होती है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं कोई कड़वी बात न निकालूं लेकिन मेरी एक कठिनाई है और वह यह है कि जब कुछ कहना पड़ेगा और वह सत्य होगा तो कभी कभी सत्य कड़वा जरूर होता है। मैं माननीय दोस्तों से कहूंगा कि वे उस कड़वे सत्य को पी जायं क्योंकि इस तरह से एक स्वस्थ परम्परा का विकास होगा और स्वस्थ विचारधाराओं का प्रवाह चलेगा और इस से स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण को गति देने का भी एक अवसर मिलेगा। मेरे दोस्त मुझ पर गुस्सा हो सकते हैं लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आयेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि उसी रास्ते से हमें चलना है। हमने जनता के दुख दर्द को पहचाना है, और इस प्रदेश की करीब साढ़े ८ करोड़ जनता के दुख को पहचान कर ही उनकी सेवा करने का हमने व्रत लिया है। इस बात पर अगर उधर के माननीय सदस्य गुस्सा होते हैं तो हमने यह कभी नहीं कहा कि केवल हमने ही यह व्रत लिया है। एक माननीय मित्र ने कहा कि उधर से बजट के बारे में कुछ न कहकर केवल रोजी का रोना रोया गया है। यह मेरे एक मित्र ने कहा, अच्छा होता कि वे अपनी रोजी का रोना रोकर प्रदेश के सब लोगों की रोजी का रोना रोते।

एक बात मैं जरूर कहूंगा, हो सकता है कि मेरे दोस्तों को मुझ पर गुस्सा आवे और वे उचकेंगे लेकिन मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से हमने उनकी बात शान्ति से सुनी है उसी तरह से वे हमारी बात भी सुनेंगे। इस अवसर पर मुझे एक शेर याद आता है। "उनको आता है मेरे शौक पै गुस्सा, मुझे उनके गुस्से पै शौक आता है।" इसलिये मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि वे उस धीरज, मनोयोग और लगन के साथ हमारी बातों को जरूर सुनेंगे जैसे कि विरोधी दल के सदस्यों के सुझावों को हमने सुना है। मैं यह जरूर उम्मीद करूंगा कि वे हमारे उत्तर को भी कम से कम उसी भावना और सद्भावना के साथ ग्रहण करेंगे जिस तरह से कि हमने उनके विचारों को सुना है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जनतंत्र की सबसे स्वस्थ परम्परा यह है कि जब किसी विरोधी दल के सदस्य अपने विचारों को रखें तो उस दल में इतनी क्षमता होनी चाहिये कि वह उनके विचारों को सुने। कभी कभी कटु सत्य आता है और कटु सत्य आने पर जब मर्म को चोट पहुंचती है तो उस मौके पर लोग उचक जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मौके पर उनको उचकना नहीं चाहिये बल्कि उनको सह जाना चाहिये।

वर्तमान बजट में जब विरोधी दल वालों को कोई दोष नहीं मिला उनकी इस अवस्था पर उस माननीया नायिका की बात याद आती है जिसने कहा था—

सपनेहू मन भावतो, करत नहीं अपराध,
मोरे मन में ही रही, सखी मानकी साध।

सारी बजट स्पीच में दोष के बजाय उनको त्रिदोष ही दिखलाई दिया और वे बराबर चौधरी साहब को कोसते रहे। बजट के बारे में बीस लाइनें भी नहीं आपको मिलेंगी। सही आलोचना हो तो मुझे खुशी हो लेकिन उनको त्रिदोष तो इसलिये दिखलाई पड़ता है कि उनकी कुर्सी छिन गयी

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

जिसका उन्हें दुख है। उधर से जो कुछ कहा गया उसमें कोई तथ्य नहीं है, एक एक का जवाब दे दिया गया है माननीय मुख्य मंत्री द्वारा। इसलिये मैं उन बातों में न जाकर केवल बजट तक ही अपने को सीमित रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा, वाणी के बहुत पंडित हैं और मैं यह उम्मीद करता था कि जब वे विरोधी दल में हैं तो कम से कम वित्त मंत्री की हैसियत से जो अनुभव हासिल किया है उसके बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुयी। उन्होंने एक बात ऐसी कही जिसको सुनकर निराशा ही नहीं दुख भी हुआ कि उनके जैसे विद्वान इस तरह के विचार रखें और उसके बाद तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि यह तो वैसे ही बात हुई कि कोई आदमी जब रेल के नीचे होता है तो कहता है कि डिब्बे में इतने कम लोग हैं फिर भी जगह नहीं देते और जब डिब्बे में घुस जाते हैं तो दूसरे से कहते हैं कि दूसरे डिब्बे में देखो इसमें जगह नहीं है। जो आलोचना भी की है वह भी बहुत युक्तिपूर्ण नहीं। कहते हैं पूंजी व्यय में घाटा है। हम भी कहते हैं, लेकिन यह घाटा सिर्फ हमने ही किया हो, ऐसी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि ६४-६५, ६५-६६ तथा ६६-६७ में क्रमशः ११.१३ करोड़, ३३.१७ करोड़ और २५.३१ करोड़ का घाटा था और अब २०.७२ करोड़ का घाटा है। लेकिन फर्क यह है कि डेफिसिट के नाम पर ये नये टैक्स लगाते थे, हमने ऐसा नहीं किया है और इसके बाद भी अगर इसमें समाजवाद के दर्शन नहीं होते हैं तो मैं कहूंगा कि कमलापति जी, केवल समाजवाब, समाजवाद चिल्लाने से समाजवाद नहीं हुआ करता। हर बजट भाषण में लिखा गया समाजवाद, काम हुआ बिलकुल उलटा, तो हम तो वह करेंगे नहीं, हमने समाजवाद का शब्द अपने बजट भाषण में नहीं रखा, लेकिन हम कर्म में समाजवाद को करके दिखायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसे सौभाग्य कहें कि इस सरकार के गठन में समाजवाद का पहला कदम समता लाकर हमने दिखाया है। कांग्रेस के राज्य में जनता परेशान थी। वह समझती थी कि ये हमें तबाह करके छोड़ेंगे उसमें उच्च वर्गीय लोगों का बहुमत होता था। आज माननीय गुप्ता जी नेता विरोधी दल बैठे हुये हैं। मैंने सन् ६० के बाद जब उनकी सरकार की चर्चा हुई और उनके सरकार का गठन हुआ था तब ही यह बात इस सदन में कही थी कि इस प्रदेश का शासन जनता की भावना के अनुरूप नहीं है। वह बिरादरीवाद पर आश्रित है। इस सरकार का गठन समाजवाद की दिशा में सबसे बड़ा कदम है कि यह तमाम शोषित पीड़ित लोगों का प्रतीक है और जनता की आशायें इस से प्रफुल्लित हुई हैं। क्या आते ही हमने कोई फसल बो दिया? हमतो जो आपने बोया था उसी को काट रहे हैं लेकिन हमारे आते ही जनता के मन में उत्साह आया कि हमारा कदम समाजवाद की तरफ जायगा जनमानस में उमंग आयी कि हमारी सरकार उच्चवर्गीय नहीं है, यह शोषित पीड़ित लोगों के प्रतिनिधियों के बहुमत से बनी है। यह समाजवाद की ओर कदम नहीं है तो और क्या है? लेकिन माननीय कमलापति जी को वह दिखलाई कैसे पड़ेगा? वह तो समाजवाद का दर्शन करते थे केवल बजट में समाजवाद का शब्द रखकर, लेकिन बजट होता था पूंजीवादी और इसीलिये आज यह गति और अगर मैं दुर्गति हुई कहूं तो दोष नहीं होगा और उसको हम करना नहीं चाहते।

कहा गया कि आज गल्ला मंहगा हो गया है। यह मंहगाई आयी है। मंहगाई जरूर आयेगी। जब आप प्रदेश को सुखाते रहे और आपने कोई योजना नहीं चलाई और अनाज काफी पैदा नहीं हुआ तो कसूर किसका है? अभी हमने तो कोई फसल बोई ही नहीं तो फिर फसल काटने का सवाल पैदा नहीं होता। मैं जानता हूं कि आपको बजट के अन्दर कोई दोष दिखाई नहीं दिया तो इधर उधर की बात कहते हैं। जब हमारी फसल पैदा होगी तब आप जो कुछ भी उचित समझें कह सकते हैं लेकिन अभी तो आपकी फसल का ही सुधार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि मंहगाई आ गयी है। मैं इस से इंकार नहीं करता कि मंहगाई है लेकिन इस सरकार का यह प्रयत्न बराबर है कि मंहगाई कम हो। मैं यह कह सकता हूं कि जो परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हुईं, लेकिन उसके बाद भी मंहगाई उस सीमा पर नहीं पहुंची जिस सीमा पर वह कांग्रेस के समाजवाद के दिनों में थी। पिछली सरकार के जमाने के आंकड़े

में सदन के समक्ष रखना चाहता हूं जो सरकार यहां पर १८ दिन के लिये बैठी थी। लखनऊ और हापुड़ की मंडी के भाव उस समय क्या थे, यह मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। लखनऊ की मंडी का भाव २८-३-६७ को १५५.८९ रुपया क्विंटल था और हमारे जमाने में २६-६-६७ को लखनऊ की मंडी का भाव १२४.७१ पैसा है (व्यवधान) चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। यह भाव लखनऊ का मैंने आपको बताया। यह भाव कांग्रेस सरकार के पतन होने के दो तीन दिन पहले का है। (व्यवधान)। लगातार ५ दिन से यहां पर आक्षेप होते रहे और मैं उनको बराबर सहता रहा। जब वस्तुस्थिति को जाहिर किया जाता है तो हमारे दोस्त उचकते हैं क्योंकि उनके मर्म पर चोट लगती है। अब आप हापुड़ की मंडी का भाव सुनिये। वहां पर गेहूं का भाव २८-३-६७ को १५२ रु० था जो २६-६-६७ को १२७ रु० पर क्विंटल वहां पर हो गया। (व्यवधान)। श्रीमन्, जब सत्य का उद्घाटन करते हैं तो हमारे दोस्त बड़ा शोर करते हैं।

हमारे लायक दोस्त बहुगुणाजी ने कहा कि चीनी का भाव बतलाइये कि चीनी का भाव इस समय क्या है। जरा इस बात पर विचार कीजिये कि चीनी का भाव किसके कब्जे में है। चीनी का भाव अगर प्रदेशीय सरकार के कब्जे में होता तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि चीनी का भाव उससे नीचा होता जो आप चाहते हैं। दिल्ली में आपकी सरकार है। हमने कहा कि इस गर्मी के महीने में ज्यादा चीनी दो, हमारे लोगों को जरूरत है। फिर भी हमको केन्द्र से अधिक कोटा नहीं मिला। (व्यवधान) श्रीमन्, सदन में कहा गया कि इन्होंने योजनाओं पर कम रुपया खर्च किया। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने इसका पूरा उत्तर दे दिया है। मुझे समय के अन्दर ही समाप्त करना है। इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं बहुतसी बातों का जवाब नहीं दे सकूंगा, लेकिन उधर से कही जाने वाली बहुत सी बातें तो केवल भ्रम पर ही आधारित हैं। मुख्य मंत्री जी ने इसके अलावा आंकड़े दे कर बता दिया है कि पिछले बजट और इस बजट में क्या फर्क है और हम हर मद पर कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। श्रीमन्, यह कहा गया कि हमने ट्रेजरी फंड, प्रावीडेन्ट फंड, आदि से रुपया लेकर खर्च कर लिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से बीच में पूछने का कोई कायदा नहीं है। अगर वित्त मंत्री जी बैठ जाते तो आप पूछ सकते थे।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

अगर पूछने की जरूरत बहुत काफी है तो मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन अर्थशास्त्र का क्लास ले सकता हूं। वे आ जांय, मैं उन सबको पढ़ा सकता हूं। श्रीमन्, यह कहा गया कि सरकार ने ट्रेजरी फंड, प्राविडेन्ट फंड, रिजर्व फंड आदि का रुपया लेकर, इस्तेमाल करके दिवाला निकाल दिया है। पहली बात तो मैं यह कह दूं कि ३३ करोड़ का घाटा आप लोगों ने किया था। हमने तो एक पैसे का भी घाटा नहीं दिखाया (व्यवधान) दुनिया में ऐसा कौन आदमी है..

श्री अध्यक्ष--

मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे माननीय नेता सदन तथा नेता विरोधी दल से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वे अपने दलों में मेरी प्रार्थना को सक्रिया रूप से पहुंचावें। अगर मेरा काम दूसरे सदस्य करने लगते हैं तो उससे बड़ा व्यवधान होने लगता है। ऐसा करके वे लोग मुझे सहायता नहीं देते।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

मैंने कहा कि मान लो एक किसान कोई भैंस खरीदना चाहता है कर्ज लेकर और उसके घी तथा दूध का दाम जो उसे मिलने वाला है उस कर्ज के रुपये तथा व्याज से अधिक होता हो, तो उसे दूरदर्शिता की बात ही मानी जायगी।

(इस समय ४ बजकर ५७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

अगर हमने उस रुपये का इस्तेमाल किया, जिसका लाभ पूरे प्रदेश की जनता को होने वाला है तो इस काम को अर्थशास्त्री गलत नहीं समझ सकते । इससे कमी नहीं आने वाली है। दुर्दशा यह है कि हम चाहें अच्छा काम करें कितना ही, लेकिन हमारे लायक दोस्त तो उसकी आलोचना ही करेंगे । उनकी आलोचना स्वस्थ होनी चाहिये । यह न होना चाहिये कि यदि वह विरोधी पक्ष में बैठ गये तो ठीक हो अथवा न हो उन्हें आलोचना करना आवश्यक है । हर अच्छी बात में भी हम खराबी ढूंढने लग जायं, यह उचित न होगा। हमने अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत को अपनाया है और हर विकासशील व्यवस्था में इसको अपनाया जायगा । आपके बजटों से ऐसा लगता था कि हर साल बजट का प्रदेश का, दिवाला निकलने वाला है। हमने जो रुपया बेकार पड़ा था उसका इस्तेमाल किया है और बचत तो हमने करीब सवा १८ करोड़ की है । टैक्स माफी दिये, कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया, इस सबको देख कर ही हमारे दोस्त बौखला उठे । इस प्रकार का नियोजन उन्होंने सीखा नहीं था । भला कोई रोजगार में पैसा लगाने वाला आदमी अपने पैसे को तिजोरी में बन्द करके रखना चाहेगा ? उसे तो वह चालू रखेगा और अगर जितना मुनाफा है उसको तिजोरी में बन्द करते रहे तो वह बड़ा गलत अर्थशास्त्र होगा वह गलती हमने नहीं की । जो हमारे पास साधन थे, रिजर्व फंड था, प्रावीडेन्ट फंड का रुपया था, वह हम लगा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उससे पूंजी बढ़कर वापस आनी है । अब मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्य तर्क को समझ गये होंगे कि उनका चिन्तन गलत था ।

कहा गया कि इस साल तरक्की के लिये कुछ किया नहीं गया और जो योजना हमने बनायी वह पहले से भी निर्जीव है । कहने, का तो हक है ही, यही तो हक मिला है, लेकिन तथ्यों पर यह कहां तक आधारित है ? आपने, मान्यवर, देखा होगा कि कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया, सिर्फ आलोचना मात्र की कि निर्जीव है । उसको जरा आंकड़ों के आधार पर देखें कि निर्जीव है या सजीव है । पिछले साल १३६ करोड़ रुपया योजना पर व्यय हुआ था और हम १४६ करोड़ इस साल कर रहे हैं । तो आखिर कौनसी कमी आ गयी, कहां गलती करदी हमने ? और एक बात और मजे की है । कुछ मित्र कहेंगे कि यह तो हमने भी किया । विकल जी ने ठीक ही कहा था कि अगर निर्जीव है और हम नकल करते हैं तो इसके माने यह हैं कि आप उससे ज्यादा निर्जीव थे । लेकिन पहले जरा योजना का मतलब तो समझ लें । मैंने बारबार कहा और जब विरोधी दल में था तब भी कहा कि योजना का मतलब समझ लें और उसके बाद अगर आलोचना करें तो सुकर होगा । योजना का मतलब है कि जो प्राप्य साधन हों राष्ट्र या राज्य के उनको सामान्य जनता की उन्नति के लिये लगाना और संभाव्य साधनों के उचित प्रयोग का नाम योजना है । संभाव्य साधन कई हैं जैसे ट्यूबवैल का लगाना । आपने क्या किया ? ९ करोड़ रुपया खर्च करके १० हजार ट्यूबवैल लगाये और हम ८ करोड़ ८० लाख में १५,७०० ट्यूबवैल लगा रहे हैं । अगर इतने से काम की तारीफ कर देते तो हमारे दिल में संतोष हो जाता कि आप अच्छे काम की प्रशंसा भी करते हैं और इतने विद्वान हैं कि आप अच्छी बात ढूंढ लेते हैं । लेकिन वह तो तभी हो सकता है जब कुछ विवेक होगा जिसका सरासर अभाव है । (व्यवधान) । मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को समझा दूं कि आपके जमाने में ६,२५० रुपया लगता आया है एक ट्यूबवैल में और हम उसको घटा कर ४,७५० पर ला रहे हैं । यह है सिपत और हुनर । आप कहते हैं कि योजना नहीं हुई और समाजवादी दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो यह कौनसी दिशा है ? पूंजीवाद में यही तो लक्ष्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यय करो जनता को कम से कम लाभ भले ही पहुंचे इसकी परवाह मत करो । समाजवादी तो कम साधनों से ज्यादा से ज्यादा विस्तार करेंगे ताकि सामान्य जनता की तरक्की हो जाय, यही तो समाजवादी सरकार का लक्ष्य होता है जो हम कर रहे हैं । अब उनको अगर समाजवाद नजर ही नहीं आता तो कौनसा चश्मा उनको दें जिससे वे समाजवाद देख सकें ?

श्रीमन्, हमारे विरोधी लोग बहुत ही व्याकुल हैं । जो सीमित समय हमें मिला उसमें मैंने संक्षेप में बहुतसी बातें जो दुर्भाग्य से उधर वालों को सोचनी चाहिये थीं और उनकी समझ में

नहीं आयी थीं समझाने की कोशिश की, लेकिन इतना समय नहीं है कि सभी बातों का उत्तर इतने सीमित समय में दिया जा सके। बटलोई का एक चावल ही काफी होता है यह सिद्ध करने के लिये कि चावल पके हैं या कच्चे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ट्यूबवैल एक पोटेंशियलिटी बेयर करने वाली चीज है और उसकी संख्या १०,००० की जगह पर १५,७०० हमने कर दी उससे कम धन से, यह सिद्ध करता है कि हम धन का अपव्यय नहीं करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा साधारण जनता की उन्नति के लिये धन लगायेंगे। अगर आप इसमें समाजवाद देखें तो अच्छा है वरना हमारी मजबूरी है।

कुछ माननीय सदस्यों ने दल से संबंधित बातें कहीं। उनका उत्तर यहां अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दिया जा चुका है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह प्रदेश निश्चित रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ आगे बढ़ेगा। समाजवाद की दिशा में यह हमारा पहला कदम है। हमें महंगायी को कम करना है, उसे रोकना है, उसके बाद प्रदेश के जन जीवन की सुरक्षा का प्रबन्ध करना है और यह सब करके ही हम समाजवाद की ओर बढ़ेंगे। हमारा प्रयास इस ओर है। यही मुझे निवेदन करना था।

श्री उपाध्यक्ष—

अब सामान्य विवाद समाप्त हुआ।

*उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक है, इस समय इसको न लेकर फिर ले लिया जाय, हम लोग सामान्य वाद विवाद में काफी थक गये हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

पांच बज चुके हैं, आपने सदन का समय भी नहीं बढ़ाया है, और न ही कोई प्रस्ताव सदन के समय बढ़ाने का आया है, इसलिये यह विधेयक आज नहीं लिया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये पहले से ही निश्चय हो चुका है और आज की कार्यसूची में भी इसको ५ बजे लिये जाने का प्रस्ताव है। इससे यह समझा जायेगा कि सदन की सहमति है।

श्री नेकराम शर्मा—

बिना समय बढ़ाये आप उसे नहीं ले सकते।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

समय बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में आना चाहिये। आपके निर्णय के विरोध में हम वाक आउट करते हैं।

(विरोध दल के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इस पर मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। इस विधेयक को इसलिये लाना जरूरी हो गया कि आज हमारी बड़ी बड़ी योजनायें चल रही हैं। उन पर आकस्मिक खर्चा करने की जरूरत

---

*२६ जून, १९६७, की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

पड़ जाती है। तुरन्त सदन को बुलाकर उसकी स्वीकृति लेना सम्भव नहीं होता है। पिछली सरकार ने भी समय समय पर यह अनुभव किया कि यह धनराशि बढ़ा दी जाय। अभी इस वर्ष जब हमें कुयें बनाने की जरूरत थी तो रुपया नहीं था। एक करोड़ से अधिक रुपया हमने इसी फंड से दिया। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करे और इस विधेयक को पारित करे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७

उ० प्र० अधिनियम संख्या १९,१९५० — उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५० में आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के अठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम — १--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, १९६७ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९,१९५० की धारा ४ का संशोधन — २--(१) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५० की धारा ४ की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (१) के पश्चात निम्नलिखित नयी उपधारा का बढ़ा दी जाय:--

"(२) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, १९६७ के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दो करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) में से निकालेगी और उसे निधि में जमा कर देगी।"

(२) उक्त धारा ४ के पार्श्वशीर्षक में शब्द "४ करोड़ रुपये" तथा शब्द "का निकाला जाना" के बीच में शब्द "तथा और २ करोड़ रुपये" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २, खंड १, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
२७ जून, १९६७ ।

विधान सभा दुर्लभ

पी० एस० यू० पी०---ए० पी० ४७ एल० ए०---१९६७---८४६ ।